

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के

समक्ष दिनांक.....को प्रस्तुत

किया गया।

8 DEC 2004

31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

वाणिज्यिक

बिहार सरकार

विषय-सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix-xii
अध्याय - I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.2	1-2
कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	1.3	3
कार्यशील सांविधिक निगमों	1.4	3
बजट से वहिर्गम, अनुदान/आर्थिक सहायता, प्रत्याभूतियाँ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में रूपान्तरण	1.5	3-4
कार्यशील सा. क्षेत्र. उपक्रमों के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाना	1.6	4-5
कार्यशील सा. क्षेत्र. उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम	1.7	6
लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ तथा लाभांश	1.8	6
घाटा देने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	1.9	6
लाभ अर्जित करनेवाली सांविधिक निगमों एवं लाभांश	1.10	6
घाटा देने वाली सांविधिक निगमों	1.11	6
कार्यशील सांविधिक निगमों का प्रचालन निष्पादन	1.12	7
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	1.13	7
राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग के लागू करने की स्थिति	1.14	7-8
बिहार विद्युत् नियामक आयोग	1.15	8
अकार्यशील सा. क्षेत्र. उपक्रमों में निवेश	1.16	8
बजट से वहिर्गम, अनुदान/आर्थिक सहायता, प्रत्याभूतियाँ, बकाये का परित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में रूपान्तरण	1.17	9
अकार्यशील सा. क्षेत्र. उपक्रमों में कुल स्थापना व्यय	1.18	9
अकार्यशील सा. क्षेत्र. उ. के लेखाओं का अन्तिम रूप दिया जाना	1.19	9

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम	1.20	9
सा. क्षे. उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में अनुशंसा	1.21	9
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.22	10
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन	1.23	10
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए सा. क्षे. उ. की लेखापरीक्षा का परिणाम	1.24	10-11
बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के कार्यचालन परिणाम का लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारण	1.25	12
आंतरिक अंकेक्षण/आंतरिक नियंत्रण	1.26	12-13
निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं तथा समीक्षाओं के प्रत्युत्तर	1.27	13
लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार विमर्श की स्थिति	1.28	13-14
619 - बी कम्पनियाँ	1.29	14
अध्याय - II		
सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा		
बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड के वसूली निष्पादन पर समीक्षा	2	
मुख्य अंश	--	15
प्रस्तावना	2.1	16
संगठनात्मक ढाँचा	2.2	16
लेखापरीक्षा क क्षेत्र	2.3	16-17
वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	2.4	17
वित्तीय सहायता एवं वसूली की प्रक्रिया	2.5	17-18
ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण	2.6	18
संसाधन एवं निधियों का उपयोग	2.7	18-19
वसूलियाँ एवं चूक	2.8	19-23
निम्न वसूली/वसूली न होने के कारण	2.9	23-30
निपटारा नीति - 2002	2.10	30
राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत की गई वसूलियाँ	2.11	30-31
निष्कर्ष	--	31-32

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय — III		
सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षाएँ		
बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड की अपूर्ण संचरण योजनाओं पर समीक्षा	3.1	
मुख्य अंश	--	33-34
प्रस्तावना	3.1.1	34
संगठनात्मक ढाँचा	3.1.2	34-35
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.1.3	35
संचरण तंत्र	3.1.4	35-36
संचरण तंत्र का विकास	3.1.5	36-37
उत्तर बिहार में संचरण प्रणाली की अपर्याप्तता	3.1.6	37-38
निर्धारित प्रभारों का परिहार्य भुगतान	3.1.7	38-39
लक्ष्य एवं वास्तविकताएँ	3.1.8	39-40
संवीक्षा	3.1.9	40-41
अपूर्ण संचरण योजनाएँ	3.1.10	41
समय एवं लागत वृद्धि	3.1.11	42
निर्माण में असंगति	3.1.12	42
पूर्णियाँ-बेगूसराय संचरण लाइन का निर्माण (VI पंचवर्षीय योजना)	3.1.13	42-43
एम. टी. पी. एस. एवं बेगूसराय ग्रीड सब-स्टेशन के बीच दोहरी परिपथ (सर्किट) लाइन का निर्माण (VI पंचवर्षीय योजना)	3.1.14	43-44
फतुहा में गंगा क्रासिंग के ऊपर संचरण लाइन का निर्माण	3.1.15	44
आरा-खगौल संचरण लाइन का निर्माण (पथ लंबाई 36.2 कि. मी.)	3.1.16	44-45
जमुई-झाझा संचरण लाइन का निर्माण	3.1.17	45-46
बेगूसराय में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण (VI पंचवर्षीय योजना)	3.1.18	46
हाजीपुर में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण (VI पंचवर्षीय योजना)	3.1.19	47
बांका में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण (V पंचवर्षीय योजना)	3.1.20	47-48

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
किशनगंज में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण (V पंचवर्षीय योजना)	3.1.21	48-49
कुद्रा में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण (VIII पंचवर्षीय योजना)	3.1.22	49-50
दीघा में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण	3.1.23	50-51
कटरा में ग्रीड सब-स्टेशन और 132 कि. वो. सहयोगी संचरण लाईन का निर्माण	3.1.24	51-52
निष्कर्ष		52
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के थर्मल पावर स्टेशनों के बाउल मिलों सहित कोल हैंडलिंग प्लान्ट के कार्य-कलाप पर समीक्षा	3.2	
मुख्य अंश		53
प्रस्तावना	3.2.1	53-54
संगठनात्मक ढाँचा	3.2.2	54
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.2.3	54
कोल हैंडलिंग प्लाण्ट एवं बाउल मिलों का प्रचालन	3.2.4	55
थर्मल पावर संयंत्रों की बंदियां	3.2.5	55-56
बी टी पी एस में एक कोल हैंडलिंग संयंत्र का अनावश्यक प्रचालन	3.2.6	56
कोयले की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया	3.2.7	56-57
कोयले की प्राप्ति में कमी	3.2.8	57-58
कोयले की अत्यधिक खपत	3.2.9	58
फर्नेश ऑयल की अधिक खपत	3.2.10	59
लाइट डीजल ऑयल की अधिक खपत	3.2.11	59
ऑयल-फ्लो मीटरों का अव्यवहृत रहना	3.2.12	60
कोयले का भौतिक सत्यापन	3.2.13	60
ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड से कोयले की आपूर्ति हेतु दावे	3.2.14	61
लापता, असंयुक्त एवं विपथित वैगन	3.2.15	62
वैगन टिपलरों की कम उपयोगिता	3.2.16	62-63
इन-मोशन रेलवे माप-पुलों का घटिया प्रदर्शन	3.2.17	63
साइडिंग चार्जों का परिहार्य भुगतान	3.2.18	63-64
बाउल मिलें	3.2.19	64
बाउल मिलों में प्रयुक्त पार्ट-पुर्जों का प्रदर्शन	3.2.20	64

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
वर्मशाफ्ट, कुंजी सहित गियर, नट एवं लॉक		3.2.21	64-65
बी टी पी एस में दोषपूर्ण पुर्जों की अधिप्राप्ति		3.2.22	65
वियरिंग हाउसिंगों की अनावश्यक अधिप्राप्ति		3.2.23	65
बी टी पी एस की बंद इकाईयों के लिए पुर्जों की अधिप्राप्ति		3.2.24	66
राख में बिन जले कोयले की अत्यधिक उपस्थिति		3.2.25	67
कोल रिजेक्टों के कारण परिहार्य हानि		3.2.26	67
निष्कर्ष			68
अध्याय – IV			
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित विविध रोचक प्रसंग			
सरकारी कम्पनियाँ			
बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड			
निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क		4.1	69-72
बिहार राज्य जल विद्युत् निगम लिमिटेड			
अत्यधिक रूपान्तरण हानि		4.2	72-73
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड			
दंड-शुल्क की वसूली न होना		4.3	73-74
सांविधिक निगम			
बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड			
विपत्रीकरण में विलम्ब के कारण 13.19 लाख रुपये ब्याज की हानि		4.4	74-75
फर्जी व्यय		4.5	75
राजस्व का कम संग्रह		4.6	76
ट्रांसफॉर्मर तेल का रिसाव		4.7	76-77
परिशिष्ट			
1.	31 मार्च 2003 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूँजी, आय-व्ययक से बहिर्गमन, आय-व्ययक से दिये गये ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2, 1.5 एवं 1.16	81-88
2.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखाओं का अन्तिमकरण हो गया था, उनका अद्यतन वर्ष का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.6, 1.7, 1.13 एवं 1.19	89-95

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त सहाय्य, प्राप्त गारंटियाँ, बकाए की माफी, ऋण जिस पर मोहलत दी गई एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2003 के अंत तक प्राप्य साहाय्य तथा बकाये गारंटियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.5 एवं 1.7	96
4.	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	1.7	97-99
5.	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी	1.7	100-101
6.	सांविधिक निगमों के प्रचालन निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी	1.12	102-105
7.	बंद की जाने वाली बिहार के सरकारी कम्पनियों के नाम	1.21	106
8.	विभागवार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि. प्र.) को दर्शाने वाली विवरणी	1.27	107
9.	विभागवार प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के लम्बित उत्तरों को दर्शाने वाली विवरणी	1.27	108
10.	अद्यतन अन्तिमकरण किये हुए लेखाओं के अनुसार 619 (बी) कम्पनियों के प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी	1.29	109-110
11.	कम्पनी के वर्ष 1997-98 से 2001-02 के पाँच वर्षों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	2.4	111
12.	बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के अपूर्ण संचरण परियोजनाओं का विवरण	3.1.1, 3.1.3 एवं 3.11	112-113
13.	बिहार का उर्जा मानचित्र	3.14	114
14.	ग्रीड सब-स्टेशनों एवं संचरण लाईनों के निर्माण में तारतम्य का अभाव दर्शाने वाली विवरणी	3.1.12	115
15.	कोल हैण्डलिंग प्लांट एवं बाउल मिल के प्रचालन को दिखाने वाला प्रवाह मानचित्र	3.2.4	116
16.	कोयले की अत्यधिक खपत दर्शाने वाली विवरणी	3.2.9	117
17.	फर्नेस ऑयल की अत्यधिक खपत को दर्शाने वाली विवरणी	3.2.10	118
18.	एल. डी. ओ. की अत्यधिक खपत दर्शाने वाली विवरणी	3.2.11	119
19.	ई. सी. एल. पर दावों की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.2.14	120
20.	मूल लागत/पुनरीक्षित लागत/वास्तविक खर्च एवं कार्य की प्रगति दर्शाने वाली विवरणी	4.1.4	121
21.	राजस्व के कम निर्धारण एवं कालातीत दावों का विवरण	4.6	122

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थाएँ जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

- (i) सरकारी कम्पनियाँ,
- (ii) सांविधिक निगमों, एवं
- (iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम।

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971, यथा समय-समय पर संशोधित धारा 19-क के अधीन बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा का परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) बिहार सरकार में अन्तर्निष्ठ है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जो सांविधिक निगम हैं, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुरूप बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदित सूची में से सनदी लेखाकारों को नियुक्त कर लेखापरीक्षा कराने के अतिरिक्त नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भंडारण निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनकी सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। इन निगमों के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजा जाता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2002-03 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ-साथ वे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके। 2002-03 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

 31 मार्च 2002 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उतनी ही संख्याओं के विरुद्ध 31 मार्च 2003 को राज्य में 50 सरकारी कम्पनियों एवं 4 सांविधिक निगमों सहित राज्य में 54 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। 50 सरकारी कम्पनियों में से 17 सरकारी कम्पनियाँ कार्यशील थीं जबकि 33 सरकारी कम्पनियाँ अकार्यशील थीं। सभी 4 सांविधिक निगम कार्यशील थे। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2003 को 8 कम्पनियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ख के अधीन थी।

(कड़िका 1.1 और 1.29)

 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2002 को 8476.37 करोड़ रुपये का कुल निवेश बढ़कर 31 मार्च 2003 को 8581.73 करोड़ रुपये हो गया। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 678.21 करोड़ रुपये का कुल निवेश उक्त अवधि के दौरान बढ़कर वैसी कम्पनियों की संख्या में वृद्धि के कारण 705.30 करोड़ रुपये हो गया।

(कड़िका 1.2 और 1.16)

 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूँजी, ऋण एवं आर्थिक सहायता/अनुदानों के रूप में दी गई बजट सहायता 2001-02 में 613.70 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में 513.04 करोड़ रुपये हो गयी। 31 मार्च 2003 को सरकार द्वारा सा. क्षे. उ. को प्रत्याभूति ऋणों की कुल बकाए की राशि 353.49 करोड़ रुपये थी।

(कड़िका 1.5 और 1.17)

 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों में से किसी ने वर्ष 2002-03 के लिए अपनी लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था। 17 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं 4 कार्यशील सांविधिक निगमों की लेखा 30 सितम्बर 2003 को 2 से 22 वर्षों के परास में बकाये में थीं। सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियों की लेखा 30 सितम्बर 2003 को 8 से 26 वर्षों के परास में बकाए में थी।

(कड़िका 1.6 एवं 1.19)

 अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार पांच कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (चार सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम) ने कुल 9.39 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इसके विपरीत 16 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (13 सरकारी कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगमों)

ने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार कुल 1113.37 करोड़ रुपये की हानि उठाई। हानि उठानेवाली कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से 5 कम्पनियों ने जिनके लेखाओं को अक्टूबर 2002 से सितम्बर 2003 तक अंतिम रूप दिया गया था, कुल 148.39 करोड़ रुपये की हानि उठाई थी जो उनकी कुल प्रदत्त-पूँजी 102.45 करोड़ रुपये से अधिक थी। तीन हानि उठाने वाले सांविधिक निगमों में से दो सांविधिक निगमों ने 909.04 करोड़ रुपये की संचित हानि उठाई थी जो उनकी 179.37 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी से अधिक थी।

(कड़िका 1.7, 1.9 एवं 1.11)



राज्य सरकार ने 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है।

(कड़िका 1.21)

2. सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा

2. बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड के वसूली निष्पादन पर समीक्षा

तकनीकी, प्रबंधकीय एवं वित्तीय सहायता देकर उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड का निगमन जनवरी 1975 में किया गया।



कुल वसूलनीय राशि से वसूली की प्रतिशतता 1998-99 में 3.04 से घटकर 2002-03 में 2.54 हो गयी जबकि वसूलनीय राशि वर्ष 1998-99 में 304.94 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 544.91 करोड़ रुपये हो गयी।

(कड़िका 2.8)



अपर्याप्त वसूली निष्पादन के कारण 1997-98 में 27.26 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ घटकर 2001-02 में 13.64 करोड़ रुपये हो गईं। बंद ईकाइयों की संख्या 71 (31 मार्च 2000) से बढ़कर 142 (31 मार्च 2003) हो गईं जिनके विरुद्ध वसूली की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

(कड़िका 2.8.3)



531.07 करोड़ रुपये अतिदेयों वाली 201 चूककर्ता ईकाइयों में से कम्पनी 54.39 करोड़ रुपये अतिदेयों वाली मात्र 28 ईकाइयों का ही अधिग्रहण कर सकी।

(कड़िका 2.11)

3. सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षाएँ

3.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की अपूर्ण संचरण योजनाओं पर समीक्षा

प्रभावी ऊर्जा-उत्सर्जन के लिए उपयुक्त वोल्टेज, न्यूनतम प्रणाली-हानियाँ सुनिश्चित करने हेतु संचरण प्रणाली को उत्पादन क्षमता के साथ समान गति बनाये रखना चाहिए। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में यह राज्य में बिक्री के लिए अधिक ऊर्जा की उपलब्धता के अनुरूप नहीं रही।

 पाँचवीं से आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में दस योजनाओं सहित सोलह योजनाएँ 91.42 करोड़ रुपये के निवेश के बाद एक से 19 वर्षों तक अपूर्ण रहीं।

(कड़िका 3.1.1)

 अपर्याप्त संचरण लिंक के कारण, दक्षिण बिहार में उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा उत्तर बिहार को संचरित नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप उत्तर बिहार में 1997-98 एवं 1999-2000 में अखिल भारतीय औसत 348.50 यूनिटों के विरुद्ध प्रति व्यक्ति खपत 19.26 एवं 23.21 यूनिटें थीं।

(कड़िका 3.1.6)

 बोर्ड सेंट्रल ग्रिड से 700 मेगावाट के पूरे हिस्से को पाने में विफल रहा और इसे ऊर्जा के अपने हिस्से का बिना उपभोग किए 973.36 करोड़ रुपये निर्धारित प्रभार का भुगतान करना पड़ा।

(कड़िका 3.1.7)

 सम्बद्ध योजनाओं के समक्रमिक नहीं होने के कारण पूर्ण योजनाओं पर किए गए 46 करोड़ रुपये का निवेश अवरुद्ध हो गया।

(कड़िका 3.1.12)

3.2 बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के थर्मल पावर स्टेशनों के बाउल मिलो सहित कोल हैंडलिंग प्लान्ट के कार्य-कलाप पर समीक्षा

बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के अन्तर्गत विद्युत्-उत्पादन वर्तमान में दो थर्मल पावर स्टेशनों यथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बी टी पी एस) एवं मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (एम टी पी एस) द्वारा किया जाता है। छः इकाइयों जिनकी संस्थापित क्षमता 540 मेगावाट (मे. वा.) थी के विरुद्ध 110 मे. वा. प्रत्येक की मात्र दो इकाइयाँ न्यूनतम कार्यचालन स्तर पर विद्युत् उत्पादन के लिए उपलब्ध थीं।

 कोयले की निम्न गुणवत्ता एवं उपकरणों के निम्न अनुरक्षण के कारण 31 मार्च 2003 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान 23,647 घंटों तक उत्पादन हेतु संयंत्र उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप 249.61 करोड़ रुपये मूल्य के 6,286.52 मिलियन यूनिट (मि. यू.) उत्पादन की हानि हुई।

(कड़िका 3.2.5)

 कोयले में राख की उच्चतर प्रतिशतता एवं पूँजीगत अनुरक्षण की सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं होने के कारण 143 करोड़ रुपये मूल्य के 13.97 लाख मीटरिक टन (मी. टन) कोयले की खपत मानक से अधिक हुई थी।

(कड़िका 3.2.9)

 टूटे फर्नेस केसिंग, नष्ट बर्नर टिपों एवं दोषपूर्ण ऑयल गनों के कारण बीटीपीएस एवं एमटीपीएस में 44,229.49 किलोलीटर (कि.ली.) फर्नेस ऑयल एवं 19,029.45 कि.ली लाइट डीजल ऑयल की खपत मानक से अधिक हुई। फलस्वरूप 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान बोर्ड को 43.62 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कड़िका 3.2.10 एवं 3.2.11)

 बोर्ड को अपना रेलवे साइडिंग बीटीपीएस में रहने के बावजूद रेलवे को साइडिंग चार्जों के लिए 2.07 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(कड़िका 3.2.18)

4. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित विविध रोचक प्रसंग

 मीटर की संस्थापना में विफल होने तथा केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसरण न किए जाने के फलस्वरूप बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड को 1.66 करोड़ रुपये की हानि।

(कड़िका 4.2)

 ट्रांसफॉर्मर से तेल का रिसाव बन्द करने में विफलता के कारण बोर्ड को 32.32 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(कड़िका 4.7)

अध्याय—I

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2002 को 50 सरकारी कम्पनियों (17 कार्यशील कम्पनियाँ एवं 33 अकार्यशील कम्पनियाँ) एवं चार सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) के विरुद्ध 31 मार्च 2003 को 50 सरकारी कम्पनियाँ (17 कार्यशील कम्पनियाँ एवं 33 अकार्यशील कम्पनियाँ) तथा चार सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन थे। कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों की लेखाओं की (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित) लेखापरीक्षा की जाती है। इन लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबन्धों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था अधोदर्शित है :

क्र. सं.	सांविधिक निगम के नाम	सी. ए. जी. को लेखापरीक्षण का प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी.एस.ई.बी.)	विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत	एकमात्र सी.ए.जी. के द्वारा लेखापरीक्षा
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बी.एस.आर.टी.सी.)	पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत	एकमात्र सी.ए.जी. के द्वारा लेखापरीक्षा
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी.एस.एफ.सी.)	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 (6) के अन्तर्गत	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा
4.	बिहार राज्य भंडार निगम (बी.एस.डब्लू.सी.)	राज्य भंडार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (8) के अन्तर्गत	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा. क्षे. उ.)

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.2 मार्च 2002 एवं मार्च 2003 के समाप्ति तक 21 कार्यशील सा. क्षे. उ. (17 सरकारी कम्पनियों एवं 4 सांविधिक निगमों) में कुल निवेश क्रमशः निम्न प्रकार थे :

(करोड़ रुपये में)

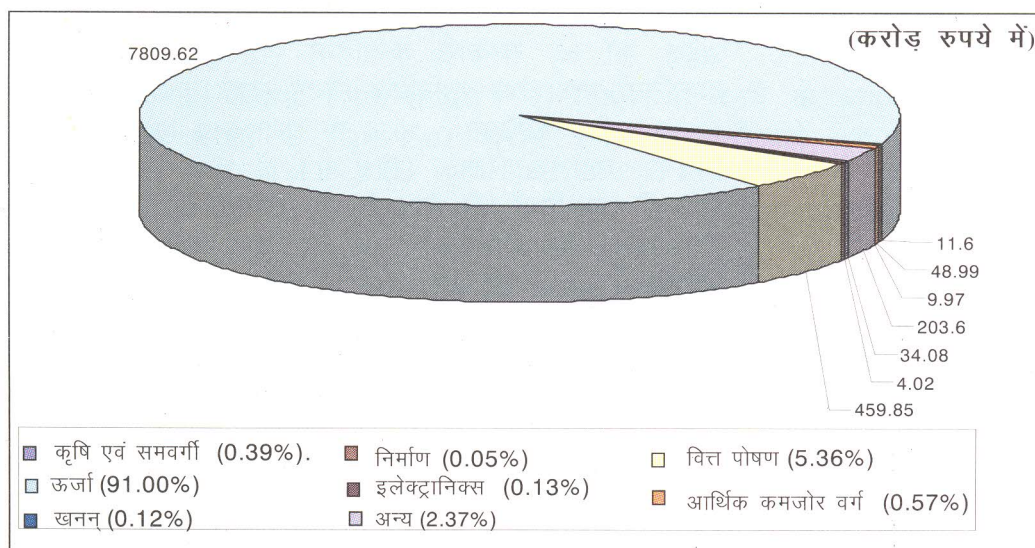
वर्ष	कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की संख्या	कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश			
		इक्विटी	शेयर आवेदन राशि	ऋण	कुल
2001-02	21	442.06	16.45	8017.86	8476.37
2002-03	21	442.02	16.45	8123.26	8581.73

31 मार्च 2002 तक कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में इक्विटी पूँजी तथा ऋण में कुल निवेश क्रमशः 5.41 एवं 94.60 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2003 को 5.34 प्रतिशत इक्विटी पूँजी एवं 94.66 प्रतिशत ऋण के रूप में था।

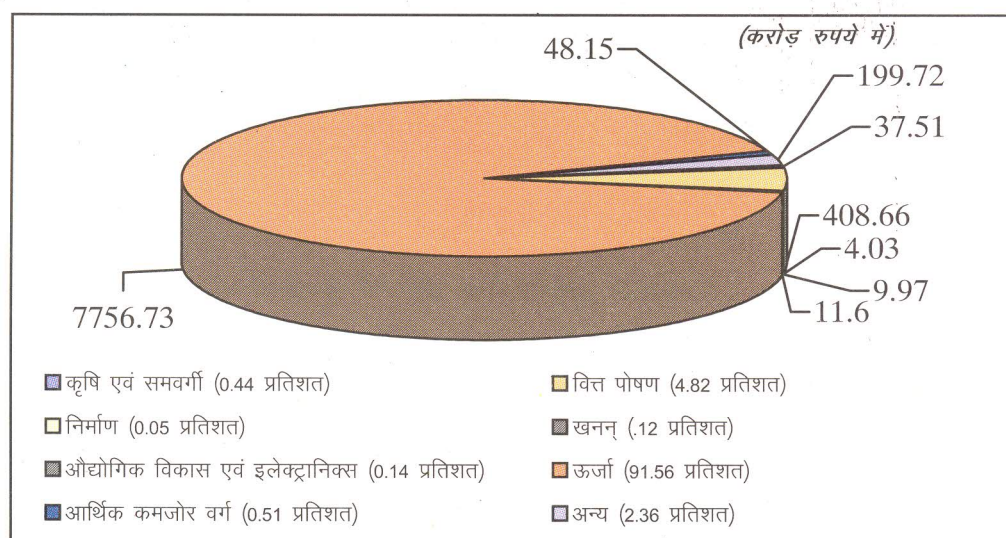
कार्यशील सा. क्षे. उ. में निवेश का विश्लेषण अधोलिखित कंडिकाओं में दिया गया है।

31 मार्च 2003 एवं 31 मार्च 2002 के अन्त में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश (इक्विटी तथा दीर्घ कालीन ऋण) तथा उनकी प्रतिशतता निम्नांकित पाई चार्ट में दर्शाए गए हैं :

31 मार्च 2003 को कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में प्रक्षेत्रवार निवेश



31 मार्च 2002 को कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में प्रक्षेत्रवार निवेश



कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

1.3 मार्च 2002 एवं मार्च 2003 के अंत में 17 कार्यशील कम्पनियों में क्रमशः कुल निवेश निम्न प्रकार था :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कार्यशील सरकारी कम्पनियों की संख्या	कार्यशील सरकारी कम्पनियों में निवेश			
		इक्विटी	शेयर आवेदन राशि	ऋण	कुल
2001-02	17	261.54	16.45	917.32	1195.31
2002-03	17	261.54	16.45	886.04	1164.03

इक्विटी एवं ऋण के रूप में कार्यशील सरकारी कम्पनियों में सरकारी निवेश की संक्षिप्त विवरणी परिशिष्ट-I में दर्शायी गयी है।

31 मार्च 2002 तक कार्यशील सरकारी कम्पनियों में इक्विटी पूँजी तथा ऋण में कुल निवेश क्रमशः 23.26 प्रतिशत एवं 76.74 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2003 को 23.88 प्रतिशत इक्विटी पूँजी एवं 76.12 प्रतिशत ऋण के रूप में था।

कार्यशील सांविधिक निगमों

1.4 मार्च 2002 एवं मार्च 2003 के अन्त तक चार कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नलिखित थे :

(करोड़ रुपये में)

निगम के नाम	2001-02		2002-03	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड (बी. एस. ई. बी.)	—	6810.17	—	6862.31
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बी.एस.आर.टी.सी.)	101.27	68.53	101.27	77.11
बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी.एस.एफ.सी.)	77.88	221.84	77.84*	297.81
बिहार राज्य भंडार निगम (बी.एस.डब्ल्यू.सी.)	1.37	शून्य	1.37	शून्य
योग	180.52	7100.54	180.48	7237.23

कार्यशील सांविधिक निगमों में इक्विटी तथा ऋण के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

31 मार्च 2002 तक कार्यशील सांविधिक निगमों में इक्विटी पूँजी तथा ऋण में कुल निवेश क्रमशः 2.43 प्रतिशत एवं 97.57 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2003 को 2.48 प्रतिशत इक्विटी पूँजी एवं 97.52 प्रतिशत ऋण के रूप में था।

बजट से वहिर्गम, अनुदान/आर्थिक सहायता, प्रत्याभूतियाँ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में रूपांतरण

1.5 राज्य सरकार द्वारा कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को बजट से वहिर्गम, अनुदान/आर्थिक सहायता, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, देय राशि का

* अंश प्रमाण पत्र समर्पण करने पर निगम द्वारा चार लाख रुपये अंशधारकों को लौटाया गया।

अधित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में रूपांतरण की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-1 एवं 3 में दी गयी है।

मार्च 2003 तक तीन वर्षों की अवधि में राज्य सरकार से बजट का वहिर्गम (इक्विटी पूँजी एवं ऋण के रूप में) तथा अनुदानों/आर्थिक सहायता, जो कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों को मिली, की विवरणी अधोदर्शित है :

(करोड़ रुपये में)

	2000-2001				2001-2002				2002-2003			
	कम्पनियों		निगम		कम्पनियों		निगम		कम्पनियों		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से वहिर्गम इक्विटी	1	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बजट से दिया गया ऋण	1	3.50	2	590.68	—	—	3	613.66	1	5.00	3	513.04
आर्थिक सहायता	—	—	1	0.15	—	—	1	0.04	—	—	—	—
कुल वहिर्गम	2	5.50	3	590.83	—	—	4	613.70	1	5.00	3	513.04

वर्ष 2002-03 में सरकार ने ऋण गारंटी नहीं दिया। वर्ष के अंत तक 4 कार्यशील सरकारी कम्पनियों (24.90 करोड़ रुपये) और दो कार्यशील सांविधिक निगमों (327.92 करोड़ रुपये) और 2 अकार्यशील सरकारी कम्पनी (0.67 करोड़ रुपये) की कुल गारंटी राशि 353.49 करोड़ रुपये बकाये थे। वर्ष के दौरान दो मामलों में गारंटी ऋण की राशि लौटाने में दो निगम दोषी थे। सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को की गयी भुगतान/भुगतये गारंटी कमीशन क्रमशः 5.82 करोड़ रुपये और 37.62 करोड़ रुपये थी।

कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाना

1.6 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराओं 166, 210, 230, 619 एवं 619-बी के साथ-साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत कम्पनी के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के अन्दर अन्तिम रूप दिया जाना है। इन्हें वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 9 माह के अन्दर विधान मंडल के पटल पर भी रखा जाना है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाना, लेखापरीक्षण होना, तथा विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, उनके सम्बद्ध अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप होता है।

किन्तु, जैसा परिशिष्ट-2 से देखा जा सकता है, 17 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं चार सांविधिक निगमों में से किसी ने भी निर्धारित अवधि के अन्दर वर्ष 2002-2003 के लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था। अक्टूबर 2002 से सितम्बर 2003 की अवधि में, सात कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने पिछले वर्षों के 12 लेखाओं को अन्तिम रूप दिया था। इसी प्रकार, इस अवधि में तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने पिछले वर्ष के एक लेखा को अन्तिम रूप दिया था।

30 सितम्बर 2003 को 17 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं चार सांविधिक निगमों के बकाए लेखाओं के परास दो वर्ष से 22 वर्षों की अवधि रही जिसकी विस्तृत विवरणी अधोलिखित है :

क्रमांक	कार्यशील कम्पनियों/निगमों की संख्या		वर्ष जिसके लेखे बकाए में है	वर्षों की संख्या जिसके लेखे बकाए में है	परिशिष्ट-2 का संदर्भित क्रमांक	
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
1	2	3	4	5	6	7
1	1	—	1981-82 से 2002-2003	22	अ-10	—
2	1	—	1989-90 से 2002-2003	14	अ-6	—
3	1	—	1991-92 से 2002-2003	12	अ-3	—
4	4	—	1992-93 से 2002-2003	11	अ-7, अ-11, अ-15, अ-17	—
5	3	—	1993-94 से 2002-2003	10	अ-1, अ-2, अ-8	—
6	2	—	1994-95 से 2002-2003	9	अ-9, अ-13	—
7	2	—	1995-96 से 2002-2003	8	अ-12, अ-16	—
8	—	1	1997-98 से 2002-2003	6	—	ब-2
9	1	—	1998-99 से 2002-2003	5	अ-14	—
10	2	—	1999-2000 से 2002-2003	4	अ-4, अ-5	—
11	—	2	2000-2001 से 2002-2003	3	—	ब-3, ब-4
12	—	1	2001-2002 से 2002-2003	2	—	ब-1
कुल	17	4				

प्रशासनिक विभागों को आश्वस्त एवं सुनिश्चित करना है कि निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया है और सा. क्षे. उपक्रमों द्वारा उनको अंगीकृत किया गया है। यद्यपि लेखाओं के निराकरण में बकाये सम्बन्धित जानकारी सम्बद्ध प्रशासनिक विभागों तथा सरकारी पदाधिकारियों को प्रत्येक तिमाही में प्रधान महालेखाकार द्वारा दी गयी थी, पर सरकार द्वारा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गये जिसके फलस्वरूप, सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

1.7 कार्यशील लोक उपक्रमों (सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों) के उपलब्ध नवीनतम लेखाओं पर आधारित संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यशील सांविधिक निगम का संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम, उन तीन नवीनतम वर्षों के लिए जिन वर्षों के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, क्रमशः परिशिष्ट-4 एवं 5 में वर्णित है।

17 सरकारी कम्पनियों तथा चार सांविधिक निगमों के अन्तिम रूप दिए गये नवीनतम लेखाओं के अनुसार 13 कम्पनियों तथा तीन निगमों को क्रमशः 96.80 करोड़ रुपये एवं 1016.57 करोड़ रुपये की कुल हानि हुई, जबकि चार कम्पनियों एवं एक निगम ने क्रमशः 6.82 करोड़ रुपये तथा 2.57 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ तथा लाभांश

1.8 नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार सितम्बर 2003 तक पिछले वर्षों के लेखाओं को अन्तिम रूप देने वाली 17 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से चार कम्पनियों ने 6.82 करोड़ रुपये लाभ अर्जित किया। लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों में से किसी ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया। राज्य सरकार ने न तो न्यूनतम लाभांश के भुगतान हेतु कोई नीति बनाई है और न कम्पनियों को कोई मार्ग-दर्शन जारी किया है।

घाटा देने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

1.9 नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार लेखाओं को अन्तिम रूप देने वाली 13 घाटा में चलने वाली सरकारी कम्पनियों में से पाँच कम्पनियों को जिनकी लेखाओं को अक्टूबर 2002 से सितम्बर 2003 तक अन्तिम रूप दिया गया था, 148.39 करोड़ रुपये की कुल संचित हानि हुई थी, जो उनकी कुल प्रदत्त पूँजी 102.45 करोड़ रुपये को पार कर गयी थी।

कार्यशील सांविधिक निगम

लाभ अर्जित करने वाली सांविधिक निगम एवं लाभांश

1.10 अपने लेखाओं को अन्तिम रूप देने वाली चार सांविधिक निगमों (सितम्बर 2003) में से केवल बिहार राज्य भंडार निगम ने 2.57 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था परन्तु उन्होंने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

घाटा देने वाली सांविधिक निगम

1.11 31 मार्च 2001 के अन्त में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) की 6862.30 करोड़ रुपये के कुल निवेश (ऋण) के विरुद्ध 8185.02 करोड़ रुपये की संचित हानि थी।

दो सांविधिक निगम यथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम की संचित हानियाँ क्रमशः 368.01 करोड़ रुपये तथा 541.03 करोड़ रुपये थी तथा इन हानियों ने उनकी प्रदत्त पूँजी क्रमशः 101.27 करोड़ रुपये तथा 78.10 करोड़ रुपये का अपक्षरण किया।

कार्यशील सांविधिक निगमों का प्रचालन निष्पादन

1.12 कार्यशील सांविधिक निगमों का प्रचालन निष्पादन परिशिष्ट-6 में दिया गया है। हालाँकि उनके निष्पादन के बारे में कुछ मुख्य बातें, जो ऊपर वर्णित परिशिष्ट में दिए गये आंकड़े पर आधारित हैं, नीचे दी गयी हैं :

बिहार राज्य वित्तीय निगम

1.12.1 अतिदेय (मूल एवं ब्याज) की अदायगी की राशि 2001-2002 में 1823.22 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-2003 में 2095.01 करोड़ रुपये हो गयी।

बिहार राज्य भंडार निगम

1.12.2 भण्डारण क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता जो 2001-2002 में 84 थी घट कर 2002-2003 में 80 हो गयी।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.13 अंतिम रूप दिए गये नवीनतम लेखाओं (सितम्बर 2003 तक) के अनुसार 17 कार्यशील कम्पनियों में नियोजित पूँजी* की गणना 887.26 करोड़ रुपये की गयी थी तथा उस पर कुल ऋणात्मक प्रतिफल** पिछले वर्ष (सितम्बर 2002 तक अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार) के 16.28 करोड़ रुपये के कुल ऋणात्मक प्रतिफल की तुलना में 2.89 करोड़ रुपये का था। इसी प्रकार, कार्यशील सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में अंतिम रूप दिए गये नवीनतम लेखाओं (सितम्बर 2003 तक) के अनुसार नियोजित पूँजी एवं उस पर कुल ऋणात्मक प्रतिफल क्रमशः 1490.50 करोड़ रुपये तथा 2694.09 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष (सितम्बर 2002 तक अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार) कुल ऋणात्मक प्रतिफल 359.48 करोड़ रुपये थी। कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित नियोजित पूँजी तथा उस पर कुल प्रतिफल परिशिष्ट-2 में वर्णित हैं।

ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच मेमोरंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग के लागू करने की स्थिति

1.14 भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में एक मेमोरंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (एम. ओ. यू.) पर हस्ताक्षर किया गया (सितम्बर 2001) जिसमें ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार कार्यक्रम को समयानुसार लागू करने का निर्णय लिया गया। मार्च 2001 में

* वित्तीय कंपनियों एवं निगमों जहाँ नियोजित पूँजी, नियोजित प्रदत्त पूँजी, फ्री रिजर्व बाण्डों, जमा एवं उधारों (पुनर्वित्त सहित) के समग्र योग के औसत का द्योतक है को छोड़कर नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य प्रगति सहित) एवं कार्यचालन पूँजी के योग का द्योतक है।

** नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की गणना निवल लाभ/हानि एवं लाभ-हानि लेखा में उद्धृत उधार ली गयी निधि पर ब्याज को योगकर/घटाकर की जाती है।

मुख्यमंत्रियों/ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार का अराजनीतिकरण और लागू करने में तेजी लाने पर सहमति हुई।

एम. ओ. यू. के अनुसार वचनबद्धता के प्रति सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की स्थिति निम्न प्रकार है :

क्रम सं.	एम. ओ. यू. के अनुसार वचनबद्धता	लक्ष्य पूर्ण करने का समय	स्थिति (31 मार्च 2003 को)
1	2	3	4
	राज्य सरकार द्वारा ली गई वचनबद्धता		
1.	संचरण एवं वितरण हानियों में कमी	नहीं दिया गया	कोई सुधार नहीं
2.	सभी 11 के. वी. वितरण फीडर की 100 प्रतिशत मीटर लगाना	दिसम्बर 2001	लागू नहीं किया गया
3.	सभी उपभोक्ताओं पर 100 प्रतिशत मीटर लगाना	दिसम्बर 2002	पूरा नहीं
4.	केन्द्रिय ऊर्जा प्रक्षेत्र उपक्रम के बकाये को प्रतिभूतिकरण	उपलब्ध नहीं	प्रतिभूतित
5.	बोर्ड का पुनर्गठन	दिसम्बर 2001	लागू नहीं किया गया
6.	ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम	2006 तक	
7.	ऊर्जा अंकेक्षण	जून 2002	लागू नहीं किया गया
8.	राज्य विद्युत नियामक आयोग (एस. इ. आर. सी.)	दिसम्बर 2001	अधिसूचना जारी होने के बावजूद सदस्यों को नियुक्त नहीं किया गया
9.	ताप उत्पादन ईकाई के पी. एल. एफ. में सुधार	मार्च 2003	लागू नहीं किया गया
10.	अचल परिसम्पत्ति पर तीन प्रतिशत प्रतिफल	मार्च 2004	लागू नहीं किया गया

बिहार विद्युत नियामक आयोग

1.15 बिहार विद्युत नियामक आयोग के गठन की अधिसूचना अप्रैल 2002 में जारी की गई थी पर आयोग के सदस्यों का नामांकन नहीं किया गया, फलस्वरूप आयोग को अब तक कार्यशील नहीं किया जा सका (सितम्बर 2003)।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा. क्षे. उ.)

अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश

1.16 तैंतीस अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सभी सरकारी कम्पनियाँ) में क्रमशः मार्च 2002 और मार्च 2003 में कुल निवेश निम्न प्रकार था :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की संख्या	अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश			
		इविट्टी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2001-02	33	75.59	88.98	513.64	678.21
2002-03	33	156.44	7.95	540.91	705.30*

* 18 कम्पनियों द्वारा सूचनाएँ उपलब्ध कराई गई।

बजट से बहिर्गम, अनुदान/आर्थिक सहायता, प्रत्याभूतियाँ, बकाये का परित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में रूपान्तरण

1.17 वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य सरकार ने बजट से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी थी।

अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों के कुल स्थापना व्यय

1.18 2002-2003 तक विगत तीन वर्षों की अवधि में सम्बन्धित प्रबन्धनों द्वारा दिए गए अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों के स्थापना व्यय पर कुल देयताएं तथा उनके वित्तपोषण के श्रोत का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिए गए है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सा. क्षे. उपक्रमों की संख्या	स्थापना व्यय पर कुल देयताएं	होलिडिंग कम्पनी द्वारा वित्त पोषित	देयताएं
2000-2001	22	49.74	0.20	49.54
2001-2002	10	3.17	0.02	3.15
2002-2003	9*	25.11	0.009	25.101

अकार्यशील सा. क्षे. उ. के लेखाओं का अन्तिम रूप दिया जाना

1.19 30 सितम्बर 2003 तक 33 अकार्यशील कम्पनियों के बकाए लेखाओं की अवधि की परास 8 वर्ष से 26 वर्ष थे जिसे परिशिष्ट-2 में देखा जा सकता है।

अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

1.20 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों के अन्तिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में वर्णित है।

अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों के अन्तिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर प्रदत्त पूँजी, नेटवर्थ, नगद हानि/नगद लाभ तथा संचित हानि/संचित लाभ का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	प्रदत्त पूँजी	नेटवर्थ	नगद हानि	संचित हानि (-)/संचित लाभ (+)
अकार्यशील कम्पनियाँ	98.84	(-) 73.13	19.6	(-) 171.97

सा. क्षे. उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में अनुशंसा

1.21 चूँकि संचित हानि प्रदत्त पूँजी से 1.7 गुणा ज्यादा थी और हरएक साल हानि उठाई जा रही थी, इन अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों को शीघ्र बंद कर देना चाहिए।

बिहार सरकार ने अपने प्रस्ताव संख्या 2538 दिनांक 19.06.2003 के द्वारा 17 कम्पनियों (छः कार्यशील एवं 11 अकार्यशील कम्पनियाँ) को बंद करने का निश्चय किया। बंद की जाने वाली कम्पनियों के नाम परिशिष्ट-7 में दिये गये हैं।

* बाकी 24 सरकारी कम्पनियों ने अपेक्षित सूचना नहीं दी

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति

1.22 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों (पू. ले. प्र.) का सरकार द्वारा विधान-सभा में प्रस्तुतीकरण की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

क्रमांक	सांविधिक निगम के नाम	विधान मंडल में पू.ले.प्र. की प्रस्तुतीकरण की तिथि	विधान मंडल में पू. ले. प्र. के न-प्रस्तुतीकरण के वर्ष		
			पू. ले. प्र. के वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विधान सभा में प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1996-97	1997-98 1998-99 1999-2000	27.06.2001 04.06.2002 23.5.2003	कारण असूचित
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973-74	1974-75 से 1995-96	1991-92-9.6.97 1992-93-2.9.98 1993-94-2.9.98 1994-95-4.12.98 1995-96-18.4.2000	निगमों के द्वारा प्रतिवेदनों की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी।
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	1988-89	1989-90 से 2000-2001	1995-96-13.5.97 1996-97-28.4.99 1997-98-27.7.99 1998-99-8.8.2000 1999-2000-3.12.2001	वही
4.	बिहार राज्य भंडारण निगम	अनुपलब्ध	—	—	—

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि तीन निगमों के 37 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को एक वर्ष से 22 वर्षों तक विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया जिनमें बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 22 पू. ले. प्र., बिहार राज्य वित्तीय निगम के 12 पू.ले.प्र. और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 3 पू. ले. प्र. अभी तक पटल पर नहीं रखा गया है (सितम्बर 2003)। बिहार राज्य भंडारण निगम के पू. ले. प्र. के प्रस्तुतीकरण से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किया गया। पू. ले. प्र. को पटल पर नहीं रखे जाने के कारण विधायिका इन निगमों पर वित्तीय नियंत्रण रखने में वंचित रहा।

सम्बन्धित अधिनियमों के आवश्यकतानुसार राज्य सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष समय पर प्रस्तुतीकरण हेतु ठोस कदम उठाना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन

1.23 वर्ष 2002-2003 में राज्य सरकार ने अपने किसी भी सा. क्षे. उ. का विनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन कार्य शुरू नहीं किया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए सा. क्षे. उ. की लेखापरीक्षा का परिणाम

1.24 अक्टूबर 2002 से सितम्बर 2003 की अवधि में आठ सरकारी कम्पनियों (कार्यशील-8 और अकार्यशील-1) की नौ लेखाओं और दो सांविधिक निगमों की दो

लेखाओं को समीक्षा हेतु चयन किया गया था। सा. क्षे. उ. की लेखाओं की समीक्षा के फलस्वरूप लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का परिणाम निम्नलिखित है :

विवरण	लेखाओं की संख्या		(रुपये लाख में)	
	सरकारी कम्पनियाँ		सरकारी कम्पनियाँ	
	कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील	अकार्यशील
हानि में बढ़ोत्तरी	2	2	535.81	1108.82

ऊपर दर्शायी गयी कुछ कम्पनियों एवं निगमों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान कुछ बड़ी भूल-चूक का उल्लेख नीचे किया गया है :

1.24.1 सरकारी कम्पनियों के मामले में पाए गए भूल-चूक

क्रमांक	कम्पनी का नाम	लेखाओं का वर्ष	भूल-चूक	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	1986-87	(अ) पुराने संदेहात्मक ऋणों पर प्रावधान नहीं (ब) अपूर्ण/स्थगित संयुक्त उपक्रम परियोजना पर खर्च किए गए पुराने अग्रिम पर प्रावधान नहीं (स) संदेहात्मक अग्रिम पर प्रावधान नहीं	1.61 2.64 4.45
2.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	1996-97	संदेहात्मक ऋणों की वसूली पर प्रावधान नहीं	5.01

1.24.2 सांविधिक निगमों के मामले में पाए गए भूल-चूक

सांविधिक निगम के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान कुछ बड़ी भूल-चूक का उल्लेख नीचे किया गया है :

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (1999-2000)

वर्ष 1999-2000 के दौरान बोर्ड के द्वारा गणना की गयी 922.04 करोड़ रुपये के घाटा को निम्नलिखित तथ्यों के कारण 79.42 करोड़ रुपये कम कर बताया गया है :

	(करोड़ रुपये में)
बढ़ा कर दिखाया गया ऊर्जा विक्रय से प्राप्त आय	1.52
कम कर दिखाया गया उत्पादन लागत	1.23
कम कर दिखाया गया मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	0.12
कम कर दिखाया गया कर्मचारी व्यय	2.73
कम कर दिखाया गया ह्रास और सम्बन्धित नामे की रकम (शुद्ध)	1.77
कम कर दिखाया गया ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	23.61
अन्य नामे की राशि	3.00
पूर्व अवधि की शुद्ध (नामे) प्रभार	0.51
बढ़ा कर दिखाया गया कुल ब्लाक	0.09
बढ़ा कर दिखाया गया पूँजीगत व्यय	2.50
चालू परिसम्पत्तियाँ	
बढ़ा कर दिखाया गया स्टॉक	1.00
बढ़ा कर दिखाया गया ऊर्जा आपूर्ति के विरुद्ध प्राप्य	34.75
बढ़ा कर दिखाया गया प्राप्य	6.34
कम कर दिखाया गया विविध अन्य वर्तमान देनदारी	0.25
कुल	79.42

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यचालन परिणाम का लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारण

1.25 1999-2000 तक तीन वर्षों के लिए बोर्ड के कार्यचालन परिणाम के लेखापरीक्षा द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित तथा बोर्ड के वार्षिक लेखाओं पर पृ. ले. प्र. में इंगित बड़ी अनियमितताओं तथा भूल-चूक को ध्यान में रखते हुए और सरकार से प्राप्य सहायिकी/आर्थिक सहायता को छोड़कर, बोर्ड का निवल बचत/घाटा एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल आर्थिक की प्रतिशतता निम्नलिखित होंगी :

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	व्योरा	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	लेखा-पुस्तिका के अनुसार निवल घाटा	326.88	2522.48	992.04
2.	राज्य सरकार से सहायिकी	707.16	483.07	629.00
3.	राज्य सरकार से सहायिकी के पूर्व निवल घाटा (1+2)	1034.04	3005.55	1621.04
4.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखा पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी के फलस्वरूप निवल बचत/(-) घाटा में निवल वृद्धि/ह्रास (-)	1611.40	990.71	79.42
5.	राज्य सरकार से सहायिकी के पूर्व तथा लेखापरीक्षा की टिप्पणी के अभिघट्टन को लेते हुए निवल बचत/(-) घाटा (3-4)	2645.44	3996.26	1700.46
6.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल*	16.96	(-)1928.24	(-)285.84
7.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	0.86	—	—

आंतरिक अंकक्षण/आंतरिक नियंत्रण

1.26 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (क) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी निर्देशों के पालन में सांविधिक अंकक्षक (सनदी लेखाकारों) को आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक अंकक्षण सहित विभिन्न पंहलुओं पर पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है और जिन क्षेत्रों पर सुधार की आवश्यकता है उसकी पहचान करना होता है।

सांविधिक अंकक्षकों के द्वारा प्राप्त किए गए सरकारी कम्पनियों के ऐसे 10 प्रतिवेदन जो कि 2002-2003 में अंतिम रूप दिये गये लेखाओं से संबंधित हैं, के विश्लेषण से पता चलता है कि तीन[#] कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं है। पाई गई कमियां निम्न प्रकार हैं :

- ◆ चूँकि निरंतर आंतरिक अंकक्षण का प्रचलन नहीं है, अंकक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कई वर्षों बाद किए जा रहे अंकक्षण में इंगित भूल या कमी को प्रबंधन द्वारा समय पर सुधार करने में सहायता नहीं मिलती।

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल निवल अधिकाई/हानि तथा लाभ एवं हानि लेखे पर भारित ब्याज (पूँजीकृत ब्याज को घटाकर) के योग का द्योतक है।

[#]

1. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
2. बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड
3. बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

- ◆ सामग्रियाँ, भंडार, वस्तु, संयंत्र एवं अन्य वस्तुओं के क्रय के मामलों में कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का अभाव है।
- ◆ आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का अनुसरण पर्याप्त नहीं है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं तथा समीक्षाओं के प्रत्युत्तर

1.27 लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए वैसी लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जिनका स्थल पर निराकरण नहीं हो पाता है निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सा. क्षे. उपक्रमों के प्रधान तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को सूचित किया जाता है। सा. क्षे. उपक्रमों के प्रधानों को अपने अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रत्युत्तर छः सप्ताह के कालावधि के अन्दर भेजना होता है। मार्च 2003 तक 54 सा. क्षे. उपक्रमों को निर्गत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि 1474 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 8288 कंडिकाएँ सितम्बर 2003 तक लम्बित पड़ी थीं। 30 सितम्बर 2003 तक लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों का विभागावार ब्यौरा परिशिष्ट-8 में वर्णित है।

उसी प्रकार, सा. क्षे. उपक्रमों के कार्यचालन पर प्रारूप कंडिकाएँ तथा समीक्षाएँ सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को तथ्यों एवं आँकड़ों की सम्पुष्टि एवं इन पर उनके छः सप्ताह के अन्दर मंतव्य के लिए अर्द्धशासकीय रूप में अग्रसारित किए जाते हैं। परन्तु यह देखा गया कि जून 2003 से सितम्बर 2003 तक की अवधि में विभिन्न विभागों को अग्रसारित 7 प्रारूप कंडिकाओं, एक लंबी कंडिका एवं 3 समीक्षा जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-9 में दी गयी है, के उत्तर अब तक नहीं दिए गए थे (सितम्बर 2003)।

यह अनुशंसा की जाती है कि (अ) सरकार वैसे अधिकारियों के विरुद्ध जो विहित समय अनुसूची के अनुसार, निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर भेजने में असफल होते हैं, कार्रवाई की प्रक्रिया का निर्धारण सुनिश्चित करे (ब) हानि/बकाए, अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से करे; तथा (स) लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर देने की प्रणाली को पुनरीक्षित करे।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार विमर्श की स्थिति

1.28 लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार विमर्श हेतु लम्बित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की सितम्बर 2003 तक की स्थिति निम्नलिखित है :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या		विचार विमर्श के लिए लम्बित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या	
	समीक्षाएँ	कंडिकाएँ	समीक्षाएँ	कंडिकाएँ
1981-82	4	8	3	0
1982-83	8	18	5	2
1983-84	4	34	3	8
1984-85	3	9	3	2
1985-86	3	21	3	5
1986-87	6	29	6	8

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित समीक्षाओं एवं कड़िकाओं की संख्या		विचार विमर्श के लिए लम्बित समीक्षाओं एवं कड़िकाओं की संख्या	
	समीक्षायें	कड़िकायें	समीक्षायें	कड़िकायें
1987-88	5	23	5	5
1988-89	4	44	4	10
1989-90	6	48	6	14
1990-91	4	39	4	6
1991-92	4	49	4	16
1992-93	5	31	5	10
1993-94	3	32	3	3
1994-95	3	19	3	4
1995-96	3	21	3	4
1996-97	3	21	3	18
1997-98	2	25	2	24
1998-99	6	15	6	15
1999-2000	3	15	3	15
कुल	79	501	74	169

वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) को क्रमशः 1 मार्च 2002 और 28 मार्च 2003 को वित्त आयुक्त के पास विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सौंपा गया। इन प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष अब तक नहीं रखा गया (सितम्बर 2003)। प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण विधायिका को राज्य के सा. क्षे. उ. पर वित्तीय नियंत्रण रखने से वंचित किया गया।

619-बी कम्पनियाँ

1.29 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(बी) के अन्तर्गत आठ कम्पनियाँ थी। इनमें से, छः कम्पनियों ने प्रारम्भ से ही अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया तथा इनको बन्द करने के लिए सोन कमाण्ड एरिया डेवलेपमेंट एजेन्सीज (एसकाडा) ने माननीय उच्च न्यायाल, पटना में सितम्बर 2000 में आवेदन दाखिल किया। इन कम्पनियों का नवीनतम लेखाओं के आधार पर संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम तथा प्रदत्त पूँजी, अंश पूँजी के रूप में निवेश, ऋणों तथा अनुदानों की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-10 में वर्णित है।

अध्याय – II

सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड के वसूली निष्पादन पर समीक्षा

मुख्य अंश

तकनीकी, प्रबंधकीय एवं वित्तीय सहायता देकर उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (कंपनी) का निगमन जनवरी 1975 में किया गया।

(कड़िका 2.1)

कुल वसूलनीय राशि से वसूली की प्रतिशतता 1998-99 में 3.04 से घटकर 2002-03 में 2.54 हो गया फलस्वरूप वसूलनीय राशि वर्ष 1998-99 में 304.94 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 544.91 करोड़ रुपये हो गयी।

(कड़िका 2.8)

122 चूककर्ता इकाइयों जिनके पास 421.42 करोड़ रुपये के कुल अतिदेय यानि 31 मार्च 2003 को 531.07 करोड़ रुपये के कुल अतिदेय का 79.35 प्रतिशत से 1998-99 से कोई वसूली नहीं की गई।

(कड़िका 2.8.1)

कम्पनी ने 32 इकाइयों (प्रत्येक के विरुद्ध 5 करोड़ रुपये एवं उसके ऊपर का बकाया) के विरुद्ध 236.91 करोड़ रुपये, बकाये ऋण एवं ब्याज जो कुल बकाये का 43.90 प्रतिशत था, की वसूली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया।

(कड़िका 2.8.2)

खराब वसूली निष्पादन के कारण कामयाब परिसम्पत्तियाँ 1997-98 में 27.26 करोड़ रुपये से घटकर 2001-02 में 13.64 करोड़ रुपये रह गई।

बद इकाइयों की संख्या 71 (31 मार्च 2000) से बढ़कर 142 (31 मार्च 2003) हो गई जिनके विरुद्ध वसूली की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

(कड़िका 2.8.3)

चूककर्ता ऋणी को ऋण की संस्वीकृति एवं भुगतान किये जाने के कारण कम्पनी 2.39 करोड़ रुपये की वसूली नहीं कर सकी।

(कड़िका 2.9.2)

531.07 करोड़ रुपये अतिदेयों वाले 201 चूककर्ता इकाइयों में से कम्पनी 54.39 करोड़ रुपये अतिदेयों वाले मात्र 28 इकाइयों का ही अधिग्रहण कर सकी।

(कड़िका 2.11)

प्रस्तावना

2.1 बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (कंपनी) का पूर्णतः अंगीकृत सरकारी कंपनी के रूप में जनवरी 1975 में निगमन किया गया।

कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं :

- तकनीकी, प्रबंधकीय एवं वित्तीय सहायता देकर मध्यम एवं बड़े उद्योगों का बढ़ावा, प्रोत्साहन, समन्वय, आयोजन एवं विकास,
- राज्य सरकार, सांविधिक निकाय, निगम, सार्वजनिक अथवा निजी कंपनी, फर्म या व्यक्ति के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों, परियोजनाओं या उद्यमों की स्थापना, चालन, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में सहायता करना और
- बिहार में उद्योगों के त्वरित एवं समेकित स्थापना, वृद्धि एवं विकास के लिए मुख्य विनियामक के रूप में कार्य करना।

संगठनात्मक ढाँचा

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है।

2.2 कंपनी का प्रबंधन एक निदेशक मंडल में निहित है। 31 मार्च 2003 को निदेशक मंडल में राज्य सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित पाँच निदेशक और आई. डी. बी. आई.* द्वारा नामित एक निदेशक सहित कुल छः निदेशक थे।

प्रबंध निदेशक कंपनी का मुख्य कार्यपालक होता है और जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय में प्रबंधक/उप-प्रबंधक होते हैं। कंपनी को मुख्यालय में ही स्थित प्रबंधक/उप-प्रबंधक के अधीनस्थ तीन वसूली अंचलों** में विभक्त किया गया है जो वसूली की स्थिति को सीधे प्रबन्ध निदेशक को प्रतिवेदित करते हैं।

यह देखा गया कि समीक्षा की अवधि में कुल छः प्रबंध निदेशक थे जिनके कार्यकाल दो से 19 महीने थे।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.3 कंपनी के कार्यचालन की विगत समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1994-95 में की गई थी। इस समीक्षा पर अभी तक लोक उपक्रम समिति में विचार-विमर्श नहीं किया गया है (सितम्बर 2003)।

जून से अगस्त 2003 में सम्पादित वर्तमान समीक्षा में कंपनी के ऋण वसूली निष्पादन के मूल्यांकन, जो कंपनी के मुख्यालय में संधारित 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के लेखाभिलेखों के नमूना जाँच पर आधारित है।

जनवरी 1994 से मार्च 2003 के दौरान संस्वीकृत किये गये 75 ऋण मामलों में से 24 मामलों की समीक्षा की गई। इन मामलों के नमूना जाँच के फलस्वरूप पाये गये

* इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया

** वसूली अंचल-I, वसूली अंचल-II, वसूली अंचल-III

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अक्टूबर 2003 में सरकार/कम्पनी को इस अनुरोध के साथ प्रतिवेदित किया गया कि वे लोक उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में शामिल हों जिससे कि समीक्षा को अंतिम रूप दिये जाने के पूर्व सरकार/प्रबंधन के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जा सके। उक्त बैठक 28 अक्टूबर 2003 को आयोजित किया गया जिसमें विशेष सचिव, उद्योग विभाग द्वारा सरकार का एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा कम्पनी का प्रतिनिधित्व किया गया। सरकार एवं प्रबंधन के दृष्टिकोणों पर विचारोपरान्त समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया है।

वित्तीय स्थिति एवं कार्य-चालन परिणाम

कंपनी ने वर्ष
1996-97 तक के
लेखाओं को ही अंतिम
रूप दिया है।

2.4 कम्पनी द्वारा 1996-97 तक के लेखाओं को ही अन्तिम रूप दिया गया है। वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक के पाँच वर्षों में औपबंधिक लेखाओं के आधार पर कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्य-चालन परिणाम को परिशिष्ट-11 में दर्शाया गया है।

वित्तीय सहायता एवं वसूली की प्रक्रिया

2.5 अपने कार्य निष्पादन हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए कम्पनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई नियमावली नहीं है। यद्यपि, कम्पनी आई. डी. बी. आई./ एस. आई. डी. बी. आई.* द्वारा अपनाई गई पद्धतियों को ही अपनाती रही है।

2.5.1 कम्पनी नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ वर्तमान इकाइयों के विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्त उपलब्ध कराती है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्रवर्तकों/निदेशकों के साथ से संबंधित कागजातों के साथ आवेदन देने पर लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजनाओं के तकनीकी एवं आर्थिक संभाव्यता की जाँच के लिए कम्पनी तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन करती है। ऋण की संस्वीकृति के पहले कम्पनी प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि, उत्पाद, उसकी विपणनीयता, परियोजना की संभाव्यता और ऋणी द्वारा वहन किये जाने वाली राशि पर विशेष ध्यान देती है एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर परियोजना से होने वाले अनुषंगी उद्योगों को प्रोत्साहन, रोजगार का सृजन, आमदनी, राज्य के राजस्व में योगदान इत्यादि लाभों का भी आकलन करती है। ऋण की संस्वीकृति निदेशक मंडल द्वारा की जाती है।

2.5.2 स्पष्ट स्वामित्व विलेख, भार मुक्ति प्रमाणपत्र और परियोजना की जमीन, संयंत्र एवं मशीनरी के बंधक-विलेख को सुनिश्चित कर लेने के पश्चात ही ऋण का भुगतान किया जाना है। ऋण की संस्वीकृति के पश्चात सहायता प्राप्त इकाई को एकरारनामा करना होता है। जमीन के अधिग्रहण का प्रमाण प्रस्तुत करने एवं प्रवर्तक द्वारा 50 से 100 प्रतिशत अंशदान करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ऋण की प्रथम किस्त को मुक्त किया जाता है। लेटर ऑफ़ इनटेन्ट के शर्तों का पालन, पहले इकाई के चल एवं अचल सम्पत्तियों को बंधक रखे जाने, प्रवर्तकों के अटल व बिना शर्त व्यक्तिगत गारंटी एवं वांछित राशि का समपार्श्विक प्रतिभूति प्रस्तुत किये जाने और परियोजना की संतोषजनक प्रगति पर भी संवितरण निर्भर करता है।

2.5.3 ऋणी इकाइयों को प्रत्येक छः माह में एक बार ब्याज का भुगतान करना होता है जो मार्च एवं सितम्बर में देय हो जाता है। सावधि ऋण की संस्वीकृति के समय अनुमोदित ऋण वापसी अनुसूची के आधार पर मूलधन की वापसी की जाती है। बकाये

* स्माल इन्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ़ इन्डिया

की वसूली हेतु ऋणी को मांगपत्र भेजा जाता है। ऋणी द्वारा चूक किये जाने पर राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 एवं 30 और पब्लिक डिमांड एण्ड रिकवरी (पी. डी. आर.) एक्ट, 1912 के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अनुसार कम्पनी को चूककर्ता ईकाइयों की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने का अधिकार है।

बकाये की वसूली हेतु अधिगृहीत इकाइयों को बेचा/निलाम किया जाता है। अधिगृहीत इकाइयों के परिसम्पत्तियों की बिक्री के बाद भी पूरे बकाये राशि की वसूली न हो पाने की स्थिति में प्रवर्तकों के समपार्श्विक प्रतिभूति एवं व्यक्तिगत गारंटी से बची हुई राशि को वसूला जाता है।

ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण

2.6 वर्ष 2002-03 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षों में सावधिक ऋण के आवेदनों की प्राप्ति, संस्वीकृति एवं संवितरण का एक तुलनात्मक विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में लंबित ऋण आवेदन	21	16.35	22	16.27	21	15.27	23	17.50	2	1.75
जोड़ : प्राप्त आवेदन	9	5.10	4	2.72	4	2.78	1	0.27	3	2.04
घटाव : कालांतरित/अस्वीकृत आवेदन	—	—	2	1.54	—	—	22	16.02	—	—
शुद्ध शेष	30	21.45	24	17.44	25	18.05	2	1.75	5	3.79
संस्वीकृत ऋण	8	5.18	3	2.17	2	0.55	—	—	2	1.75
संवितरित ऋण	12	3.48	6	1.82	7	2.54	4	1.04	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में लंबित आवेदन	22	16.27	21	15.27	23	17.50	2	1.75	3	2.04

वर्ष 2002-03 तक के विगत पाँच वर्षों में कम्पनी द्वारा संस्वीकृत एवं संवितरित ऋण क्रमशः 9.65 करोड़ रुपये एवं 8.88 करोड़ रुपये थे। तालिका से यह देखा जा सकता है कि ऋणों का संवितरण 1998-99 में 3.48 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में शून्य हो गया। संवितरण में कमी मुख्यतः ऋणियों द्वारा ऋण नहीं लिया जाना था।

संसाधन एवं निधियों का उपयोग

2.7 कम्पनी ने अपने ऋण-चालन के वित्तपोषण हेतु अपने संसाधन मुख्यतः ऋणियों से वसूली कर जुटाये थे। निम्न तालिका 2001-02 तक के पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संसाधनों के अन्तःस्त्राव एवं बहिःस्त्राव को दर्शाती है :-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
क. संसाधन :					
(i) आई. डी. बी. आई. पुनर्वित्त	0.83	—	—	—	—
(ii) एस. आई. डी. बी. आई. पुनर्वित्त	1.66	1.50	—	—	—
(iii) राज्य सरकार से ऋण	0.82	—	—	—	—
(iv) ऋण एवं ब्याज की वसूली	11.81	9.27	8.13	5.79	11.98
(v) आरंभिक बैंक शेष	2.85	1.61	1.02	3.44	2.36
(vi) आरंभिक आवधिक जमा	—	3.99	2.90	5.97	7.24
(vii) अन्य	—	—	1.20	—	0.01
कुल	17.97	16.37	13.25	15.20	21.59
ख. उपयोग :					
(i) ऋण का संवितरण	3.62	3.48	1.82	2.54	1.04
(ii) आई. डी. बी. आई. को पुनर्भुगतान	3.02	1.18	0.71	0.01	2.00
(iii) एस. आई. डी. बी. आई. को पुनर्भुगतान	3.58	6.70	1.31	—	1.00
(iv) बैंक अन्त शेष	1.61	1.02	3.44	2.36	4.10
(v) आवधिक जमा का अन्तशेष	3.99	2.90	5.97	7.24	12.27
(vi) अन्य	2.15	1.09	—	3.05	1.18
कुल	17.97	16.37	13.25	15.20	21.59

कम्पनी 3.92 करोड़ रुपये से लेकर 16.37 करोड़ रुपये तक के रोकड़ रखे रही।

यद्यपि मार्च 2002 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी 3.92 करोड़ रुपये से लेकर 16.37 करोड़ रुपये तक के रोकड़ को रखते हुए भी इसका उपयोग राज्य सरकार से लिए गये उधारों के पुनर्भुगतान में नहीं किया।

वसूली निष्पादन

वसूलियाँ एवं चूक

2.8 वर्ष 2002-03 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान देय ऋण की वसूली, वसूली के लिए नियत लक्ष्य, वसूली गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1.	वर्ष के आरंभ में वसूलनीय राशि (ब्याज सहित)	245.52	295.67	338.94	410.84	485.16
2.	वर्ष के दौरान वसूलनीय राशि (ब्याज सहित)	59.42	51.40	77.69	86.30	59.75
3.	कुल वसूलनीय राशि	304.94	347.07	416.63	497.14	544.91
4.	वसूली के लिए नियत लक्ष्य	12.00	12.00	12.00	14.00	35.00
5.	वसूलनीय राशि से लक्ष्य की प्रतिशतता	3.94	3.46	2.88	2.82	6.42
6.	वसूली गई कुल राशि (ब्याज सहित)	9.27	8.13	5.79	11.98	13.84

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
7.	वर्ष के अंत में बकाया राशि (ब्याज सहित)	295.67	338.94	410.84	485.16	531.07
8.	वसूली की प्रतिशतता :					
	(क) वसूलनीय राशि से	3.04	2.34	1.39	2.41	2.54
	(ख) लक्ष्य से	77.25	67.75	48.25	85.50	39.57

ऊपर दी गयी तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

वसूली के लिये रखा गया लक्ष्य काफी कम था।

- वर्ष 2002-03 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान, वसूली के लिये रखा गया लक्ष्य काफी कम और कुल वसूलनीय राशि का 2.82 से 6.42 प्रतिशत के बीच था। वास्तविक वसूली कुल वसूलनीय राशि का 1.39 से 3.04 प्रतिशत के बीच था। परिणामतः विपुल राशि अवरुद्ध और उसका पुनर्उपयोग बाधित रहा।

कम्पनी अपने वसूली के लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त किया।

- लक्ष्य से वास्तविक वसूली की प्रतिशतता 1998-2003 के दौरान 39.57 से 85.50 के बीच थी। इस प्रकार कम्पनी अपने द्वारा तय किए गए न्यून लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकी।
- पुराने तथा चालू बकायों की वसूली हेतु कम्पनी ने पृथक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया था। पुराने तथा चालू बकायों की वसूली के लिए कम्पनी ने कोई पृथक खाता नहीं रखा था।

कम्पनी ने कहा कि बीच की अवधि में निपटारा नीति की अनुपलब्धता, औद्योगिक मंदी एवं वर्ष 2000 में बिहार राज्य का बँटवारा लक्ष्य अप्राप्ति के कारण थे।

कम्पनी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी निपटारा नीति बनाने एवं तय करने में विफल रही। इसके अलावा, राज्य के बँटवारा के पूर्व भी वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं थी।

अतिदेयों का वर्षवार ब्योरा

2.8.1 कम्पनी ने अपने अतिदेयों की उम्र का विश्लेषण नहीं किया है। स्थापना से लेकर 31 मार्च 2003 तक कम्पनी ने 285.64 करोड़ रुपये के ऋण को संस्वीकृत एवं 160.22 करोड़ रुपये के ऋण को संवितरित* किया और 2.69 करोड़ रुपये का असंवितरित प्रतिबद्धता बची रही। 2002-03 तक के विगत पाँच वर्षों के बकायों¹ राशि एवं अतिदेयों² की स्थिति नीचे की तालिका में दर्शायी गई है।

* $122.73 \text{ करोड़ रुपये कालातित एवं रद्द कर दिये गये}$
 $\{285.64 \text{ करोड़ रुपये} - (160.22 \text{ करोड़ रुपये} + 2.69 \text{ करोड़ रुपये})\}$

¹ संवितरित ऋण की राशि जोड़ ब्याज घटाव लौटाई गई राशि

² पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य हो गये मूलधन एवं ब्याज की राशियाँ।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	इकाइयों की संख्या	बकाया मूलधन	अतिदेय मूलधन	अतिदेय ब्याज	कुल अतिदेय	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3+5)
1998-99	221	130.78	85.12	210.55	295.67	341.33
1999-2000	223	131.41	90.59	248.35	338.94	379.76
2000-01	219	129.72	103.72	307.12	410.84	436.84
2001-02	219	129.72	112.39	372.77	485.16	502.49
2002-03	201	119.84	110.08	420.99	531.07	540.83

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है :

- 31 मार्च 2003 को 201 इकाइयों के विरुद्ध 540.83 करोड़ रुपये बकाया में से 531.07 करोड़ रुपये अतिदेय हो गया था।
- 201 चूककर्ता इकाइयों में से, 1998-99 से अबतक 122 इकाइयों का 421.42 करोड़ रुपये का कुल अतिदेय जो 31 मार्च 2003 तक के कुल अतिदेय का 79.35 प्रतिशत है, अब तक कुछ भी नहीं वसूला गया।
- 122 इकाइयों में से 18.14 करोड़ रुपये अतिदेयों वाले केवल नौ इकाइयों (1996-97 के दौरान दो एवं 2002-03 के दौरान सात) को ही अधिगृहीत किया गया। यह एस. एफ. सी. एक्ट, 1951 और पी. डी. आर. एक्ट, 1912 के तहत अतिदेय राशि की वसूली करने में प्रबंधन की प्रभावहीनता को दर्शाती है।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि इसने इकाइयों का अधिग्रहण नहीं किया क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा के मद में भारी खर्च करना पड़ता। उत्तर एस.एफ.सी. एक्ट, 1951 के प्रावधानों से सामन्जस्यपूर्ण नहीं है।

2.8.2 31 मार्च 2003 को कम्पनी के लंबित बकायों का मूल्य के अनुसार वर्गीकरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	झारखण्ड की इकाइयों सहित कुल बकाया		झारखण्ड राज्य में स्थित इकाइयों के विरुद्ध बकाया	
1.	एक करोड़ रुपये से कम के ऋण एवं ब्याज का बकाया	57	25.08	24	9.83
2.	एक करोड़ रुपये लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम के ऋण एवं ब्याज का बकाया	112	278.84	46	112.78
3.	5 करोड़ रुपये एवं उसके ऊपर के ऋण एवं ब्याज का बकाया	32	236.91	14	108.80
	कुल	201	540.83	84	231.41

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि :

- 31 मार्च 2003 को प्रत्येक 5 करोड़ रुपये एवं उसके ऊपर बकाया वाले 32 इकाइयों के यहाँ ऋण एवं ब्याज के रूप में 236.91 करोड़ रुपये, जो कुल बकाये का 43.80 प्रतिशत था, के वसूली हेतु कम्पनी ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया।

201 इकाइयों में से 421.42 करोड़ रुपये यानि कुल अतिदेयों का 79.35 प्रतिशत बकाया वाले 122 इकाइयों से 1998-99 से कुछ भी नहीं वसूला गया है।

32 इकाइयों में से प्रत्येक के विरुद्ध 5 करोड़ रुपये से ऊपर का बकाया था।

कुल 201 इकाइयों के यहाँ 540.83 करोड़ रुपये के बकाये में से 231.41 करोड़ रुपये झारखण्ड स्थित 84 इकाइयों के विरुद्ध है।

- बिहार के बँटवारा (नवम्बर 2000) के बाद, 231.41 करोड़ रुपये (कुल बकाये का 42.79 प्रतिशत) बकाया वाले 84 ईकाई अब झारखण्ड राज्य में अवस्थित है। प्रबंधन के इस उत्तर (अक्टूबर 2003) के मद्देनजर, कि चूककर्ता इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करने में कम्पनी को झारखण्ड सरकार के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, इन ईकाईयों से बकायों की वसूली हो पाना संदिग्ध प्रतीत होता है।

उपरोक्त के मद्देनजर बिहार सरकार को अब झारखण्ड में अवस्थित इन इकाइयों से अपने बकायों की वसूली हेतु झारखण्ड सरकार के पास मामले को उठाना चाहिए।

बकाये ऋणों का वर्गीकरण

2.8.3 वित्तीय निगमों के मामले में, वसूली की संभावनाओं के आधार पर आई. डी. बी. आई. ने ऋणों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया (मार्च 1994) था।

- मानक परिसम्पत्तियाँ : जहाँ पुनर्भुगतान नियमित है।
- अवमानक परिसम्पत्तियाँ : जहाँ ऋण के साथ-साथ ब्याज एक वर्ष से ऊपर लेकिन दो वर्षों की अवधि तक अतिदेय रहता है।
- संदिग्ध परिसम्पत्तियाँ : जहाँ ऋणों के साथ-साथ ब्याज दो वर्षों के बाद तक अतिदेय रहता है।
- हानि - परिसम्पत्तियाँ : वे ऋण जिनके लिये हानि को चिह्नित किया गया। लेकिन पूर्णतः या आंशिक रूप से अपलेखित नहीं किया गया।

तथापि, आई.डी.बी.आई. के दिशा निर्देशों के अनुसार कम्पनी ने ऋणों के संबंध में अभिलेखों/आँकड़ों को संधारित नहीं किया था। कम्पनी द्वारा संधारित बकाये ऋणों के वर्गीकरण का ब्यौरा निम्नतालिका में है :

वर्ष	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	(करोड़ रुपये में)				
						कुल की प्रतिशतता				
	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
कामयाब परिसम्पत्तियाँ (मानक परिसम्पत्तियाँ)	27.26	21.70	17.47	18.45	13.64	18.82	18.43	14.95	14.74	11.12
बेकामयाब परिसम्पत्तियाँ (अवमानक परिसम्पत्तियाँ)	12.95	12.63	11.67	15.43	12.11	8.94	10.72	9.99	12.33	9.88
चूककर्ता : 3 वर्षों से कम के लिए	19.79	19.35	21.76	10.76	16.02	13.66	16.43	18.63	8.59	13.06
3 वर्षों से ऊपर के लिए	60.31	61.77	60.28	77.23	76.71	41.64	52.46	51.60	61.69	62.54
हानि परिसम्पत्तियाँ	24.54	2.31	5.65	3.32	4.17	16.94	1.96	4.83	2.65	3.40
कुल बेकामयाब परिसम्पत्तियाँ	117.59	96.06	99.36	106.74	109.01	81.18	81.57	85.05	85.26	88.88
कुल ऋण परिसम्पत्तियाँ	144.85	117.76	116.83	125.19	122.65					

ऊपर की तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

खराब वसूली के कारण कामयाब परिसम्पत्तियाँ 1997-98 में 27.26 करोड़ रुपये से घटकर 2001-02 में 13.64 करोड़ रुपये हो गई।

मानक परिसम्पत्तियाँ, अवमानक परिसम्पत्तियाँ, तीन वर्षों से कम के चूककर्ता घटकर क्रमशः 27.26 करोड़ रुपये से 13.64 करोड़ रुपये, 12.95 करोड़ रुपये से 12.11 करोड़ रुपये एवं 19.79 करोड़ रुपये से 16.02 करोड़ रुपये हो गये जबकि तीन वर्षों से अधिक के चूककर्ता 1997-98 में 60.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 2001-02 में 76.71 करोड़ रुपये हो गये जो मानक परिसम्पत्तियाँ, अवमानक परिसम्पत्तियाँ एवं तीन वर्षों से कम के चूककर्ताओं के तीन वर्षों से ऊपर के चूककर्ताओं के संदर्भ में अनवरत गिरावट को दर्शाती है जो खराब वसूली निष्पादन का द्योतक है।

प्रबंधन ने इस खराब वसूली के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। तथापि, लेखापरीक्षा को यह परिलक्षित हुआ कि ऋणी इकाइयों के कार्यप्रदर्शन को दुष्प्रभावित करने वाले कारकों एवं उनसे ऋण वसूली की संभावनाओं की उच्च प्रबंधन द्वारा मामला दर मामला की नियमित समीक्षा की कोई प्रणाली कम्पनी ने विकसित नहीं की थी।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि वसूली अधिकारियों से परामर्श लेकर ऋण की स्थिति की सावधिक समीक्षा प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है। इस समीक्षा के आधार पर चूककर्ता ईकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

बंद इकाइयों की संख्या 71 से बढ़कर 142 हो गई जिनके विरुद्ध वसूली की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 31 मार्च 2000 को बंद इकाइयों की संख्या 71 थी जो 31 मार्च 2003 को बढ़कर 142 हो गई लेकिन प्रबंधन ने इन बंद इकाइयों से बकाया वसूली हेतु कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

निम्न वसूली / वसूली न होने के कारण

2.9 खराब वसूली/वसूली न होने का प्रत्यक्ष संबंध अपूर्ण एवं अनुचित संस्वीकृति पूर्व मूल्यांकन और संवितरण पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई से है। संस्वीकृति पूर्व मूल्यांकन एवं संवितरण पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई की त्रुटियाँ बाद में वसूली की स्थिति को प्रभावित करती हैं। दिसम्बर 1992 से मार्च 2001 के दौरान 7.38 करोड़ रुपये के संस्वीकृत ऋण के दस मामलों के नमूना जाँच के क्रम में पायी गई त्रुटियों की चर्चा अनुवर्ती कण्डिकाओं में की गई है :

अनुचित अनुवीक्षण के कारण निधि का गैर मदों में उपयोग

2.9.1 कम्पनी ने गृहस्थ कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड (इकाई) को पुसौली, भभुआ में बर्फ संयंत्र के साथ एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु 85 लाख रुपये, जिसे घटाकर (दिसम्बर 1998) 75 लाख रुपये किया गया, का आवधिक ऋण संस्वीकृत (मार्च 1998) किया। तदुपरान्त, कम्पनी ने 15 लाख रुपये का एक अतिरिक्त आवधिक ऋण को संस्वीकृत किया (मार्च 2001)। इस 90 लाख रुपये की आवधिक ऋण का पूरा भुगतान मार्च 1999 से जनवरी 2002 के दौरान किया गया।

कोल्ड स्टोरेज की स्थापना अप्रैल 2002 में पूर्ण हुई। इकाई ऋण के पुनर्भुगतान में नियमित नहीं थी और 31 मार्च 2003 को इसके विरुद्ध 1.05 करोड़ रुपये (मूलधन : 88.34 लाख रुपये, ब्याज : 16.90 लाख रुपये) की राशि बकाया थी।

अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में निम्नलिखित तथ्य पाये गये :

कम्पनी ने ऋणी को उपस्करों के आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने हेतु 43.29 लाख रुपये का संवितरण (मार्च/अप्रैल 1999) किया। कम्पनी की विहित प्रक्रिया की अवहेलना

करते हुए ऋणी ने 43.29 लाख रुपये में से जून 2000 तक 27.12 लाख रुपये आपूर्तिकर्ता से वापस ले लिया। तथापि, इसके बावजूद, कम्पनी ने उसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने हेतु पुनः ऋणी को 24.61 लाख रुपये का संवितरण (जनवरी 2002) कर दिया।

ऋण के संस्वीकृति एवं संवितरण के समय प्रवर्तकों के आय स्तर का आकलन समुचित ढंग से नहीं किया गया।

प्रवर्तकों के साख की छानबीन समुचित ढंग से नहीं की गई। वैसी परियोजना (पुनरीक्षित लागत : 1.96 करोड़ रुपये) के लिए 90 लाख रुपये का संस्वीकृति/संवितरण किया गया जिसमें 1.06 करोड़ रुपये का योगदान/व्यवस्था वैसे प्रवर्तकों के द्वारा किया जाना था जिनका निर्धारित आय स्तर "शून्य" से 49500/- रुपये प्रतिवर्ष के बीच था।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि ऋण की संस्वीकृति के पूर्व प्रवर्तकों के साख को ध्यान में रखा गया था।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने प्रवर्तकों के निर्धारित आय को नजरअंदाज कर दिया जो परियोजना को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मृदु ऋण/सहायिकी पर निर्भर थे। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के समय एवं लागत में बढ़ोतरी हो गई।

इकाई ने भारी लेन-देन नगद में किया।

आगे की छानबीन से यह तथ्य सामने आया कि इकाई ने अधिकांश भुगतान समुचित प्रमाणक/रसीद के बिना ही नगद में किया और समतुल्य अंश पूँजी (40 लाख रुपये), अंश पूँजी आवेदन राशि (9.78 लाख रुपये) एवं ब्याज-रहित अप्रतिभूत ऋण (21.75 लाख रुपये) की प्राप्तियों को भी नगद में दर्शाया गया। यद्यपि नगद लेन-देन की इस पद्धति में निधियों के दुर्विनियोजन की गुंजाईश थी, कम्पनी ने ऋण का संवितरण कर दिया।

इस प्रकार, कम्पनी ने ऐसी इकाई (प्रवर्तकों/निदेशकों) को ऋण का संस्वीकृति दी एवं संवितरण किया जिनके कृत्य शुरू से ही संदिग्ध थे और जो अंततः चूककर्ता सिद्ध हुए। अतिदेय मूलधन एवं ब्याज के मद में कोई भुगतान नहीं किया गया है।

चूककर्ता प्रवर्तकों को आवधिक ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण

85 लाख रुपये के आवधिक ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण वैसे प्रवर्तक को कर दिया गया जो चूककर्ता थे।

2.9.2 कम्पनी ने अक्षय टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड (इकाई) को प्रथम संवितरण की तिथि (5 नवंबर 1992) से साढ़े तीन वर्षों के अधिस्थगन काल के साथ 85 लाख रुपये के एक आवधिक ऋण को संस्वीकृत (मार्च 1992) किया, जिसका पुनर्भुगतान मई 1996 से शुरू होना था। लेखापरीक्षा छानबीन के दौरान यह पाया गया कि ऋणी ऋण के पुनर्भुगतान में चूककर्ता* हो गया (जनवरी 1997)।

प्रवर्तक के चूककर्ता होने की बात को पूरी तरह जानने के बावजूद कम्पनी ने उसी प्रवर्तक को अक्षय रौल मिल प्राइवेट लिमिटेड के लिए उसी परिसर में एक रौलिंग मिल की स्थापना हेतु 90 लाख रुपये (जनवरी 1997) का एक आवधिक ऋण संस्वीकृत कर दिया। 90 लाख रुपये के इस पूरे आवधिक ऋण को मार्च 1997 से जून 1998 के दौरान संवितरित किया गया। हालाँकि, इकाई को स्थापित नहीं किया जा सका (मार्च 2003)।

* 14.14 लाख रुपये (मूलधन : 7.90 लाख रुपये एवं ब्याज : 6.24 लाख रुपये) अतिदेय था (जनवरी 1997)।

31 मार्च 2003 को कुल अतिदेय 2.39 करोड़ रुपये (मूलधन : 0.76 करोड़ रुपये और ब्याज : 1.63 करोड़ रुपये) था जिसमें से कम्पनी कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं कर सकी।

इसके अलावा, निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :

कुल 1.75 करोड़ रुपये के दो आवधिक ऋणों को एक ही भू-खण्ड के विरुद्ध संस्वीकृत एवं संवितरित कर दिया गया।

- 90 लाख रुपये के आवधिक ऋण का संवितरण उस जमीन के विरुद्ध किया गया जो अक्षय टेक्नोलॉजी को दिये गये 85 लाख रुपये के आवधिक ऋण के विरुद्ध पहले से ही बिहार राज्य वित्तीय निगम, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम के पास बंधक पड़ा था। इस प्रकार, एक ही जमीन के विरुद्ध कुल 1.75 करोड़ रुपये के दो आवधिक ऋणों को संस्वीकृत एवं संवितरित किया गया।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि जमीन के मूल्य को अक्षय टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के परियोजना के लिए लिया गया जबकि उसके विकास के लागत को अक्षय रौल मिल प्राईवेट लिमिटेड के परियोजना के मद में विचारित किया गया। इस प्रकार जमीन का मूल्य एक ही बार एवं एक ही परियोजना के लिए विचारित किया गया। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जमीन केवल अक्षय टेक्नोलॉजी की ही थी जो पहले से ही वित्तीय संस्थानों के पास बंधक पड़ी थी।

प्रवर्तकों के व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के सत्यापन के बिना ही ऋण का संवितरण कर दिया गया।

90 लाख रुपये के पूरे आवधिक ऋण को प्रवर्तकों के अपुष्ट/असत्यापित व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के आधार पर बिना किसी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व के साक्ष्य, मूल्यांकन प्रमाण पत्रों इत्यादि के संवितरण कर दिया गया। इस प्रकार 2.39 करोड़ रुपये की वसूली संदिग्ध हो गयी।

कार्यशील पूँजी को सुनिश्चित किये बिना आवधिक ऋणों की संस्वीकृति

2.9.3 कम्पनी ने शिवराज माडर्न राईस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड को रोहतास में एक स्वचालित चावल मिल की स्थापना हेतु 51 लाख रुपये का एक आवधिक ऋण संस्वीकृत किया (जनवरी 1994)। जून 1995 से मई 1998 के दौरान चरणों में 50.40 लाख रुपये की राशि का संवितरण ऋणी इकाई को किया गया। यद्यपि कम्पनी ने कार्यशील पूँजी की संस्वीकृति से संबंधित आश्वासन पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त लगा रखी थी लेकिन प्रवर्तकों द्वारा आवधिक ऋण के भुगतान से पहले किसी बैंक से कार्यशील पूँजी के संस्वीकृति के संबंध में कोई अटल आश्वासन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। तथापि, कम्पनी ने कार्यशील पूँजी की संस्वीकृति से संबंधित बैंक के अटल आश्वासन के बिना ही पूरे आवधिक ऋण को मुक्त कर दिया। इकाई व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं कर सका।

कार्यशील पूँजी को निश्चित किये बिना आवधिक ऋणों की संस्वीकृति और संवितरण के कारण 1.65 करोड़ रुपये बकाये की वसूली नहीं हुई।

इस प्रकार, कार्यशील पूँजी की उपलब्धता का आकलन किये बिना ही 50.40 लाख रुपये का संवितरण कर देने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2003 को 1.14 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 1.65 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध हो गई।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि सामान्यतः परियोजना के कार्यान्वयन से पहले कार्यशील पूँजी संस्वीकृत नहीं की जाती है। कार्यशील पूँजी ऋण की संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु परियोजना का कार्यान्वित हो जाना आवश्यक है। परियोजना के कार्यान्वयन से पहले संयुक्त आकलन एवं कार्यशील पूँजी ऋण की संस्वीकृति व्यवस्था कम्पनी में नहीं अपनाई जाती है। तथापि, कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करना मूलतः प्रवर्तकों की जिम्मेवारी है।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऋणी से पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु ऋण के संवितरण के पूर्व कार्यशील पूँजी की उपलब्धता को आकलित एवं सुनिश्चित कर लेना कम्पनी के हित में था।

2.9.4 कम्पनी ने बिन्ध्यवासिनी बी हाईभ हार्डकोक प्राईवेट लिमिटेड को धनबाद में एक मेटालर्जिकल कोक उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु 86 लाख रुपये के एक आवधिक ऋण को संस्वीकृत किया (जनवरी 1997)। सितम्बर 1997 से अगस्त 1998 के बीच पूरे आवधिक ऋण का संवितरण ऋणी इकाई को कर दिया गया। आवधिक ऋण का पुनर्भुगतान सितम्बर 1999 से शुरू होना था।

फरवरी 2001 में प्रवर्तकों ने यह सूचित किया कि इकाई ब्रेक इभेन प्वाइंट के नीचे चल रहा है और बैंक द्वारा कार्यशील पूँजी उपलब्ध नहीं कराये जाने के अभाव में नगद हानि उठा रहा है।

कार्यशील पूँजी को सुनिश्चित किये बिना ही आवधिक ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण के परिणामस्वरूप 2.10 करोड़ का बकाया बिना वसूली का रह गया।

ऋण एवं उसके ब्याज की वापसी में शुरू से ही इकाई चूककर्ता हो गयी थी। 31 मार्च 2003 तक 1.24 करोड़ रुपये के ब्याज सहित कम्पनी का कुल बकाया बढ़कर 2.10 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार, कार्यशील पूँजी की व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना ही कम्पनी ने ऋण का संवितरण कर दिया और बैंक द्वारा कार्यशील पूँजी नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारणों का छानबीन नहीं किया। दो वर्षों के विलम्ब के बाद 16 जनवरी 2002 को कम्पनी ने इकाई को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 एवं 30 के तहत नोटिस जारी किया और वर्ष 2003 में सर्टिफिकेट केस शुरू किया। इसप्रकार, कार्यशील पूँजी की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना ऋण को संस्वीकृत किये जाने के परिणामस्वरूप 2.10 करोड़ रुपये का बकाया बिना वसूली का रह गया।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि परियोजना पर्याप्त कार्यशील पूँजी के अभाव में विफल हो गयी और कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करना मूलतः प्रवर्तकों की जिम्मेवारी है। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ऋणी इकाई को चलाने के लिए कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को द्रष्टांकित करने में विफल रही।

कार्यशील पूँजी को सुनिश्चित किये बिना आवधिक ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण के परिणामस्वरूप 1.06 करोड़ रुपये का बकाया बिना वसूली के रह गया।

2.9.5 कम्पनी ने मारुति आयरन स्टील प्राईवेट लिमिटेड (इकाई) को उपस्कर-वित्त योजना (ई एफ एस) के तहत उसके रौलिंग मिल हेतु प्लांट एवं मशीनरी की खरीद के लिए 26 लाख रुपये के एक आवधिक ऋण को संस्वीकृत किया (दिसम्बर 1994) और इस आवधिक ऋण को मार्च से जून 1995 के बीच संवितरित कर दिया। ऋण की वापसी प्रथम संवितरण की तारीख से 12 महीने बाद यानि मार्च 1996 से शुरू होना था लेकिन इकाई चूककर्ता हो गया और मूलधन एवं ब्याज के मद में कोई राशि का भुगतान नहीं किया। 31 मार्च 2003 को इकाई के विरुद्ध 1.06 करोड़ रुपये (मूलधन : 26 लाख रुपये एवं ब्याज : 79.76 लाख रुपये) का अतिदेय था।

इकाई के कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता पर विचार करने में कम्पनी विफल रही क्योंकि खरीदा गया प्लांट एवं मशीनरी आवश्यक कार्यशील पूँजी के अभाव में नहीं चल सके।

आगे की लेखापरीक्षा छानबीन से यह तथ्य सामने आया कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के तहत कम्पनी ने वसूली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। प्रथम चूक में पाँच से अधिक वर्षों के बाद जनवरी 2002 में कम्पनी ने नोटिस जारी किया और इकाई का अधिग्रहण किये बिना ही इसे बिक्री हेतु विज्ञापित कर दिया। तथापि, इकाई की परिसम्पत्तियों को खरीदने के लिए कोई भी खरीददार सामने नहीं आया।

इसप्रकार, कार्यशील पूँजी को सुनिश्चित करने में कम्पनी की विफलता एवं वसूली की कार्रवाई में विलम्ब के परिणामस्वरूप बकाया बिना वसूली का रह गया।

2.9.6 कम्पनी ने पेरीवाल केमिकल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को राँची में सिन्थेटिक कैफीन, थियोफाईलिन एवं एसीटीक एसीड के उत्पादन इकाई लगाने हेतु 75 लाख रुपये का एक आवधिक ऋण (दिसम्बर 1992) और आगे 10 लाख रुपये का एक अतिरिक्त ऋण (जून 1998) संस्वीकृत किया। संस्वीकृत आवधिक ऋण के विरुद्ध इकाई ने मार्च 1995 से जनवरी 1999 के बीच 79 लाख रुपये प्राप्त किया। व्यावसायिक उत्पादन के पूर्व नियत समय अक्टूबर 1993 के विरुद्ध जाँच-उत्पादन जून 1996 में ही शुरू हो पाया। कार्यशील पूँजी की अनुपलब्धता के कारण इकाई व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने में विफल हो गई। इकाई के चूककर्ता हो जाने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2003 तक बकाया बढ़कर 1.39 करोड़ रुपये के ब्याज सहित, 2.01 करोड़ रुपये हो गया।

अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :

ऋण के संवितरण हेतु पुराने पत्र (6 वर्ष पुराने) का संज्ञान लिया गया।

- ऋणी इकाई को कार्यशील पूँजी की व्यवस्था पर विचार किये जाने से संबंधित एक व्यावसायिक बैंक के एक पुराने पत्र (मार्च 1989) का संज्ञान लेते हुए कम्पनी ने 35 लाख रुपये के प्रथम किस्त का संवितरण कर दिया (मार्च 1995)।
- इकाई ने मार्च 1995 से मार्च 1998 के बीच 75 लाख रुपये के संस्वीकृत ऋण में से 69 लाख रुपये का उपयोग किया। निर्माण अवधि के ब्याज के रूप में प्रावधान किये गये 11.50 लाख रुपये के विरुद्ध कम्पनी ने 69 लाख रुपये में से 24.48 लाख रुपये ब्याज के रूप में समायोजित कर लिया। इसके परिणामस्वरूप इकाई को वित्तीय अभाव हो गया।

निर्माण अवधि के ब्याज के आस्थगन पर विचार नहीं किये जाने से वित्तीय अभाव हो गया।

इस पर विचार करते हुए कम्पनी ने 10 लाख रुपये का अतिरिक्त आवधिक ऋण संस्वीकृत (जून 1998) कर उसे जनवरी 1999 में संवितरित किया। तथापि, दूसरे मामलों में ऐसे ब्याजों पर कम्पनी ने आस्थगन की अनुमति प्रदान की थी।

संवितरण अवधि लम्बी होने के कारण परियोजना लागत में भारी वृद्धि एवं कार्यशील पूँजी का अभाव हो गया।

- संवितरण की अवधि लम्बी होने के कारण परियोजना लागत 1.35 करोड़ रुपये (1993) से बढ़कर 1.58 करोड़ रुपये (1998) हो गयी। कार्यशील पूँजी के अभाव में ऋणी इकाई अत्यल्प उत्पादन बनाये रखने को बाध्य हो गई और जनवरी 1999 में 10 लाख रुपये के अतिरिक्त आवधिक ऋण प्राप्त करने के बाद भी व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं कर सकी।
- यद्यपि एक व्यावसायिक बैंक ने फरवरी एवं दिसम्बर 1998 में इकाई को 25 लाख रुपये के कार्यशील पूँजी की संस्वीकृति की सूचना दी, उक्त बैंक ने बाद में मई 1999 में ऋणी इकाई को कार्यशील पूँजी मुक्त नहीं किया। कोई विकल्प न होने के कारण ऋणी इकाई के प्रवर्तकों ने कारखाने को बंद कर दिया और मई 2000 में कम्पनी को इकाई की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लेने का अनुरोध किया। अंततः, 21 महीने बीत जाने पर कम्पनी ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 एवं 30 के तहत नोटिस जारी किया (फरवरी 2002) और 2002-03 के दौरान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत माँग दाखिल किया।

कार्यशील पूँजी के अभाव में इकाई के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप 2.01 करोड़ रुपये अवरुद्ध हो गये।

इस तरह, कार्यशील पूँजी को सुनिश्चित किये बिना ऋण का संवितरण कर देने के परिणामस्वरूप इकाई की बंदी और कम्पनी का 2.01 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध हो गई।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि निर्माण अवधि में अथवा उत्पादन के बाद ब्याज की वसूली का आस्थगन योग्यता के आधार पर कम्पनी एवं परियोजना के हित में किया जाता है।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण अवधि के ब्याज का आस्थगन नहीं किये जाने से कार्यशील पूँजी का अभाव हो गया जो परियोजना एवं कम्पनी के हित के विरुद्ध था।

असंभाव्य परियोजना को आवधिक ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण

असंभाव्य परियोजना को ऋण संस्वीकृत कर देने से 77.24 लाख रुपये की निधि अवरुद्ध हो गई।

2.9.7 कम्पनी ने श्री जय लाल प्रसाद द्वारा प्रवर्तित जय गंगा प्राईवेट लिमिटेड को हाजीपुर में बटन मशरूम की खेती एवं प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु 60 लाख रुपये का एक आवधिक ऋण संस्वीकृत किया (मार्च 1997) और जून 1999 से नवम्बर 2000 के बीच 53.50 लाख रुपये का संवितरण कर दिया। ऋण का पुनर्भुगतान दिसम्बर 2000 से शुरू होना था लेकिन मूलधन एवं ब्याज के मद में कोई भी राशि का भुगतान करने में इकाई विफल रही। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत नोटिस जारी किया (अगस्त 2002) और पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1912 की धारा 5 के तहत सर्टीफीकेट अधिकारी, पटना को सर्टीफीकेट हेतु मांगपत्र दाखिल किया। 31 मार्च 2003 को इकाई के विरुद्ध 77.24 लाख रुपये का बकाया था (मूलधन : 53.50 लाख रुपये एवं ब्याज : 23.74 लाख रुपये)।

यह परिलक्षित हुआ कि परियोजना के तकनीकी एवं आर्थिक सम्भाव्यता के आकलन करने में कम्पनी विफल रही क्योंकि बिहार में बटन मशरूम की खेती ऋतु-पर्यन्त होती है (शरद ऋतु-तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस) और वर्ष-पर्यन्त उत्पादन हेतु वातानुकूलन संयंत्र की आवश्यकता थी जिसके कारण उत्पादित मशरूम का लागत मूल्य बढ़ जाता जिससे परियोजना आर्थिक रूप से असंभाव्य हो जाती।

इस तरह, तकनीकी एवं आर्थिक रूप से असंभाव्य परियोजना को ऋण संस्वीकृत एवं संवितरित करने के परिणामस्वरूप 77.24 लाख रुपये की निधि अवरुद्ध हो गई।

समुचित अनुवीक्षण के बिना आवधिक ऋण का संवितरण

अनुचित अनुवीक्षण एवं विलम्बित वसूली की कार्रवाई के परिणामस्वरूप 1.25 करोड़ रुपये अवरुद्ध हो गये।

2.9.8 कम्पनी ने सीटी गोल्ड प्राईवेट लिमिटेड को पूर्णियाँ में एक री-रौलिंग मिल की स्थापना हेतु 80 लाख रुपये के एक आवधिक ऋण संस्वीकृत (अप्रैल 1998) किया और 71 लाख रुपये का संवितरण किया।

इकाई ने प्रथम संवितरण की तिथि से दो वर्ष से अधिक बीतने के बाद दिसम्बर 2000 में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु औपचारिकताएँ पूरी की और जनवरी 2001 में विद्युत संबंध प्राप्त होने पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया (जनवरी 2001)। मार्च 2003 तक इकाई के विरुद्ध 1.25 करोड़ रुपये का बकाया था (मूलधन : 71 लाख रुपये एवं ब्याज : 54 लाख रुपये)। कम्पनी ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के तहत इकाई के अधिग्रहण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी (अगस्त 2003)।

वसूली की कार्रवाई के लिए इकाई ने कम्पनी के विरुद्ध न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दिया है और वह लम्बित है (अक्टूबर 2003)।

इस प्रकार, अनुचित अनुवीक्षण एवं विलम्बित वसूली की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अतिदेयों की वसूली नहीं हो पायी।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि कम्पनी के अधिकारियों द्वारा इकाई के अनुवीक्षण/निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इकाई को विद्युत संबद्ध देने में अनावश्यक देरी के परिणामस्वरूप इकाई के चालू होने एवं ऋण के पुनर्भुगतान में विलम्ब हुआ।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई ने 0.66 लाख रुपये के शेष प्रतिभूति राशि दिसम्बर 2000 में जमा किया और पूरी प्रतिभूति राशि के जमा हो जाने पर जनवरी 2001 में विद्युत संबद्ध दे दिया गया।

2.9.9 कम्पनी ने रामा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, पटना को पाटलीपुत्रा में एक पी. भी. सी. रिजिड पाईप उत्पादन इकाई स्थापित करने हेतु 90 लाख रुपये के एक आवधिक ऋण को संस्वीकृत किया (जनवरी 1997)। इस संस्वीकृत ऋण के विरुद्ध कम्पनी ने जून 1998 से जून 2000 के बीच मात्र 88.59 लाख रुपये का संवितरण किया। ऋण का पुनर्भुगतान जून 2000 से चालू होना था। मूलधन अथवा ब्याज के मद में कोई राशि का भुगतान किये बिना जून 2000 से इकाई चूककर्ता हो गया। मार्च 2003 तक 36.54 लाख रुपये के ब्याज सहित 75.24 लाख रुपये का अतिदेय हो गया था।

प्रवर्तकों ने परिसम्पत्तियों को हटा लिया।

अभिलेखों के छानबीन से यह पता चला कि कम्पनी ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 एवं 30 के तहत इकाई को नोटिस जारी किया (मई 2002) लेकिन इकाई की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था नहीं की। परिणामस्वरूप, कीमती उपस्करों यथा एअर कम्प्रेसर, स्लॉटिंग मशीन, डाई बॉडी, डाई ट्राली, स्क्रेप ग्राइंडर, मेन्ड्राल इत्यादि को इकाई के प्रवर्तकों द्वारा हटाकर फतुहा औद्योगिक क्षेत्र के दूसरे स्थान पर ले जाया गया (मई 2002)। इसके उपरान्त शेष परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण मई 2002 में किया गया। कम्पनी ने शेष परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों को सूचित कर दिया (मई 2002)।

इस प्रकार, मार्च 2003 तक 36.54 लाख रुपये के ब्याज सहित 1.25 करोड़ रुपये के कुल बकाये की वसूली संदिग्ध थी।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि कम्पनी ने गायब परिसम्पत्तियों के लिए एक आपराधिक मामला दायर किया है।

अपर्याप्त पूर्व-संस्वीकृति आकलन

प्रवर्तक की साख के सत्यापन के बिना ही ऋण को संस्वीकृत कर दी गई।

2.9.10 कम्पनी ने पोर्ट स्टील कम्पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड को रक्सौल में एक रौलिंग मिल की स्थापना हेतु 80 लाख रुपये के आवधिक ऋण को संस्वीकृत किया (मार्च 1996)। फरवरी 1997 से मार्च 1998 के बीच पूरा आवधिक ऋण इकाई को संवितरित कर दिया गया। यद्यपि रौलिंग मिल को चालू किया गया (फरवरी 1998) और उत्पादन शुरू किया गया लेकिन प्रवर्तकों ने बकाये की कोई किस्त का भुगतान नहीं किया। मार्च 2003 तक 1.30 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 1.88 करोड़ रुपये का अतिदेय हो गया था।

लेखापरीक्षा ने यह परिलक्षित किया कि कम्पनी ने बैंक से प्रवर्तकों की साख को सुनिश्चित किये बिना ही ऋण को संस्वीकृत एवं संवितरित कर दिया। प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2003) कि बोर्ड ने मामले की समीक्षा की थी एवं तदनुसार यह शर्त लगाया था कि प्रवर्तकों के अंशदान के 75 प्रतिशत का निवेश हो जाने के बाद ही आवधिक ऋण का संवितरण शुरू होगा। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने बैंक से साख प्रतिवेदन प्राप्त करने के पूर्व आवश्यक शर्त का उल्लंघन कर दिया।

इस बीच वर्ष 1999 में ऋणी इकाई का प्रबंध निदेशक एक पुलिस मामले में आरोपित हो गया। इससे रौलिंग मिल का परिचालन प्रभावित हुआ और परिणामस्वरूप मिल कई वर्षों तक बंद पड़ा रहा। इसके अलावा, इकाई के प्रबंध निदेशक ने जिला न्यायालय, पटना के समक्ष, अपने को दिवालिया घोषित कराने हेतु एक याचिका दायर कर दिया (जुलाई 2002)। प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि डिसट्रेस वारंट का कार्यान्वयन होना एवं इकाई की परिसम्पत्तियों को बेचा जाना अबतक बाकी है।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत समय से इकाई का अधिग्रहण करने में कम्पनी विफल रही।

निपटारा नीति – 2002

2.10 कम्पनी ने अतिदेयों में कमी लाने के उद्देश्य से एक निपटारा नीति की घोषणा की (जुलाई 2002)। चूककर्ता इकाईयों द्वारा इस नीति को स्वीकार करने की वैध तिथि 14 अगस्त 2002 थी जिसे बाद में बढ़ा कर मई 2003 कर दिया गया।

इस योजना के तहत चूककर्ता इकाई दो वर्गों में बांटे गये। 10 वर्षों से अधिक पुरानी इकाईयों को संवितरित नगद मूलधन* का 2.5 गुणा एवं नगद वापसी का शुद्ध अंतर तथा 10 वर्षों से कम पुरानी इकाईयों को संवितरित नगद मूलधन के दो गुणा एवं नगद वापसी** के शुद्ध अन्तर का भुगतान करना था।

योजना के तहत अपने बकायों के निपटारा हेतु चूककर्ता इकाईयों की उपस्थिति खराब थी।

इस निपटारा नीति के तहत केवल आठ चूककर्ता इकाई उपस्थित हुए और उनमें से पाँच ने 8.75 करोड़ रुपये के अतिदेयों का निपटारा किया। कम्पनी केवल 3.54 करोड़ रुपये की ही वसूली कर पायी और उसने 5.21 करोड़ रुपये का राहत प्रदान किया। चूककर्ता इकाईयों की कम उपस्थिति के कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था।

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत की गई वसूलियाँ

2.11 राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत कम्पनी को बकायों की वसूली हेतु चूककर्ता ऋणी इकाईयों के प्रबंधन का अधिग्रहण या परिसम्पत्तियों का धारण या दोनों ही तथा गिरवी पड़े, बंधक पड़े, मालबंधित अथवा समनुदेशित सम्पत्तियों को पड़े या बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने का अधिकार है।

कम्पनी के पास चूककर्ताओं के विरुद्ध राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रतिमानक नहीं था। कम्पनी ने इस अधिनियम के तहत चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु चूककर्ताओं के चुनाव में तदर्थ तरीका अपनाया था।

* (संवितरित नगद मूलधन x 2.5) – नगद वापसी

** (संवितरित नगद मूलधन x 2) – नगद वापसी

स्थापना से लेकर अब तक 54.39 करोड़ रुपये अतिदेय वाले केवल 28 इकाईयों को ही अधिग्रहीत किया गया।

मार्च 2003 तक 531.07 करोड़ रुपये के कुल अतिदेयों वाले (मूलधन : 110.08 करोड़ रुपये एवं ब्याज : 420.99 करोड़ रुपये) 201 चूककर्ता इकाईयों के विरुद्ध 54.39 करोड़ रुपये अतिदेय (मूलधन : 16.57 करोड़ रुपये एवं ब्याज : 37.82 करोड़ रुपये) वाले केवल 28 इकाईयों का ही अधिग्रहण किया गया जबकि 5 करोड़ रुपये से 18.73 करोड़ रुपये के अतिदेयों वाले 32 इकाईयों का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा अपनाई गई व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी थी और चूककर्ता इकाईयों को अनुचित लाभ दिया गया।

28 इकाईयों में से केवल पाँच इकाईयों को ही बेचा गया और 8.56 करोड़ की हानि हुई।

28 इकाईयों में से पाँच इकाईयों को मई 1994 से मई 1996 के दौरान बेचा गया जिसमें कम्पनी को 8.56 करोड़ रुपये की हानि हुई जो इन इकाईयों के प्रवर्तकों/निदेशकों से वसूलनीय था। परन्तु छः वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत गारंटियों एवं समपार्श्विक प्रतिभूतियों से उपरोक्त हानि को पूरा करने में कम्पनी विफल रही (सितम्बर 2003)।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि कम्पनी का तरीका गैरजिम्मेदार नहीं था। कम्पनी को अधिनियम के तहत कार्रवाई करने विशेषतः परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण करने के बारे में बहुत विवेकपूर्ण एवं सावधान रहना पड़ता है। एक साथ बड़ी संख्या में इकाईयों का अधिग्रहण करने की व्यवस्था कम्पनी के पास नहीं है और यदि सुरक्षा एजेन्सी से व्यावसायिक सहायता ली जाय तो खर्च असहनीय होगा।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिग्रहण हेतु इकाईयों के चयन की कोई प्रणाली नहीं थी। स्थापना काल से मार्च 2003 तक, 201 चूककर्ता इकाईयों में से, केवल 28 इकाईयों को ही अधिग्रहीत किया गया जबकि 32 इकाईयों जिनमें से प्रत्येक के पास 5 करोड़ रुपये उससे अधिक एवं 122 इकाईयाँ जिन पर 421.42 करोड़ रुपये के अतिदेय थे और जिनसे पिछले पाँच वर्षों में कुछ भी वसूला नहीं जा सका था के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, 146.93 करोड़ रुपये अतिदेय वाले 71 इकाईयाँ, जो मार्च 2000 के पूर्व बंद हो चुकी थीं, से वसूली हेतु कार्रवाई किया जाना अभी बाकी है।

निष्कर्ष

कम्पनी का गठन राज्य में उद्योगों के त्वरित एवं समेकित विकास के लिए छोटे, मध्यम एवं बड़े औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा, प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करने हेतु किया गया था। ऋणों के अनुमोदन, संस्वीकृति एवं संवितरण की विहित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने, समुचित अनुवीक्षण का अभाव, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के तहत कार्रवाई करने में विलम्ब के कारण कम्पनी का ऋण वसूली निष्पादन बहुत खराब था। परिणामस्वरूप, पुनर्निवेश एवं नये इकाईयों की सहायता हेतु विपुल राशि की वसूली नहीं की जा सकी। इस प्रकार, कम्पनी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही।

कम्पनी को निम्नलिखित उपायों का पालन करने की आवश्यकता है :

- ऋणों की संस्वीकृति एवं संवितरण की प्रक्रियाओं के पालन को सुनिश्चित करना।

- उच्च मूल्य वाले 32 ऋणियों पर ध्यान केन्द्रित करना जिनमें से प्रत्येक के विरुद्ध 5 करोड़ से ऊपर का बकाया है और जिनके पास कुल बकायों का 43.80 प्रतिशत है।
- बंद पड़ी 142 इकाईयों से बकायों की वसूली के लिए एक स्पष्ट कार्यनीति तैयार करना।
- झारखण्ड राज्य में अवस्थित ऋणी इकाईयों के विरुद्ध 231.41 करोड़ रुपये के बकाये के मामले को सरकारी स्तर पर उठाना।
- समुचित अनुवीक्षण एवं संवितरण के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई को सुनिश्चित करना।
- राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के तहत चूककर्ता ऋणियों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2003) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2003)।

3. सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षाएँ

3.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की अपूर्ण संचरण योजनाओं पर समीक्षा

मुख्य अंश

प्रभावी ऊर्जा-उत्सर्जन के लिए उपयुक्त वोल्टेज, न्यूनतम प्रणाली-हानियाँ सुनिश्चित करने हेतु संचरण प्रणाली को उत्पादन क्षमता के साथ समान गति बनाये रखना चाहिए। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में यह राज्य में बिक्री के लिए अधिक ऊर्जा की उपलब्धता के अनुरूप नहीं रही।

पाँचवीं से आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं से दस योजनाओं सहित सोलह योजनाएँ 91.42 करोड़ रुपये के निवेश के बाद एक से 19 वर्षों तक अपूर्ण रहीं।

(कड़िका 3.1.1)

अपर्याप्त संचरण लिंक के कारण, दक्षिण बिहार में उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा उत्तर बिहार को संचरित नहीं किया जा सकी। परिणामस्वरूप उत्तर बिहार में 1997-98 एवं 1999-2000 में अखिल भारतीय औसत 348.50 यूनिटों के विरुद्ध प्रति व्यक्ति खपत 19.26 एवं 23.21 यूनिटें थीं।

(कड़िका 3.1.6)

बोर्ड सेंट्रल गिड से 700 मेगावाट के पूरे हिस्से को पाने में विफल रहा और इसे ऊर्जा के अपने हिस्से का बिना उपभोग किए 973.36 करोड़ रुपये निर्धारित प्रभार का भुगतान करना पड़ा।

(कड़िका 3.1.7)

आयोजना के अभाव के कारण 16 योजनाओं को पूरा करने में बोर्ड विफल हो गया। इसके कारण 50.41 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि एवं 2620.79 करोड़ रुपये की संभावित राजस्व की हानि हुई।

(कड़िका 3.1.11)

सम्बद्ध योजनाओं के समक्रमिक नहीं होने के कारण पूर्ण योजनाओं पर किए गए 46 करोड़ रुपये का निवेश अवरुद्ध हो गया।

(कड़िका 3.1.12)

पूर्णियाँ-बेगूसराय संचरण लाईन का निर्माण न्यायालय के आदेश के लागू होने तथा सामग्रियों की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण पूरा नहीं हो सका। फलस्वरूप 20.15 करोड़ रुपये का अवरोधन हुआ।

(कड़िका 3.1.13)

बिहारशरीफ-फतुहा-हाजीपुर संचरण लाईन के निर्माण की दोषपूर्ण आयोजना के कारण गंगा क्रॉसिंग स्थित 11 टावर गिर गए और बोर्ड को 35.11 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(कड़िका 3.1.15)

बेगूसराय ग्रीड उपकेन्द्र के लिए आवश्यकता से बहुत पहले उपकरणों की अधिप्राप्ति एवं अनुचित भंडारण के कारण उनके अप्रचलित (पुराना) हो जाने से बोर्ड को 2.98 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कड़िका 3.1.18)

प्रस्तावना

3.1.1 ऊर्जा (विद्युत) उत्पादन स्रोत/प्राप्ति स्रोत एवं अंततः वितरण बिंदु के बीच संचरण प्रणाली एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य कड़ी होती है। संचरण प्रणाली की ओर पर्याप्त ध्यान दिए बगैर उत्पादित ऊर्जा के अनुकूलतम उपयोगिता/क्रय संभव नहीं है। संचरण प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऊर्जा के संचरण में कम से कम क्षति हो। उत्पादन केन्द्रों पर 11 किलो वोल्ट विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इसे ऊर्जा ट्रांसफार्मरों द्वारा 132/220/400 कि. वो. तक संचरण के लिए आगे बढ़ाकर वितरण उप-केन्द्रों को और वहाँ से घटाकर 33/11 कि.वो. ग्रीड उप-केन्द्रों तक संचारित किया जाता है। संचरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इसे उत्पादन के साथ उचित दूरी तक संचरण एवं वितरण लाईनों, ट्रांसफार्मरों तथा कण्डक्टरों के आकार, उचित वोल्टेज तथा ऊर्जा कारकों के साथ कदम मिलाकर चलने वाला होना चाहिए।

बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड में नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान 1549.67 करोड़ रुपये स्वीकृत व्यय के विरुद्ध उत्पादन, संचरण एवं वितरण योजनाओं पर वास्तविक व्यय क्रमशः 45.17 करोड़ रुपये, 55.41 करोड़ रुपये एवं 171.34 करोड़ रुपये थे। पांचवी से आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं से अतिरिक्त 10 योजनाओं सहित 16 योजनाएँ 91.42 करोड़ रुपये के निवेश के बाद एक से 19 वर्षों तक अपूर्ण थीं (परिशिष्ट-12)।

31 मार्च 2001 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान संचरण तंत्र पर कुल निवेश 52.51 करोड़ रुपये थे (बोर्ड की 2001-02 एवं 2002-03 की लेखा अब तक तैयार नहीं थी)।

संगठनात्मक ढाँचा

3.1.2 बोर्ड का संचरण स्कंध सदस्य, संचरण एवं वितरण के अधीन कार्यरत है। संचरण स्कंध के ग्यारह मुख्य अभियंताओं की सहायता से संचरण लाईनों के निर्माण, आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए संचरण स्कंध उत्तरदायी है। इसमें एक मुख्य

अभियंता (योजना) होते हैं जो बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का निरूपण करते हैं और उन्हें योजना आयोग के पास अनुमोदन (स्वीकृति) के लिए प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.1.3 संचरण तंत्र, संचरण एवं वितरण प्रणाली तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में बोर्ड के ऊर्जा क्षेत्र के भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन की समीक्षा की गई और क्रमशः 1995-96 एवं 1998-99 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सम्मिलित किया गया था। इन समीक्षाओं पर अभी लोक उपक्रमों की समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाना है।

परिशिष्ट-12 के अनुसार सदस्य मंडल द्वारा अनुमोदित एवं 31 मार्च 2003 तक अपूर्ण बची 16 संचरण योजनाओं की वर्तमान समीक्षा दिसम्बर 2002 से मार्च 2003 के बीच की गई। इस समीक्षा का उद्देश्य उत्पादन/खरीद बिन्दु से वितरण बिन्दु तक ऊर्जा के सुगम एवं सुरक्षित संचरण के लिए संचरण योजनाओं को पूरा करने में बोर्ड की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की जांच संबंधी परिणामों की सूचना सरकार एवं बोर्ड को जून 2003 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए विशेष अनुरोध के साथ दी गई थी ताकि समीक्षा को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व सरकार/बोर्ड के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जा सके। उक्त समिति की बैठक 22 सितंबर 2003 को हुई जिसमें सरकार की ओर से सचिव, ऊर्जा विभाग तथा बोर्ड की ओर से सदस्य (संचरण एवं वितरण) तथा सदस्य (उत्पादन) ने भाग लिया। सरकार और बोर्ड के दृष्टिकोणों पर विचार करने के पश्चात समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया।

संचरण तंत्र

3.1.4 बिहार में विद्युत ऊर्जा के दो स्रोत यथा अपना उत्पादन एवं क्रय है। अधिकांश विद्युत ऊर्जा सेंट्रल सेक्टर* और अन्य माध्यमों[§] से क्रय की जाती है और बिहारशरीफ ग्रीड से संचरित की जाती है। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन एवं बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से उत्पादित ऊर्जा को मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बरौनी स्थित 132/133 के. वी. ग्रीड उपकेन्द्र से जुड़ी 132 के. वी. संचरण लाइनों के माध्यम से संचरित किया जाता है। एक छोटी मात्रा में विद्युत चुखा हाइडेल प्रोजेक्ट से खरीदी जाती है और 132 के. वी. संचरण लाइन के माध्यम से पूर्णियाँ से बरौनी ग्रीड उप-केन्द्र तक भेजी जाती है। बरौनी एवं बिहारशरीफ ग्रीड एक दूसरे से हाथीदह के पास गंगा नदी के ऊपर एक पुराने एवं अविश्वसनीय तार से जुड़े हैं। बोर्ड के संचरण एवं वितरण तंत्र को दर्शाने वाली तालिका परिशिष्ट-13 पर दी गई है।

* नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, दामोदर वैली कारपोरेशन, चुरवा हाइडेल प्रोजेक्ट

§ वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

राज्य में विद्युत (ऊर्जा) की उपलब्धता एवं संचरण प्रणाली के विकास का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 (औपबधिक)	2002-03 (औपबधिक)
क. उत्पादन/खरीद (एम.यू.) ¹					
(i) निवल उत्पादन	788.07	592.49	627.32	594.54	460.57
(ii) खरीद	4,058.20	4,611.03	4,693.69	5,667.98	5,511.53
बिक्री के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा (i)+(ii)	4,846.27	5,203.52	5,321.01	6,262.52	5,972.10
ख. संचरण लाईनें (सर्किट किलोमीटर) ²	4,617.73	4,685.73	4,685.73	4,685.73	4,691.73
ग. प्रतिमिलियन यूनिट (एम. यू.) ऊर्जा के लिए उपलब्ध संचरण लाईनों का मानक	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33
प्रति मिलियन यूनिट ऊर्जा (स. कि. मी.) के लिए उपलब्ध संचरण लाईन	0.95	0.90	0.88	0.74	0.78

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि 13.33 सर्किट किलोमीटर के मानक के विरुद्ध उपलब्ध संचरण लाईन 0.74 एवं 0.95 सर्किट किलोमीटर प्रति मिलियन यूनिट के परास में रही। इससे यह स्पष्ट है कि संचरण प्रणाली का विकास अपर्याप्त था।

संचरण-तंत्र का विकास

संचरण तंत्र के अपर्याप्त विकास के कारण 175.94 करोड़ रुपये की संचरण हानि हुई।

3.1.5 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान 400, 220 एवं 132 के.भी. संचरण-तंत्र का विकास क्रमशः शून्य, 52 एवं 22 सर्किट किलोमीटर था। 220 के. वी. ग्रीड सब-स्टेशन (उपकेन्द्र) एवं तीन 132/33 के.वी. ग्रीड सब-स्टेशन की मात्र एक योजना का निर्माण अपने संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा के अधिकांश मात्रा में स्थानांतरण एवं प्रेषण करने के लिए किया गया था। संचरण प्रणाली के विकास एवं वर्ष 2002-03 तक विगत पाँच वर्षों के दौरान बोर्ड की ऊर्जा (विद्युत) की उपलब्धता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्रम सं.	विवरण	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 (औपबधिक)	2002-03 (औपबधिक)
1.	संस्थापित क्षमता (एम.डब्लू.) ³	559.20	559.20	559.20	559.20	559.20
2.	संचरण लाईन (सर्किट किलोमीटर में) 400 के. वी. लाईन	75	75	75	75	75
3.	220 के. वी. लाईन (सी. के. एम.)	911.02	963.02	963.02	963.02	963.02
4.	132 के.वी. लाईन (सी. के. एम.)	3,631.71	3,647.71	3,647.71	3,647.71	3,653.71
5.	ग्रीड सब-स्टेशन (एम.वी.ए.में क्षमता नहीं) (क) 220/132 के.वी. (ख) 132/33 के. वी.	9/1150 85/1800	10/1200 88/2000	10/1200 88/2000	10/1200 88/2000	10/1200 88/2000

¹ मिलियन यूनिट

² सर्किट किलोमीटर

³ मेगावाट

क्रम सं.	विवरण	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 (औपबधिक)	2002-03 (औपबधिक)
ऊर्जा की व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति एवं संचरण हानि						
1.	कुल व्यवस्थित ऊर्जा (मिलियन यूनिट उपलब्ध)	4,846.27	5,203.52	5,321.01	6,262.52	5,972.10
2.	एरिया बोर्ड, उच्च विभव उपभोक्ताओं एवं पास-पड़ोस को आपूर्तित कुल ऊर्जा (एम. यू.)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	5,580.52	5,318.32
3.	संचरण - हानि (एम. यू.)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	682.00 (10.89 प्रतिशत)	653.70 (10.94 प्रतिशत)
4.	4 प्रतिशत के मानक हानि से अधिक संचरण हानि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	431.48	414.46
5.	हानि (करोड़ रुपये में)*	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	89.74	86.20

बोर्ड ने संचरण के विभिन्न चरणों में प्रणालीगत हानियों के लिए मानक निर्धारित नहीं किया था। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा अनुमोदित 4 प्रतिशत मानक के विरुद्ध 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत दो वर्षों के दौरान संचरण हानि 10.89 एवं 10.94 प्रतिशत के बीच रही। 2001-03 के दौरान मानक से अधिक कुल संचरण हानि 175.94 करोड़ रुपये थी।

बोर्ड ने ऐसे अधिक संचरण-हानि के लिए कारणों का विश्लेषण नहीं किया था। परन्तु लेखापरीक्षा में पता लगा कि 400 के. वी. लाईन के चालू न होने, अनेक 220 के. वी. लाईनों एवं 220/132 के. वी. ग्रीड-सब-स्टेशनों के पूरा नहीं होने के कारण बड़ी मात्रा में विद्युत् उत्सर्जन एवं 132 के. वी. लाईनों के माध्यम से लंबी दूरियों तक विद्युत् संचरण होने से उच्चतर संचरण हानि हुई।

उत्तर बिहार में संचरण प्रणाली की अपर्याप्तता

3.1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1994-95 की कड़िका 3क. 4.1 में उल्लेख किया गया था कि विश्व बैंक के प्रतिवेदन (अगस्त 1994), के अनुसार बिहारशरीफ सब-स्टेशन से शेष बिहार को विद्युत् संचरण जबतक बिहारशरीफ से बेगूसराय और बेगूसराय से मुजफ्फरपुर तथा पूर्णियाँ के बीच संचरण लाईनों को पूर्ण नहीं किया जाता है, बाधित रहने की संभावना थी। यह देखा गया कि बेगूसराय-पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर-बेगूसराय एवं बेगूसराय ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य यद्यपि 1987-89 के दौरान शुरू किया गया था, 49.88 करोड़ रुपये (मार्च 2003) व्यय करने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, लाईनों/सब-स्टेशनों के पूरा नहीं होने के कारण बोर्ड उत्तर एवं दक्षिण बिहार को विद्युत् के आयात-निर्यात करने के लिए पर्याप्त संचरण तंत्र उपलब्ध कराने में असफल हो गया था।

* संचरण हानि x औसत बिक्री दर प्रति एम. यू. (रुपये 2.08 प्रति के. डब्ल्यू. एच.)

300 मेगावाट विद्युत् की मांग के विरुद्ध बोर्ड मात्र 80 से 100 मे. वा. विद्युत् उत्तर बिहार को स्थानान्तरित कर पाया। वर्तमान में उत्तर और दक्षिण बिहार 132 के. वी. बिहारशरीफ-बरौनी लाईन द्वारा जुड़ा है जो 132 के. वी. बरौनी-हाथीदह एकल केबुल (तार) के माध्यम से सिर्फ 45 मे. वा. विद्युत् को संचरित करने में समर्थ हो रहा है। यद्यपि बोर्ड ने 400 और 220 कि. वो. के 75 एवं 96302 सर्किट किलो मीटर (स. कि. मी.) संचरण लाइनों का निर्माण किया था, फिर भी मैचिंग ग्रीड-सब-स्टेशनों के अभाव में इन लाइनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जा सका।

राज्य में विद्युत् की अपर्याप्त आधारभूत संरचना के कारण अखिल भारतीय औसत 86.6 प्रतिशत की तुलना में मात्र 37 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा सका (2002-03)। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति 348.50 यूनिट विद्युत् खपत (1997-98) के विरुद्ध 1997-98 एवं 1999-2000 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत् की खपत क्रमशः 131.65 एवं 131.57 यूनिटें थीं। इस अविध के दौरान उत्तर बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत् की खपत सिर्फ 19.26 से 23.21 यूनिटें थीं। इस प्रकार, संचरण एवं वितरण तंत्र के अपर्याप्त विकास के कारण गांवों का विद्युतीकरण तथा राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत् की खपत अखिल भारतीय औसत से काफी कम रही जो संचरण-प्रणाली के अपर्याप्त विकास को दर्शाता है।

उत्तर में बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि बोर्ड के पास उत्तर एवं दक्षिण बिहार के बीच विद्युत् संचरण की पर्याप्त क्षमता थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मौजूदा संचरण तंत्र अशक्त एवं पुराना है। मैचिंग ग्रीड सब-स्टेशनों के अभाव में बोर्ड 400 एवं 220 कि. वो. संचरण लाइनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी उन्हें वांछित क्षमता पर ऊर्जांचित नहीं कर सका। परिणामस्वरूप मौजूदा तंत्र ग्रीड से आवश्यक विद्युत् लेकर मांग की पूर्ति नहीं कर सका।

निर्धारित प्रभारों का परिहार्य भुगतान

विद्युत् के पूरे हिस्से का उपभोग किए बिना बोर्ड ने 973.36 करोड़ रुपये के निर्धारित प्रभार का भुगतान केन्द्रीय ग्रीड को किया।

3.1.7 बिहार राज्य के पास नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के बिहारशरीफ (दक्षिण बिहार) स्थिति पूर्वी क्षेत्र के विद्युत् केन्द्रों से लगभग 700 मे. वा. विद्युत् का अंश उपलब्ध था। दक्षिण और उत्तर बिहार के बीच संचरण कड़ी (लिंक) की 80-100 मे. वा. की संचरण क्षमता काफी अविश्वसनीय रूप में थी। विद्युत् की अपर्याप्तता का मुख्य कारण वर्तमान प्रणाली का बहुत पुराना होना है और इस प्रणाली को मजबूत करने का पूर्व में कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस कारण प्रणाली द्वारा विद्युत् के अपने पूरे हिस्से का उपयोग नहीं किया जा सका। अपने 700 मे. वा. के शेयर के विरुद्ध बोर्ड मात्र 400-450 मे. वा. ही प्राप्त कर सका। एन टी पी सी इकाईयों से अपने हिस्से की विद्युत् प्राप्त करने की क्षमता न होने के बावजूद भी भारत सरकार को निर्धारित प्रभारों का भुगतान करने के लिए बोर्ड उत्तरदायी था। मार्च 2003 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान 30,660 मि. कि. वा. घं. आवंटित विद्युत् के विरुद्ध 18,740 मि. कि. वा. घं* विद्युत् प्राप्त करने के लिए बोर्ड को 2503.629 करोड़ रुपये निर्धारित प्रभारों का भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार, संचरण एवं विद्युत् प्रणाली

* मि. कि. वा. घं. - मिलियन यूनिट

के अपर्याप्त विकास के कारण बोर्ड अपना हिस्सा प्राप्त नहीं कर सका और उसे 973.36^{\$} करोड़ रुपये परिहार्य व्यय करना पड़ा।

उत्तर में बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि अपने पूरे हिस्से की विद्युत् की प्राप्ति किए बगैर एनटीपीसी को निर्धारित प्रभार का भुगतान करना सुसंगत नहीं है क्योंकि बोर्ड ने आवंटित शेयर से अधिक विद्युत् प्राप्त किया था।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिहारशरीफ स्थिति बोर्ड के ग्रीड की एनटीपीसी से विद्युत् प्राप्त करने की क्षमता मात्र 480 मे. वा. थी और 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान एनटीपीसी से विद्युत् प्राप्ति का औसत मात्र 427.85 मे. वा. था। इस प्रकार 700 मे. वा. के पूरे हिस्से का उपभोग किए बगैर निर्धारित प्रभारों का भुगतान किया गया।

लक्ष्य एवं वास्तविकताएँ

3.1.8 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के लिए संचरण प्रणाली के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध वास्तविकताएँ निम्न प्रकार थी :-

वित्तीय लागत एवं वास्तविक व्यय

वर्ष	प्रस्तावित	पुनरीक्षित लागत	वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित लागत से व्यय की प्रतिशतता	पुनरीक्षित लागत में कमी की प्रतिशतता
(करोड़ रुपये में)					
1998-99	100	70	12.72	18.17	30
1999-00	112.88	20	18.91	94.55	82.28
2000-01	50	63.38	20.88	32.92	--
2001-02 [#]	152	26.74	--	--	82.40
2002-03 [#]	56.15	200	--	--	--

भौतिक लक्ष्य एवं वास्तविक उपलब्धियाँ

वर्ष		400 कि. वो. लाईन स. कि. मी.	200 कि. वो. लाईन स. कि. मी.	132 कि. वो. लाईन स. कि. मी.	220 / 132 कि. वो. लाईन स. कि. मी.	132 / 33 कि. वो. लाईन स. कि. मी.
1998-99	लक्ष्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	4
	उपलब्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	लक्ष्य से उपलब्धि की प्रतिशतता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1999-2000	लक्ष्य	शून्य	90	352	3	4
	उपलब्धि	शून्य	52	16	1	3
	लक्ष्य से उपलब्धि की प्रतिशतता	शून्य	57.77	4.54	33.33	75

^{\$} कुल निर्धारित प्रभार/केन्द्रीय ग्रीड से विद्युत् का हिस्सा x अप्राप्त यूनिटें

[#] 2001-02 एवं 2002-03 के आँकड़ों का संकलन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष		400 कि. वो. लाइन स. कि. मी.	200 कि. वो. लाइन स. कि. मी.	132 कि. वो. लाइन स. कि. मी.	220 / 132 कि. वो. लाइन स. कि. मी.	132 / 33 कि. वो. लाइन स. कि. मी.
2000-01	लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य से उपलब्धि की प्रतिशतता	शून्य शून्य शून्य	646 शून्य शून्य	336 शून्य शून्य	2 शून्य शून्य	1 शून्य शून्य
2001-02	लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य से उपलब्धि की प्रतिशतता	शून्य शून्य शून्य	584 शून्य शून्य	100 शून्य शून्य	2 शून्य शून्य	1 शून्य शून्य
2002-03	लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य से उपलब्धि की प्रतिशतता	शून्य शून्य शून्य	172 शून्य शून्य	46 6 13.04	51 शून्य शून्य	85 शून्य शून्य

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होगा कि :

- 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान संचरण लाइनों एवं विभिन्न क्षमताओं के ग्रीड सब-स्टेशनों के कार्यान्वयन के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि लक्ष्य से काफी कम थी ;
- 1998-99, 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान संचरण लाइनों एवं ग्रीड सब-स्टेशनों की उपलब्धि शून्य थी ;
- पुनरीक्षित वित्तीय लागत के अनुसार भौतिक लक्ष्यों को पुनरीक्षित नहीं किया गया था ;
- 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान 400, 220 एवं 132 कि. वो. संचरण लाइनों के संबंध में लक्ष्य से भौतिक उपलब्धि की प्रतिशतता क्रमशः शून्य, 57.7, 4.54 एवं 13.04 प्रतिशत थी तथा
- 1999-2000 के दौरान सिर्फ एक 220/132 कि. वो. और तीन 132/33 कि. वो. ग्रीड सब-स्टेशनों का निर्माण किया गया था।

संवीक्षा

संवीक्षा एवं उचित आयोजना की कमी से योजनाएं पूरी नहीं हुई।

3.1.9 1994-95 एवं 1995-96 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) की कंडिकाएँ 3क. 7.5 एवं 3क.5 में संचरण परियोजनाओं के मुख्यालय में नियमित संवीक्षा के अभाव के संबंध में उल्लेख किया गया था। यह पाया गया कि परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन एवं पूर्णता की प्रत्येक गतिविधि की नियमित संवीक्षा एवं निर्माण कार्य पर नियंत्रण हेतु निर्धारित तिथि को दर्शानेवाली क्रिटिकल पाथ मेथड (सी पी एम) या प्रोग्राम इवैल्युएसन एण्ड रिव्यू टेकनीक (पी ई आर टी) चार्ट पर आधारित नेटवर्क प्लानिंग की कोई प्रणाली बोर्ड ने नहीं लागू किया था। बोर्ड ने

परियोजनाओं/योजनाओं के पूरा होने में असाधारण विलंब का विश्लेषण बोर्ड द्वारा सिलसिलेवार ढंग से नहीं किया गया था।

अपूर्ण संचरण योजनाएँ

75.90 करोड़ रुपये के व्यय के बाद पांचवी से आठवीं पंचवर्षीय योजना से 10 योजनाओं को लिया गया।

3.1.10 बोर्ड ने योजना आयोग द्वारा तीन पंचवर्षीय योजनाओं (VII से IX) के दौरान अनुमोदित 98, 52 एवं 46 संचरण योजनाओं (V से VI पंचवर्षीय योजनाओं की बची हुई योजनाओं सहित) का कार्यान्वयन प्रारंभ किया। बोर्ड ने 60 योजनाओं को पूरा किया।

31 मार्च 2003 को 16 अपूर्ण संचरण योजनाएँ थी। परिशिष्ट-12 में उन 16 योजनाओं के संबंध में जिन्हें अभी पूरा किया जाना है और जिनपर नीचे चर्चा की गई है के आकलित/वास्तविक लागत कार्य पूरा होने की निर्धारित/वास्तविक तिथि, समय एवं लागत पद्धति आदि का ब्यौरा दिया गया है। 16 योजनाओं में से क्रमशः तीन, चार, एक तथा दो योजनाएँ पांचवी, छठी, सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के समय से लंबित थीं।

लेखापरीक्षा में आगे छानबीन से पता चला कि 16 योजनाओं में से 7 योजनाएँ 15 वर्षों से अधिक तथा 1 योजना 5 वर्षों से अधिक समय से अपूर्ण थीं। विगत चार (V-VIII) पंचवर्षीय योजनाओं में इन योजनाओं पर किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

पंचवर्षीय योजना	अपूर्ण संचरण योजनाओं की सं.		वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)
अवधि	संचरण लाईन	ग्रीड सब-स्टेशन	
V 1975-80	1	2	3.42
VI 1980-85	2	2	61.55
VII 1985-90	1	--	--
VIII 1997-02	--	2	10.93
कुल	4	6	75.90

उत्तर में बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि निधियों की कमी के कारण योजनाएँ पूरी नहीं की जा सकी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड के पास योजनाओं को पूरा करने का कोई निश्चित योजना/कार्यक्रम नहीं था। अनुचित आयोजना, संवीक्षा की कमी, त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण, स्वीकृति नहीं मिलने, निधियों का निष्क्रिय अवरोधन एवं अग्रिम में अधिप्राप्त उपकरणों के अप्रचलित हो जाने के कारण बोर्ड योजनाओं को पूरा करने में विफल हो गया। बोर्ड ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं (VII से IX) के दौरान संचरण योजनाओं के कार्यान्वयन पर 272.12 करोड़ रुपये व्यय किया था।

समय एवं लागत वृद्धि

आयोजना के अभाव के कारण 50.41 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि हुई और 2620.79 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई।

3.1.11 आयोजना के अभाव तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के समक्रमिक नहीं होने के कारण बोर्ड पांच संचरण लाईनों और 11 ग्रीड सब-स्टेशनों को एक वर्ष आठ महीनों से 19 वर्ष 9 महीनों के बीत जाने के बाद भी पूरा करने में विफल हो गया जिसके चलते 50.41 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि हुई। इस तरह, इन योजनाओं पर किया गया निवेश बोर्ड को 2,620.79 करोड़ रुपये के पूर्वानुमानित राजस्व प्राप्त करने में विफल हो गया था (परिशिष्ट-12)।

निर्माण में असंगति

समक्रमिक नहीं होने के कारण बोर्ड ने 46 करोड़ रुपये अवरुद्ध कर दिया।

3.1.12 पूर्वानुमानित लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रीड सब-स्टेशनों एवं संचरण लाईनों का निर्माण साथ-साथ किया जाना है। लेकिन बोर्ड सम्बद्ध योजनाओं के निर्माण का कार्य साथ-साथ करने में विफल हो गया था। संचरण योजनाओं के निर्माण में असंगति का ब्यौरा परिशिष्ट-14 में दिया गया है। इस परिशिष्ट को देखने से ज्ञात होगा कि 24.20 करोड़ रुपये की लागत (निवेश) से पूरी की गई तीन योजनाएँ सम्बद्ध चार योजनाओं पर 21.80 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद अनुपयुक्त रह गई क्योंकि इनका निर्माण समक्रमिक नहीं था। इस तरह बोर्ड के 46 करोड़ रुपये अवरुद्ध रह गए।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि डेहरी-ऑन-सोन स्थिति ग्रीड सब-स्टेशन अपनी निर्धारित वोल्टेज एवं क्षमता पर लंबे समय से कार्य कर रहा है।

बोर्ड का उत्तर मान्य नहीं हैं क्यों कि 220 के. वी. संचरण लाइन को ग्रीड सब-स्टेशन पर उसके मेल के आधारभूत संरचना के अभाव में 132 के. वी. में ऊर्जान्वित किया गया था। अन्य तीन बेमेल निर्माण संबंधी मामलों के बारे में बोर्ड द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।

अपूर्ण संचरण लाईनें

पूर्णिमाँ-बेगूसराय संचरण लाइन का निर्माण (VI पंचवर्षीय योजना)

3.1.13 बोर्ड की वर्तमान संचरण एवं वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्णिमाँ 132 के. वी. की एकल सर्किट संचरण लाइन (परिपथ) के द्वारा, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) बरौनी में स्थित 132 के. वी. ग्रीड सब-स्टेशन के साथ जुड़ा है। वर्तमान प्रणाली बहुत पुरानी है और इसके कारण बार-बार ब्रेकडाउन होता है। उत्तर बिहार में ऊर्जा (विद्युत) संचरण एवं केन्द्रीय क्षेत्र की ऊर्जा चूखा हाइडेल प्रोजेक्ट से प्राप्त करने के लिए एक समुचित विकल्प के रूप में 220 के. वी. पूर्णिमाँ-बेगूसराय लाइन (384 स. कि. मी.) का निर्माण कार्य को 10.02 करोड़ रुपये की आकलित एवं 29.51 करोड़ रुपये संशोधित (2002-03) लागत पर छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में शामिल किया गया था।

उचित आयोजना (प्लानिंग) की कमी की वजह से 20.15 करोड़ रुपये निवेश के बाद बोर्ड ने योजना को स्थगित कर दिया।

कार्यादेश एक निजी कंपनी को 1986 में दिया गया। यह कार्य मूल्य पुनरीक्षण की कमी, लाइन सामग्रियों एवं टावरों की अनुपलब्धता के कारण 1989 में रोक दिया गया। उच्च न्यायालय के अगस्त 1996 के आदेश के अनुसरण में मार्च 1999 में संविदा शर्तों को संशोधित किया गया था। यद्यपि सामग्रियाँ 2000 में मंगा ली गई थी, संवेदक ने मई 2004 तक अवधि विस्तार की मांग की। तार लगाने का कोई कार्य शुरू नहीं किया

गया और 20.15 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद इस योजना को गैर प्राथमिकता के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया जिसके लिए अभिलेखों में कोई कारण नहीं था। इस योजना को पूरा करने के लिए 9.36 करोड़ रुपये अतिरिक्त पूँजीगत लागत की आवश्यकता होगी।

न्यायालय के आदेश को लागू करने तथा निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों की अधिप्राप्ति विलंब के कारण 20.15 करोड़ रुपये अवरुद्ध हो गए। उचित संवीक्षा और आयोजना (प्लानिंग) के अभाव के कारण (परिशिष्ट-12) 17 वर्षों की समय वृद्धि हुई। इस प्रकार उत्तर एवं दक्षिण बिहार को जोड़ कर विद्युत् आपूर्ति में सुधार की अभिप्रेत उद्देश्य की पूर्ति अब तक (मार्च 2003) नहीं हो पाई जबकि योजना पूरा होने में विलंब के कारण 20.15 करोड़ रुपये का व्यय हो गया था।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि निधि की कमी के कारण संचरण लाईन पूरी नहीं की जा सकी।

बोर्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना के आस्थगन का कोई कारण अभिलेखित नहीं था।

एम. टी. पी. एस. एवं बेगूसराय ग्रीड सब-स्टेशन के बीच दोहरी परिपथ (सर्किट) लाईन का निर्माण (VI पं. व. यो.)।

3.1.14 वर्तमान में मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (एम टी पी एस) 132 के. वी. समस्तीपुर ग्रीड सब-स्टेशन होकर बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बी टी पी एस) स्थित 132/33 के. वी. ग्रीड सब-स्टेशन से जुड़ा है। समस्तीपुर ग्रीड सब-स्टेशन को छोड़कर ऊर्जा (विद्युत्) के आयात/निर्यात के लिए कोई दूसरा वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की कंडिका 3क. 7.4 (घ) में इसी चर्चा की गई थी कि एम टी पी एस - बेगूसराय लाईन को एम टी पी एस से विद्युत् उत्सर्जन के लिए और स्थाई विद्युत् आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 11.79 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद फतुहा के समीप रिवर क्रासिंग में ग्यारह टावरों के गिर जाने के कारण अक्टूबर 1993 में स्थगित कर दी गई थी।

बिना सर्वे कार्यों के आवंटन एवं सामग्रियों की आपूर्ति नहीं होने से 22.35 करोड़ रुपये का निष्क्रिय निवेश और 17.66 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि हुई।

10 वर्ष गुजर जाने के बाद बोर्ड ने संचरण लाईन को पूरा करने का निर्णय लिया (दिसंबर 1997) और सन स्टील इण्डस्ट्रीज को टावर मेंबरों की आपूर्ति, उत्थापन और छूटे कार्यों को चालू करने के कार्य (लगभग 123.5 कि. मी. पथ लंबाई) 5.36 करोड़ रुपये की लागत पर 15 महीनों के अन्दर पूरा करने का आदेश दिया। बोर्ड ने मई 2000 से नवम्बर 2001 के बीच 11.11 करोड़ रुपये की लागत पर 756 किलोमीटर तार खरीदा। संवेदक ने 1.63 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य निष्पादित किया। शेष कार्य सीमेंट की आपूर्ति नहीं होने, फसल क्षतिपूर्ति के भुगतान में विलंब और विभिन्न प्राधिकारियों से आवश्यक बेदखली प्राप्त नहीं होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका था। चूँकि नींव और उत्थापन कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ था इसलिए तार लगाने का कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, संरेखन का सर्वे, नक्शों की तैयारी, सामग्रियों की व्यवस्था के बिना कार्य के आवंटन और पुनर्सर्वेक्षण के फलस्वरूप 22.35 करोड़ रुपये का निवेश निर्माण, सामग्रियों एवं पुनर्सर्वेक्षण (मार्च 2003) पर निष्क्रिय हो गया। साथ ही 17.66 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि और 17 वर्षों की समय वृद्धि भी हुई (परिशिष्ट-12)। इसके अतिरिक्त

निर्माण और पथ के आनुषंगिक पुनः संरेखन में विलंब के परिणामस्वरूप 13 अतिरिक्त टावरों पर 73 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

बोर्ड ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2003) कि पुनर्पथरेखन, पुनर्सर्वेक्षण एवं अपेक्षित स्वीकृति के कारण मुख्य रूप से कार्य में विलंब हुआ था।

फतुहा में गंगा क्रासिंग के ऊपर संचरण लाईन का निर्माण

दोषपूर्ण आयोजना के कारण टावरों के ध्वस्त हो जाने से 35.11 करोड़ रुपये की हानि हुई।

3.1.15 वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की कंडिका 3क. 4.1 में उल्लेख किया गया था कि फतुहा के समीप गंगा क्रासिंग के साथ 220 कि. वो. दोहरे परिपथ बिहारशरीफ-फतुहा-हाजीपुर लाईन के निर्माण हेतु ग्यारह कुओं की नींव 35.11 करोड़ रुपये के लागत पर कमानी इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा अगस्त 1991 में निर्मित किये गये थे जो मई 1993 में ध्वस्त हो गये थे।

विफलता के कारणों की जांच एवं पुनर्वास हेतु सुझावों के लिए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, पावर ग्रीड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड एवं बोर्ड के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन (दिसम्बर 1994) किया गया। विस्तृत जांच के बाद समिति इस निर्णय पर पहुँची (दिसम्बर 1994) कि तार के बोझ एवं हवा के दबाव को सहन करने की दृष्टि से वर्तमान कुओं की नींव 220 कि. वो. दोहरे परिपथ टावर के योग्य नहीं थी बल्कि ये नीवें तार सहित 220 कि. वो. एकल परिपथ लाईन के लायक थीं।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की सलाह पर वर्तमान कुँए की नीवों पर 220 कि. वो. एकल परिपथ लाईन और एक दूसरी स्वतंत्र 220 कि. वो. एकल परिपथ लाईन पहली लाईन के बगल में नदी क्रासिंग पर निर्माण करने का निर्णय लिया गया (मई 1999)। टावरों के डिजाइन, उत्पादन एवं आपूर्ति तथा समस्त लाईन सामग्रियों, उत्थापन, जांच एवं लाईन चालू करने का कार्य टर्न-की के आधार पर करने के लिए मार्च 1997 में निविदाएँ आमंत्रित की गईं। परन्तु निविदा रद्द कर दी गई (दिसम्बर 2001) क्योंकि बोर्ड इस संबंध में उचित निर्णय लेने में विफल हो गया। मार्च 2003 तक बोर्ड द्वारा कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, दस वर्षों से अधिक समय तक उत्तर एवं दक्षिण बिहार के बीच अति महत्वपूर्ण कड़ी के पुनः आरंभ करने के लिए उचित निर्णय लेने में बोर्ड विफल हो गया था। अतः त्रुटिपूर्ण आयोजना के चलते बोर्ड को 35.11 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

इस प्रकार उपर्युक्त तीन योजनाओं के निर्माण कार्य पुनः आरंभ और पूरा न हो पाने के कारण बोर्ड उत्तर एवं दक्षिण बिहार के बीच पर्याप्त संचरण कड़ी स्थापित नहीं कर सका।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि अपेक्षित निधि के प्रावधान होने के बाद फतुहा में गंगा क्रासिंग ऊपरी संचरण लाईन के पुनर्वास हेतु कार्रवाई शुरू की जाएगी।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड के पास आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छः करोड़ रुपये के व्यय का अनुमोदित प्रावधान था लेकिन बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई (सितंबर 2003)।

आरा-खगौल संचरण लाईन का निर्माण (पथ लंबाई 36.2 कि. मी.)

3.1.16 220 कि. वो. दोहरे परिपथ टावर, 132 कि. वो. दोहरे परिपथ के वर्गीकृत टावर मेम्बरों (128), टेम्पलेटों तथा अन्य सामग्रियों की आपूर्ति सहित 132 कि. वो. दोहरे-परिपथ वाले आरा-खगौल संचरण लाईन (36.2 कि. मी.) के उत्थापन के लिए

1.40 करोड़ रुपये की लागत पर एक कार्यादेश बिहार ट्रान्समिशन लिमिटेड (बी टी एल) को दिया गया था (जनवरी 1999)। इस कार्य को आदेश जारी होने की तिथि से 18 महीनों में अर्थात् मार्च 2001 तक पूरा किया जाना था।

संवेदक ने मार्ग-दर्शिका, नींव का नक्शा, सीमेंट एवं रास्ते की सफाई आदि उपलब्ध नहीं होने के कारण दिसंबर 1999 तक कार्य आरंभ नहीं किया था। जून 2002 तक कार्य पूरा करने की वर्धित अवधि के अन्तर्गत जनवरी 2002 तक 127 टावरों और 32 नीवों का उत्थापन किया गया।

मार्ग-दर्शिका, सामग्री की अनुपलब्धता एवं प्राथमिकता बदलने की वजह से 3.25 करोड़ रुपये अवरुद्ध हो गए।

3.25 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद योजना को गैर-प्राथमिकता वाले समूह में स्थानान्तरित कर दिया गया था (जनवरी 2002) जिसका कोई कारण अभिलेख में नहीं था। बोर्ड द्वारा यह निर्णय नहीं किया गया कि निर्माण कार्य को पूरा किया जाय या इसे अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाय (मार्च 2003)। योजना को पूरा करने के लिए 6.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूँजीगत लागत की आवश्यकता होगी।

मार्ग-दर्शिका, नींव का नक्शा, सीमेंट आदि संवेदक को उपलब्ध नहीं होने तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु निश्चित कार्यक्रम और योजना बनाने में बोर्ड की विफलता के कारण 3.25 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध होने के साथ उसपर 46 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि निर्माण-कार्य की प्राथमिकता स्थानान्तरित करने का मुख्य कारण निधि की विवशता थी।

यह उत्तर मान्य नहीं है। बोर्ड ने निर्माण रोक दिया क्योंकि पावर ग्रीड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने भी सेंट्रल ग्रीड के लिए 220 कि. वो. आरा-खगौल संचरण लाईन का निर्माण शुरू किया था।

जमुई-झाझा संचरण लाईन का निर्माण

3.1.17 पटना और झाझा के बीच रेल-मार्ग का विद्युतीकरण मार्च 1999 के अंत तक किया जाना था और इसके लिए झाझा और लखीसराय में ट्रैक्शन पावर की आवश्यकता थी। बोर्ड ने रेलवे डिपॉजिट स्कीम के तहत 1.66 करोड़ रुपये की लागत पर बोर्ड के ग्रीड सब-स्टेशन, जमुई से रेलवे ट्रैक्शन सब-स्टेशन, झाझा तक (पथ लंबाई 32.25 कि. मी. लगभग) 132 कि. वो. द्वि-परिपथ संचरण लाईन के उत्थापन टावरों के अनुषंगियों सहित 132 कि. वो. द्वि-परिपथ संचरण लाईन के जस्तीकरण (गैल्वनाजिंग) और टावर फास्टरों के साथ पूरे सेट की आपूर्ति और निर्माण के संयुक्त कार्य के लिए सन स्टील इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड, कोलकाता को एक आदेश दिया (जनवरी 1998)।

वन विभाग द्वारा अनुमति के अभाव में तथा दोषपूर्ण सर्वे के कारण 4.55 करोड़ रुपये के भारी राजस्व की क्षति हुई।

इस कार्यादेश के अनुसार आदेश देने की तिथि से पांच महीनों के अन्तर्गत कार्य पूरा करना निर्धारित था। विलंब के मामले में, प्रत्येक 15 दिनों के विलंब अथवा इसके हिस्से के लिये आदेश के मूल्य का दो प्रतिशत जो कि संविदा-मूल्य का अधिकतम 5 प्रतिशत तक दंड सीमित होगा, लगाया जाएगा। बोर्ड को लाईन की सीध में दोनों तरफ के पेड़ों एवं अन्य बाधाओं को दूर करने की आवश्यक व्यवस्था करनी थी। लाईन की सीध में जंगल की सफाई/पेड़ों की कटाई आदि की व्यवस्था भी बोर्ड को करनी थी। 70 प्रतिशत नींव कार्य, रेलवे ट्रैक्सन टावरों, उत्थापन संबंधी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मार्च 1999 से कार्य को वन विभाग की अनुमति/आवश्यक बेदखली आदि के अभाव में

रोक दिया गया था। आवश्यक बेदखली (क्लियरेंस) नहीं होने के कारण एक दूसरे वैकल्पिक मार्ग को अनुमोदित किया गया (अगस्त 2002)। कार्य की लागत भी 7.69 करोड़ रुपये तक संशोधित की गई है। 1.55 करोड़ रुपये व्यय होने के बाद भी कार्य का पूरा होना अभी बाकी है (मार्च 2003)। इस प्रकार, कार्य के पूरा होने में विलंब के कारण बोर्ड को 4.55 करोड़ रुपये के सामान्य राजस्व की क्षति हुई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि लाईन के मूल मार्ग की स्वीकृति यह सोचकर दी गई थी कि वन विभाग से स्वीकृति (क्लियरेंस) प्राप्त हो जाएगी।

अपूर्ण ग्रीड सब-स्टेशन

बेगूसराय में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण (VI पं. व. यो.)

उपकरणों की अग्रिम अधिप्राप्ति के कारण 2.98 करोड़ रुपये की हानि उनके क्षतिग्रस्त/अप्रचलित हो जाने और 4.40 करोड़ रुपये का अनुत्पादक निवेश हुआ।

3.1.18 बेगूसराय में 220/132 कि. वो. ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण 3.41 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत था और छठी योजना अवधि (1980-85) में शामिल थी जिसे संशोधित कर 17.18 करोड़ रुपये कर दिया गया (2002-03)। 1995-96 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की कंडिका 3क. 7.2 में यह उल्लेख किया गया था कि ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण के लिए उपकरणों की अधिप्राप्ति पर 2.98 करोड़ रुपये का निष्क्रिय निवेश किया गया था। इन सभी उपकरणों की संविदागत गारंटी अवधि समाप्त हो गयी थी। नींव (आधार) के कार्य को पूरा होने तथा 7.38 करोड़ रुपये के उपकरण की अधिप्राप्ति के बाद यह कार्य जून 1997 से अपूर्ण छोड़ दिया गया है।

लेखापरीक्षा (जनवरी 2003) में आगे यह पाया गया कि ग्रीड सब-स्टेशन के महत्व पर विचार करते हुए उपकरण के भौतिक जांच के लिए बोर्ड द्वारा बेस्ट एण्ड क्राम्पटन और ए. बी. बी. को अनुरोध किया गया (मई 2000)। जांचोपरान्त दोनों फर्मों ने अपना प्रतिवेदन इस टिप्पणी के साथ सौंपा (अगस्त 2000) कि उपकरण अप्रचलित हो गए थे और कुछ पुर्जे चोरी हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस प्रकार, उन उपकरणों का पुनर्वास किफायती नहीं होगा। योजना को पूरा करने के लिए 9.80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूँजीगत लागत की आवश्यकता होगी।

इस तरह, अनुचित आयोजना एवं उपकरणों की उनकी आवश्यकता से बहुत पहले अधिप्राप्ति तथा अनुचित भंडारण के कारण 7.38 करोड़ रुपये बोर्ड की निधि न केवल अवरुद्ध हो गई बल्कि क्षतिग्रस्त/अप्रचलित उपकरणों पर 2.98 करोड़ रुपये की हानि भी बोर्ड को उठानी पड़ी। उत्तर बिहार को स्थाई विद्युत् उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त निर्माण में विलंब के कारण 3.97 करोड़ रुपये की लागत और 17 वर्षों के समय वृद्धि तथा 987.34 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि निधियों की कमी की वजह से कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

बोर्ड का यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य में विलंब होने का कारण अनुचित आयोजना और बोर्ड की निधियों का निष्क्रिय और अप्रचलित उपकरणों की अग्रिम अधिप्राप्ति के कारण अवरुद्ध होना था।

हाजीपुर में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण (VI पं. व. यो.)

ग्रीड सब-स्टेशन के पूरा नहीं होने के कारण 11.67 करोड़ रुपये अवरुद्ध हो गए।

3.1.19 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1991-92 की कंडिका 3क. 7.4 में यह उल्लेख किया गया था कि मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन से हाजीपुर को वृहत मात्रा में विद्युत् के सुगम संचरण और प्रणालीगत क्षति को कम करने के लिए बोर्ड ने हाजीपुर में 100 एम. वी. ए. के दो ट्रान्सफार्मरों की संस्थापना सहित 220/132/33 कि.वो. ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण 2.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर करने की स्वीकृति दी थी (1984-85)। इस कार्य को मार्च 1990 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण होने के बाद इसे एमटीपीएस-हाजीपुर-विदुपुर एवं कुतुपुर सहयोगी लाईन के साथ जोड़कर स्थाई विद्युत् आपूर्ति के लिए पर्याप्त संचरण एवं वितरण तंत्र उपलब्ध कराना था।

सब-स्टेशन के निर्माण को पूरा करने में मुख्य बाधाएं निचली भूमि में स्थल का चुनाव करना, असैनिक कार्यों के नक्शे बनाने में देरी और सामग्रियों की अधिप्राप्ति नहीं करना था। बोर्ड ने नींव के 75 प्रतिशत, उत्थापन के 60 प्रतिशत और भू-अधिग्रहण पर 11.67 करोड़ रुपये खर्च किया था (दिसंबर 2002)। इसके आगे बोर्ड द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया (मार्च 2003)। तथापि एमटीपीएस-हाजीपुर-विदुपुर एवं कुतुपुर सहयोगी संचरण लाईन का निर्माण 1.72 करोड़ रुपये की लागत पर पूरा किया गया था (नवम्बर 1998)। इन लाईनों को तारों की चोरी रोकने के लिए अन्य संचरण लाईनों के साथ जोड़कर ऊर्जित कर रखा गया था। बिना व्यापारिक उपयोग के ऊर्जित लाईनों के कारण ऊर्जा (विद्युत्) की हानि वांछित सूचनाओं के अभाव में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

9.46 करोड़ रुपये का (उपकरण : 45 लाख रुपये, सामग्रियाँ : 8.01 करोड़ रुपये एवं नियंत्रण कक्ष : 1 करोड़ रुपये) एक पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया (सितंबर 2001)। दसवीं योजना के प्रारूप में पुनरीक्षित प्राक्कलन के अन्तर्गत 10.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। विगत 17 वर्षों में हाजीपुर स्थित एक कार्यालय के रख-रखाव पर व्यर्थ वेतन एवं भत्तों पर बोर्ड को 1.84 करोड़ रुपये व्यय करना पड़ा।

बोर्ड 987.34 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व से वंचित हो गया।

नक्शे को बनाने में विलंब, उपकरणों की अधिप्राप्ति नहीं होने, अपर्याप्त आयोजना एवं ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण की समकालिकता के साथ सहयोगी लाईनों के साथ जोड़ने का कार्य नहीं होने के कारण न केवल बोर्ड की 11.67 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध हुई बल्कि अपेक्षित लाभ (अर्थात् प्रणाली-हानि को कम कर अधिक मात्रा में सुगम विद्युत् संचरण) से वंचित होना पड़ा जिसके फलस्वरूप बोर्ड को 987.34 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि निधि की कमी के कारण कार्य को पूरा नहीं किया जा सका।

बोर्ड का यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विलंब का कारण स्थल का गलत चुनाव, नक्शों के बनाने में विलंब और अपर्याप्त आयोजना थे।

बांका में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण (V पं. व. यो.)

3.1.20 बांका जिला को सुलतानगंज ग्रीड सब-स्टेशन से मात्र एक 33 कि. वो. के फीडर जिसकी पथ लंबाई 100 किलोमीटर से अधिक और जिसमें 33/11 कि. वो. के छः विद्युत् उपकेन्द्र शामिल थे, के माध्यम से विद्युत् दी जा रही थी। यद्यपि बांका, कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एनटीपीसी की एक इकाई) से काफी निकट है

लेकिन इस जिले को अपर्याप्त संचरण एवं वितरण तंत्र के कारण विद्युत् की भारी कमी रहती थी। इस क्षेत्र की मांग पर विचार करते हुए पाँचवी पंचवर्षीय योजना में 42.35 लाख रुपये की आकलित लागत पर बांका में एक 2 x 20 एम वी ए, 132/33 कि. वो. ग्रीड सब-स्टेशन एवं 132/33 कि. वो. की सहयोगी एकल परिपथ ललमटिया-बांका संचरण लाईन का निर्माण कार्य की योजना को शामिल किया गया था।

ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण 1987 में शुरू किया गया था और ढांचों के आधार (90 प्रतिशत), उपकरण, ढांचों का उत्थापन (60 प्रतिशत), नियंत्रण कक्ष (प्लीन्थ लेवल से तीन फीट ऊपर तक) तथा भंडार शेड (छत तक) का निर्माण भूमि की लागत (13.55 लाख रुपये) सहित 52 लाख रुपये की लागत पर पूरा किया गया (जुलाई 1991)। सब-स्टेशन का स्थान एक नदी के पास स्थित है और यह 1995-96 में डूब गया था। जुलाई 1991 से बोर्ड द्वारा ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण कार्य पूरा करने हेतु कार्य शुरू नहीं किया गया था और इसका कारण अभिलेख में नहीं था। बोर्ड द्वारा अनुरोध करने पर (दिसंबर 1999), पावर ग्रीड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने कार्य स्थल परिवर्तन सहित 18.38 करोड़ रुपये की आकलित लागत के साथ अपना प्रस्ताव रखा (मार्च 2000) जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

बाद में बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया (दिसंबर 2000) कि पा. ग्री. का. इ. लि. को कार्य स्थल परिवर्तन की अतिरिक्त लागत को वहन करना होगा और बोर्ड द्वारा पूर्व में किए गए निर्माण की लागत की क्षतिपूर्ति भी करनी होगी जिसे पा. ग्री. का. इ. लि. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

यह कार्य अभी तक बोर्ड या पा. ग्री. का. इ. लि. द्वारा शुरू किया जाना बाकी है। इस प्रकार, 132 कि. वो. सब-स्टेशन का निर्माण पूरा नहीं होने के चलते इससे 220/132 कि. वो. ललमटिया सब-स्टेशन को परस्पर जोड़ने का कार्य नहीं हो सका। इस योजना को पूरा करने के लिए 17.96 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूँजीगत लागत की आवश्यकता होगी।

ग्रीड सब-स्टेशन के पूरा नहीं होने के कारण बोर्ड को 197.46 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

इस प्रकार, 17 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य पूरा नहीं होने के कारण इस क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति से वंचित रहना पड़ा और साथ ही बोर्ड को 197.46 करोड़ रुपये की सीमा तक राजस्व की हानि हुई। इतना ही नहीं, बोर्ड ने अपूर्ण कार्य पर 52 लाख रुपये का निरर्थक निवेश किया था जिसके फलस्वरूप उसे 74 लाख रुपये तक के ब्याज की हानि अवरुद्ध निधि पर हुई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि निर्माण कार्य निधि की कमी के कारण रोका गया था।

बोर्ड का यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने कार्य के अधिकांश भाग के पूरा होने के बाद कार्य को बिना किसी लिखित कारण के रोका था।

किशनगंज में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण (V पं. व. यो.)

3.1.21 वर्तमान में किशनगंज को विद्युत् आपूर्ति 33 कि. वो. फीडर के माध्यम से पूर्णियाँ ग्रीड सब-स्टेशन से किया जा रहा है जो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाधा उत्पन्न होने पर त्रुटियों का पता लगाने और फिर से विद्युत् आपूर्ति बहाल करने में काफी समय लगता है। इसके अलावे इस क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या रहती है। इन समस्याओं से उबरने और इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से भी

किशनगंज में एक ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किये जाने का विचार किया गया था जो नौवीं पंचवर्षीय योजना में आ गया है।

किशनगंज में 1.15 करोड़ की लागत पर 2 x 20 एम. वी. ए. 132/33 कि. वो. ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 6 करोड़ रुपये तक पुनरीक्षित कर दिया गया था। उपकरण लगाने के कार्य को छोड़कर सब-स्टेशन के ढांचों और टावरों के उत्थापन के साथ निर्माण संबंधी अधिकतम कार्य 2.75 करोड़ रुपये की लागत पर पूरा हो गए थे (1994-95)। दालकोला-किशनगंज को जोड़ने वाली सहयोगी संचरण लाईन का कार्य बोर्ड द्वारा मार्च 2003 तक प्रारंभ नहीं किया गया था।

ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 3.14 करोड़ रुपये आवंटित किया (2002-03)। कार्य को 18 महीनों में पूरा किया जाना था। बोर्ड ने निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए सरकार को 10.64 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निधि देने का अनुरोध किया (अप्रैल 2002)। इस संबंध में बोर्ड और सरकार द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई (मार्च 2003)।

अनुचित आयोजना एवं संबद्ध कार्यों की समकालिकता नहीं होने की वजह से 2.75 करोड़ रुपये अवरुद्ध हो गए।

अनुचित आयोजना एवं संवीक्षा की कमी के परिणामस्वरूप 2.75 करोड़ रुपये का अनुत्पादक निवेश हुआ। बोर्ड को 2.64 करोड़ रुपये की ब्याज-देयता (12 प्रतिशत की दर से 8 वर्षों के लिए) का भी बोझ उठाना पड़ा। इसके अतिरिक्त, परियोजना में 16 वर्षों की समय-वृद्धि और 1.60 करोड़ रुपये की लागत-वृद्धि हुई (परिशिष्ट-12)।

साथ ही अप्रैल 1995 से बोर्ड को 185.85 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि निधि की कमी के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

यह उत्तर मान्य नहीं है। बोर्ड ने कार्य रोक दिया था क्योंकि सहयोगी संचरण लाईन का निर्माण शुरू नहीं किया गया था।

कुद्रा में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण (VIII पं. व. यो.)

3.1.22 क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग पर विचार कर कुद्रा में 20 एम. वी. ए. क्षमता के एक ट्रांसफार्मर की संस्थापना सहित एक 132/33 कि. वो. ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण का निर्णय दिसंबर 1988 में लिया गया। निर्माण कार्य अप्रैल 1989 में बोर्ड के अधीनस्थ खाली जमीन जो कुद्रा स्थित 33/11 कि. वो. के विद्युत् केन्द्र के पास था, पर शुरू किया गया। कार्यक्रम के अनुसार, निर्माण कार्य सितंबर 1991 तक पूरा किया जाना था लेकिन यह कार्य अभी तक अधूरा है क्योंकि यह योजना बोर्ड की प्राथमिकता सूची में नहीं थी।

यह पाया गया कि 132 कि. वो. एवं 33 कि. वो. उपकरणों की नींव, ट्रांसफार्मर बे एवं ढांचे के उत्थापन का 90 प्रतिशत तथा केबुल ट्रेन्चों का 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था (फरवरी 1993)। भुगतान करने के बाद निर्माण में त्रुटियों का पता चला और नियंत्रण कक्ष ध्वस्त हो गया था (जून 1992)। 43.02 लाख रुपये के व्यय के बाद निर्माण कार्य छोड़ दिया गया (फरवरी 1993)।

इस ग्रीड सब-स्टेशन को चालू करने के लिए 2.50 करोड़ रुपये का एक पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया था (दिसंबर 1998)। बोर्ड द्वारा इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है (मार्च 2003)।

निर्माण कार्य की संवीक्षा नहीं होने के कारण 43.02 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ और 133.58 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

आगे यह पता चला कि सब-स्टेशन के निर्माण के साथ जुड़े बोर्ड के पदाधिकारियों के विरुद्ध एक विभागीय जांच करायी गयी थी (सितंबर 1994) और पाया गया कि निर्माण अनुपयोगी था और पदाधिकारीगण इसके लिए उत्तरदायी थे। उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, सब-स्टेशन के निर्माण कार्य के कार्यान्वयन की संवीक्षा नहीं करने के कारण बोर्ड ने 43.02 लाख रुपये का निष्फल व्यय किया था। इसके अलावे बोर्ड 133.58 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व से वंचित हो गया।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि कार्य निधि की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड को उक्त निर्माण कार्य पर व्यय करने के बाद कार्य छोड़ना पड़ा।

दीघा में ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण

3.1.23 पटना एवं आसपास के क्षेत्रों की बढ़ी हुई विद्युत् मांग पर विचार कर विद्युत् आपूर्ति में सुधार और विद्युत् के निर्बाध संचरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोर्ड ने दीघा में एक ग्रीड सब-स्टेशन निर्माण करने की योजना बनाई (1998)।

कार्य छोड़ देने के चलते 1.74 करोड़ रुपये अवरुद्ध हो गए और 45.98 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण एवं खगौल से दीघा तक सहयोगी लाईन के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जुलाई 1998 में दी गई। 9.89 करोड़ रुपये की लागत पर अगस्त 2001 तक पूरा करने के लिए यह कार्य एक फर्म को अप्रैल 2000 में दिया गया। संवेदक ने नींव ढांचों का उत्थापन एवं गोदाम के निर्माण का क्रमशः 90, 50 एवं 100 प्रतिशत कार्य किया था (दिसंबर 2001)।

बोर्ड एवं रेलवे द्वारा क्षेत्र के सर्वेक्षण (दिसंबर 2001) से पाया गया कि दीघा में प्रस्तावित ग्रीड सब-स्टेशन गंगा नदी पर प्रस्तावित रेल पुल के पहुँच-पथ में आ रहा था। बोर्ड ने परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति के लिए रेलवे प्राधिकारियों से उनकी भावी योजनाओं/परियोजनाओं के बारे में सम्पर्क नहीं किया। 1.74 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद कार्य दिसंबर 2001 से स्थगित हो गया था।

रेलवे ने बोर्ड से परियोजना को दूसरी जगह स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया (मार्च 2002) और रेलवे द्वारा व्यवस्था किए जाने वाले नए स्थान पर सब-स्टेशन को स्थानान्तरित करने के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने को राजी हुआ।

बोर्ड ने जगह बदलने एवं कार्य को छोड़ देने के कारण रेलवे से क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए 3.20 करोड़ रुपये की विवरणी तैयार किया (अगस्त 2002)। क्षतिपूर्ति का भुगतान लंबित है क्योंकि बोर्ड के द्वारा इस संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है (मार्च 2003)।

बिना उचित सर्वे और अपेक्षित प्राधिकारी से आवश्यक जांच और स्वीकृति के निर्माण कार्य आरंभ करने के कारण बोर्ड ने न केवल 1.74 करोड़ रुपये का निरर्थक निवेश किया बल्कि 45.98 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व की हानि भी उठाया (अगस्त 2001)

से मार्च 2003)। ग्रीड सब-स्टेशन को नए स्थान पर स्थानान्तरित करने के कारण बोर्ड को ढांचा गिराने, स्थान बदलने, इसके क्षतियों इत्यादि पर 1.30 करोड़ रुपये के व्यय का वहन करना होगा। इस प्रकार, पटना की बढ़ी हुई विद्युत् की मांग की पूर्ति का अभीष्ट उद्देश्य अपूर्ण रह गया।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण के समय दीघा में रेल पुल के निर्माण का प्रस्ताव नहीं था।

बोर्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कोई पूछताछ नहीं की। आगे रेलवे ने सब-स्टेशन के लिए न ही नए स्थान का प्रावधान किया और न ही बोर्ड को हुई हानि की क्षतिपूर्ति की गई।

कटरा में ग्रीड सब-स्टेशन और 132 कि. वो. सहयोगी संचरण लाईन का निर्माण

3.1.24 कटरा में 2 x 50 एम. वी. ए. ट्रांसफार्मरों की संस्थापना एवं 132 कि. वो. सहयोगी संचरण लाईन सहित 132/33 कि. वो. ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य टर्न-की आधार पर एण्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड (ए वाई सी एल) को दिया गया (अप्रैल 2000)। कार्य की लागत 7.36 करोड़ रुपये थी और इस कार्य को जुलाई 2001 तक पूरा किया जाना निर्धारित था।

पटना नगर निगम से 6.40 करोड़ रुपये की लागत पर 6.6 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई (नवम्बर 1999)। उपकरण एवं ढांचे के लिए नींव का निर्माण इसके नक्शे के अनुमोदन के एक वर्ष से अधिक होने के बाद शुरू किया गया (सितंबर 2001)।

उपकरण, ढांचों एवं एक भंडार गृह के नींव का कार्यान्वयन होने के बाद संवेदक ने स्विचयार्ड को स्थानान्तरित करने के लिए प्रस्ताव रखा (जनवरी 2002) जो बोर्ड को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इसके लिए भंडार गृह एवं नींव के निर्माण को तोड़ना और नये स्थान पर पुनर्निर्माण करना होता। ग्रीड सब-स्टेशन का नक्शा भूमि की सही उपयोगिता को ध्यान में रखकर अनुमोदित किया गया था। संवेदक ने नवम्बर 2001 से कार्य को रोक दिया था और इसके कार्यान्वयन हेतु वर्धित अवधि के अन्तर्गत भी कार्य को पुनः आरंभ नहीं किया (दिसंबर 2001)।

कार्यादेश की शर्तों के अनुसार ढांचों की आपूर्ति नींव के 75 प्रतिशत कार्यान्वयन के बाद और उपकरण की आपूर्ति ढांचों के 75 प्रतिशत उत्थापन के बाद आरंभ किया जाना है। परन्तु ए. वाई. सी. एल. ने कार्यादेश की शर्तों की अनदेखी कर सूचित किया (दिसंबर 2001) कि उन्होंने कुल संविदा लागत 7.36 करोड़ रुपये के विरुद्ध 4.10 करोड़ रुपये के कार्य का संपादन कर दिया था। बोर्ड के द्वारा भुगतान रोक रखा गया क्योंकि ढांचों को खड़ा करने का 75 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हुआ था। फिर भी, यह परियोजना अब बोर्ड की प्राथमिकता सूची में नहीं है (दिसंबर 2001)।

कार्य की अपर्याप्त प्रगति को ध्यान में रखते हुए आगे समय बढ़ाने का विचार (अर्थात् 31 मार्च 2003 तक) बोर्ड द्वारा नहीं किया गया। बोर्ड द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया।

योजना के पूर्ण नहीं होने के कारण 48.40 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

परियोजना एवं सहयोगी 132 कि. वो. संचरण लाईन के पूरा नहीं होने के कारण क्षेत्र की बढ़ी मांग की पूर्ति का बोर्ड का उद्देश्य अपूर्ण रह गया। इससे 10.50 करोड़ रुपये का व्यय अनुत्पादक रहने के साथ-साथ 48.40 करोड़ रुपये की सीमा तक राजस्व की हानि हुई (अगस्त 2001 से मार्च 2003 तक)।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि कटरा में ग्रीड सब-स्टेशन का प्रस्ताव पटना के पूर्वी भाग और आस-पास के क्षेत्रों की विद्युत् की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। वर्तमान में इसकी पूर्ति मौजूदे सब-स्टेशनों द्वारा की जा रही है।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड विद्युत् की बढ़ी मांग की पूर्ति करने में योजना के पूर्ण नहीं होने के कारण विफल हो गया था।

निष्कर्ष

समुचित आयोजना एवं प्रभावी संवीक्षा प्रणाली के अभाव में 16 संचरण योजनाएँ पूरी नहीं हो सकीं। व्यय होने के पश्चात् योजनाओं का आस्थगन एवं योजनाओं के आंशिक कार्यान्वयन के फलस्वरूप महत्वपूर्ण सीमित अपर्याप्त संसाधनों का अवरोधन हुआ। निर्माण में बेमेल के कारण पूर्ण योजनाओं का उपयोग भी नहीं किया जा सका। पर्याप्त संचरण-तंत्र के अभाव में बोर्ड को अपने हिस्से की विद्युत् का उपभोग किए बिना सेण्ट्रल ग्रीड को निर्धारित प्रभारों का भुगतान करना पड़ा। इसके अलावे संचरण प्रणाली के अपर्याप्त विकास की वजह से बोर्ड को अत्यधिक संचरण-हानि उठानी पड़ी।

बोर्ड को निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है :-

- अपूर्ण योजनाओं में से बिहारशरीफ ग्रीड से उत्तर बिहार के विद्युत् की कमी वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली योजनाओं को विशेष प्राथमिकता देना।
- योजनाओं को लंबित रहने से रोकने तथा निधि के अवरोधन को टालने के लिए उचित आयोजना की जानी चाहिए।
- संचरण योजनाओं की पूर्णता उनके कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करना।
- बेमेल निर्माण के मामलों से बचना।

इस मामले की सूचना सरकार को दी गई थी (जून 2003) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2003)।

3.2 थर्मल पावर स्टेशनों के बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के बाउल मिलों सहित कोल हैंडलिंग प्लान्ट के कार्य-कलाप पर समीक्षा

मुख्य अंश

बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के अन्तर्गत विद्युत्-उत्पादन वर्तमान में दो थर्मल पावर स्टेशनों यथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बी टी पी एस) एवं मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (एम टी पी एस) द्वारा किया जाता है। छः इकाईयों जिनकी संस्थापित क्षमता 540 मेगावाट (मे. वा.) थी के विरुद्ध 110 मे. वा. प्रत्येक की मात्र दो इकाईयां न्यूनतम कार्यचालन स्तर पर विद्युत् उत्पादन के लिए उपलब्ध थीं।

(कड़िका 3.2.1)

कोयले की निम्न गुणवत्ता एवं उपकरणों के अपर्याप्त अनुरक्षण के कारण 31 मार्च 2003 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान 23,647 घंटों तक उत्पादन हेतु संयंत्र उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप 249.61 करोड़ रुपये मूल्य के 6,286.52 मिलियन यूनिट (मि. यू.) उत्पादन की हानि हुई।

(कड़िका 3.2.5)

कोयल में राख की उच्चतर प्रतिशतता एवं पूँजीगत अनुरक्षण की सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं होने के कारण 143 करोड़ रुपये मूल्य के 13.97 लाख मीट्रीक टन (मी. टन) कोयले की खपत मानक से अधिक हुई थी।

(कड़िका 3.2.9)

टूटे फर्नेस केसिंग, नष्ट बर्नर टिपों एवं दोषपूर्ण ऑयल गनों के कारण बीटीपीएस एवं एमटीपीएस में 44,229.49 किलोलीटर (कि.ली.) फर्नेस ऑयल एवं 19,029.45 कि.ली लाइट डीजल ऑयल की खपत मानक से अधिक हुई। फलस्वरूप 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान बोर्ड को 43.62 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कड़िका 3.2.10 एवं 3.2.11)

थर्मल पावर स्टेशनों में संस्थापित इन-मोशन माप-पुलों से वजन का इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्ट आऊट प्रस्तुत करने में बोर्ड की विफलता के कारण कोयले एवं भाड़े की कम प्राप्ति के 6.61 करोड़ रुपये के दावों को कोयले की कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। फलस्वरूप बोर्ड की निधि की हानि हुई।

(कड़िका 3.2.14)

बोर्ड को अपना रेलवे साइडिंग बीटीपीएस में रहने के बावजूद रेलवे को साइडिंग चार्जों के लिए 2.07 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(कड़िका 3.2.18)

प्रस्तावना

3.2.1 वर्तमान में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड में विद्युत् का उत्पादन दो पावर स्टेशनों यथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) एवं मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन

(एमटीपीएस) द्वारा की जाती है जिसकी संस्थापित क्षमता क्रमशः 365* मेगावाट (मे. वा.) एवं 220# मे. वा. है। बीटीपीएस में 15 मे. वा. प्रत्येक की तीन इकाइयां क्रमशः फरवरी 1983, अक्टूबर 1985 एवं नवम्बर 1985 में कार्य-चालन से निवृत्त हो गई थीं। पुनः 50 मे. वा. प्रत्येक की दो इकाइयां क्रमशः मार्च 1995 एवं अप्रैल 1996 से लगातार बंद पड़ी थीं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की संस्थापना नहीं हुई थी। परिणामस्वरूप 110 मे. वा. प्रत्येक की मात्र दो इकाइयां (105 मे. वा. तक घटी हुई) बीटीपीएस में कार्यचालन हेतु उपलब्ध थीं। तथापि, बीटीपीएस एवं एमटीपीएस दोनों जगह मात्र एक इकाई एक समय पर और वह भी कोयले की कमी, बॉउल मिलों एवं कोल हैंडलिंग प्लान्ट के निम्न निष्पादन की वजह से न्यूनतम कार्यचालन स्तर पर चालू रखी जा सकी जिसके फलस्वरूप विद्युत् उत्पादन में हानि हुई जिसका उल्लेख आगे की कड़िकाओं में किया गया है।

संगठनात्मक ढांचा

3.2.2 विद्युत् केन्द्र के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता थर्मल पावर स्टेशन के प्रबंधन सहित कोल हैंडलिंग प्लान्ट, बाउल मिलों एवं ऐश एवं रिजेक्ट्स हैंडलिंग सिस्टम के सम्पूर्ण प्रभारी होते हैं। उनको संबंधित प्रमंडलों के विद्युत् सहायक अभियंताओं, विद्युत् कार्यपालक अभियंताओं एवं विद्युत् अधीक्षण अभियंताओं द्वारा सहयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.2.3 अनुकूलतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कोल हैंडलिंग प्लान्ट सहित बाउल मिलों एवं ऐश हैंडलिंग सिस्टम के प्रचालन में बोर्ड की दक्षता का मूल्यांकन करना समीक्षा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए कोल हैंडलिंग प्लान्ट, बाउल मिलों एवं ऐश हैंडलिंग सिस्टम के 1998-99 से 2002-03 की अवधि के अन्तर्गत सम्बद्ध उपकरणों की मरम्मतों, प्रदर्शन, सेवा एवं अधिप्राप्ति से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच जनवरी से मई 2003 के दौरान की गई।

अभिलेखों की नमूना जांच के परिणाम के फलस्वरूप पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जून 2003 में सरकार और बोर्ड को इस अनुरोध के साथ प्रतिवेदित किया गया कि वे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में शामिल हो ताकि समीक्षा को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व सरकार/बोर्ड के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जा सके। लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक 22 सितंबर 2003 को आयोजित की गयी जिसमें सचिव, ऊर्जा विभाग ने सरकार तथा सदस्य (संचरण एवं वितरण) एवं सदस्य (उत्पादन) ने बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया। सरकार एवं बोर्ड के दृष्टिकोणों पर विचारोपरांत समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया है।

* 365 मे. वा. (3 x 15 मे. वा. + 2 x 50 मे. वा. + 2 x 110 मे. वा.)

220 मे. वा. (2 x 110 मे. वा.)

कोल हैंडलिंग प्लांट एवं बाउल मिलों का प्रचालन

3.2.4 कोल हैंडलिंग प्लांट में कन्वेयरों एवं इसके सहयोगी उपकरण की दो धाराएँ सम्मिलित होती हैं। कोयले के वैगनों को वैगन टिपलरों और श्रमिकों द्वारा खाली किया जाता है। एम टी पी एस में दो वैगन टिपलर पास-पास में तथा एक बी टी पी एस में कोयले को कॉमन हॉपर में डालने के लिए स्थित है। कॉमन हॉपर से प्राप्त कोयले को कन्वेयर सिस्टम एवं बाइवरेटिंग फीडरों के माध्यम से क्रशर हाउस में स्थित कॉमन सर्ज हॉपर में डाला जाता है और वहाँ से किसी दो क्रशरों में डाला जाता है। रन-ऑफ माईन (आर ओ एम) आकार से 20 मि. मी. निम्न आकार तक क्रशर में तोड़े गए कोयले को बंकर में डाला जाता है। यदि बंकर में कोयले की आवश्यकता नहीं होती है तो इसे भंडार परिसर में भेज दिया जाता है।

बंकरों से टुकड़ा किया हुआ कच्चा कोयला स्वतंत्र फीडरों को सुपुर्द किया जाता है और उस कोयले को वोल्यूमेट्रिक नियंत्रित दर से बाउल मिलों में भेजा जाता है जहाँ स्प्रिंग युक्त रॉलरों द्वारा कोयले का चूर्ण बनाया जाता है। फर्नेश में कायले को जलने हेतु मिल से चूर्णित कोयले को सुखाने एवं परिवहन का कार्य गर्म हवा द्वारा किया जाता है।

कोल हैंडलिंग प्लांट एवं बाउल मिलों के प्रचालन को दर्शानेवाली सूची परिशिष्ट-15 पर संलग्न किया गया है।

थर्मल पावर संयंत्रों की बंदियां

3.2.5 थर्मल पावर संयंत्रों की विद्युत् उत्पादन इकाई के विद्युत् उत्पादन हेतु उपलब्ध नहीं रहने की अवधि को बंदी कहा जाता है। कोल हैंडलिंग प्लांट एवं बाउल मिलों में समस्याओं के कारण अथवा जबरन बंदियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	कुल
बी टी पी एस						
(i) संयंत्र की कुल जबरन बंदियां (घंटे)	8029	10757	9466	9668	10982	48902
(ii) सिर्फ को. है. संयंत्र में समस्याओं के कारण बंदियां (घंटे)	105	607	39	41	1	793
(iii) सिर्फ बाउल मिलों में समस्या के कारण बंदियां (घंटे)	1862	371	361	4422	991	8007
(iv) (ii) एवं (iii) पर बंदियों के कारण उत्पादन-हानि (मि. यू.)	119.04	36.33	14.66	117.61	30.19	317.83
(v) उत्पादन-हानि का मूल्य (करोड़ रुपये में)	23.92	7.54	4.09	45.36	8.42	89.33

कोल हैंडलिंग प्लांट एवं बाउल मिलों में समस्याओं के कारण 249.61 करोड़ रुपये मूल्य के 23,647 घंटे के लिए थर्मल पावर संयंत्रों की बंदियां थीं।

वर्ष	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	कुल
एम टी पी एस						
(i) संयंत्र की कुल जबरन बंदियां (घंटे)	5036	6414	6,205	9,291	8,465	35,411
(ii) सिर्फ को. है. सं. में समस्याओं के कारण बंदियां (घंटे)	--	--	781	1092	273	2146
(iii) सिर्फ बाउल मिलों में समस्याओं के कारण बंदियां (घंटे)	520	2587	3276	3501	2817	12,701
(iv) (ii) एवं (iii) पर बंदियों के कारण उत्पादन-हानि (मि. यू.)	218.62	1,029.61	1,825.98	1,861.11	1,033.37	5,968.69
(v) उत्पादन-हानि का मूल्य (करोड़ रुपये में)	4.39	24.20	50.94	51.92	28.83	160.28

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होगा कि बी टी पी एस में 89.33 करोड़ रुपये मूल्य के 8800 घंटों की जबरन बंदियां तथा एम टी पी एस में 160.28 करोड़ रुपये मूल्य के 14,847 घंटों की जबरन बंदियां कोल हैंडलिंग संयंत्रों एवं बाउल मिलों में समस्याओं के कारण रहीं। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि पत्थरों, बोल्ट्स, कीचड़ तथा अन्य बाहरी चीजों के मिले रहने से कोयले की घटिया किस्म के कारण बाउल मिलों में कोयले का प्रवाह लगातार बाधित रहा, परिणामस्वरूप वॉयलरों में आग तथा निम्न वाष्प दबाव और अत्यधिक अस्वीकृत कोयला कोल हैंडलिंग प्रणाली तथा बाउल मिलों के पुर्जों का क्षतिग्रस्त होना इन जबरन बंदियों के मुख्य कारण थे।

बी टी पी एस में एक कोल हैंडलिंग संयंत्र का अनावश्यक प्रचालन

कोल हैंडलिंग संयंत्र पर 28.79 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

3.2.6 बी टी पी एस में दो कोल हैंडलिंग संयंत्र हैं। पांच इकाइयों के साथ 110 मे. वा. वाली दो इकाइयों में से एक इकाई के प्रचालन बंद हो जाने पर केवल एक कोल हैंडलिंग संयंत्र कोल हैंडलिंग आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त था। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड दोनों कोल हैंडलिंग संयंत्रों को प्रचालित कर रहा था। परिणामस्वरूप 1998-2003 के दौरान निजी संवेदकों के माध्यम से भाड़े के श्रमिकों को लगाए जाने पर 28.79 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि नए कोल हैंडलिंग संयंत्र का डिजाइन पुरानी कोल हैंडलिंग संयंत्र प्रणाली की निरंतरता एवं वर्तमान में उसके अस्तित्व को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। यह मान्य नहीं है क्योंकि 2 x 110 मे. वा. वाली इकाइयों के परियोजना प्रतिवेदन में स्पष्टतया उल्लेख था कि यह वर्तमान कोल हैंडलिंग संयंत्र से स्वतंत्र होगा।

कोयले की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया

3.2.7 थर्मल पावर स्टेशन को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की मात्रा भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की एक संयोजन समिति के माध्यम से निर्धारित की जाती है। बी टी

पी एस एवं एम टी पी एस में कोयला रेल द्वारा ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सेण्ट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी सी सी एल) से प्राप्त किया जाता है।

कोयले की प्राप्ति में कमी

3.2.8 स्थाई संयोजन समिति द्वारा आवंटित मात्रा के विरुद्ध बी टी पी एस एवं एम टी पी एस में 2002-03 तक विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त की गई वास्तविक मात्रा का ब्यौरा निम्न तालिका में दी गई है :-

कोयले की प्राप्ति में कमी आवंटन की तुलना में 28.60 प्रतिशत थी।

वर्ष	संयोजन समिति द्वारा कोयले का आवंटन (मि. टन)	कोयले की वास्तविक प्राप्ति (मि. टन)	कोयले की प्राप्ति में कमी (मि. टन)	कमी की प्रतिशतता
बी टी पी एस				
1998-99	7,05,000	4,77,541	2,27,459	32
1999-00	7,50,000	3,84,607	3,65,393	49
2000-01	5,40,000	3,86,893	1,53,107	28
2001-02	6,90,000	4,41,527	2,48,473	36
2002-03	4,95,000	1,95,914	2,99,086	60
कुल	3180000	1886482	1293518	41
एम टी पी एस				
1998-99	5,70,000	3,36,128	2,33,872	41
1999-00	7,50,000	4,11,479	3,38,521	45
2000-01	6,30,000	3,35,573	2,94,427	47
2001-02	6,90,000	3,63,374	3,26,626	47
2002-03	4,80,000	2,03,041	2,76,959	58
कुल	31,20,000	16,49,595	14,70,405	47

तालिका से यह स्पष्ट होगा कि कोयले की वास्तविक प्राप्ति में कमी बी टी पी एस में 28 एवं 60 प्रतिशत के बीच जबकि एम टी पी एस में यह 41 एवं 58 प्रतिशत के बीच थी। कोयले की प्राप्ति में कमी के कारणों में कोल कंपनियों की गलतियाँ और खास कोलियरियों इत्यादि से कोयले को स्वीकार करने में थर्मल पावर स्टेशनों की अनिच्छा थी। 2003 में कोल कंपनियों द्वारा भुगतान की गई अग्रिम की राशि बढ़ाने के हठ के कारण स्थिति तेजी से बिगड़ गई। संयोजन समिति द्वारा आवंटन के विरुद्ध कोयले की प्राप्ति में कमी के कारण विद्युत् का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ और प्रत्येक संयंत्र की दोनों इकाइयाँ साथ-साथ चालू नहीं रह पाईं।

बोर्ड एवं कोयले की कंपनियों के बीच कोई एकरारनामा नहीं था और इस कारण कोयले की कंपनियों को कोयले की आपूर्ति करने के लिए जोर देने के लिए बोर्ड के पास कोई कानूनी उपाय नहीं था। कोल इंडिया लिमिटेड ने बोर्ड के समक्ष अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ एक नया एकरारनामा करने का प्रस्ताव रखा परन्तु बोर्ड ने इसका अनुसरण नहीं किया जिसके कारण उन्हें कानूनी तौर पर बांधने का अवसर बोर्ड ने खो दिया।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि आवंटित कोयले की प्राप्ति में कमी का मुख्य कारण सम्बद्ध कोलियरियों में कोयले के कम उत्पादन के साथ रेलवे द्वारा अपर्याप्त वैगनों का आवंटन था। बोर्ड का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि संयोजन समिति इकाइयों की मांग, सम्बद्ध कोलियरियों में उत्पादन की स्थिति तथा रेलवे वैगनों की उपलब्धता प्राप्त करने के बाद आवंटन करती है।

कोयले की अत्यधिक खपत

ग्रेड के घटने के कारण 143 करोड़ रुपये मूल्य के कोयले की खपत मानकों से अधिक हुई।

3.2.9 बी टी पी एस एवं एम टी पी एस के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार एक यूनिट (कि. वा. घं.) विद्युत् उत्पादन के लिए क्रमशः 0.52 कि. ग्राम कोयले (कैलोरीफिक मूल्य 4600 कि. कैल/कि. ग्रा.) एवं 0.45 कि. ग्रा. कोयले (कैलोरीफिक मूल्य 5600 कि. कैल/कि.ग्रा.) की आवश्यकता थी। इन संयंत्रों के वॉयलरों की डिजाईन 'डी' ग्रेड के कोयला-चूर्ण की खपत के अनुरूप थी लेकिन इन थर्मल पावर स्टेशनों में प्रायः 'ई', 'एफ' एवं 'जी' ग्रेड कोयले प्राप्त होते थे जो 'डी' ग्रेड से निम्नतर होते थे। अतः बी टी पी एस एवं एम टी पी एस दोनों जगह कोयले की वास्तविक खपत मानकों से अधिक थी। कोयले की 13.97 लाख टन की अधिक खपत क्रमशः 97.01 करोड़ रुपये एवं 45.99 करोड़ रुपये मूल्य थी, जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-16 में दिया गया है। बोर्ड द्वारा कोयले की अधिक खपत के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में अधिक खपत के कारणों का विश्लेषण किया गया जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है :-

- प्राप्त कोयले की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं थी और इसका ग्रेड 'डी' से घटकर 'ई' और 'जी' तक चला गया। कोयले के कैलोरीफिक मूल्य घट जाने के कारण कोयले की अधिक खपत हुई।
- थर्मल पावर स्टेशनों में संयंत्रों एवं उपकरणों की स्थिति अच्छी नहीं थी और सांविधिक पूंजीगत अनुरक्षण भी नहीं किया जा सका था। परिणामस्वरूप प्रणाली के कार्यचालन में गड़बड़ी और कोयले की अधिक खपत हुई।
- कोयले में राख की प्रतिशतता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्दिष्ट प्रतिशतता से उच्चतर थी जिसके कारण कोल हैंडलिंग प्लांट एवं बाउल मिलों की प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई। फलतः कोयले की अधिक खपत हुई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि अच्छी गुणवत्ता एवं उचित ग्रेड वाले कोयले की आपूर्ति करने के लिए कोयले की कंपनियों को अनुरोध किए जाते रहे हैं और लगातार इसका अनुसरण किया गया तथा संयोजन समिति की बैठकों में इस मुद्दे को हमेशा उठाया गया। परन्तु तथ्य यह है कि बोर्ड लगातार निम्न कोटि का कोयला प्राप्त करता रहा जिसके कारण कोयले की अधिक खपत हुई।

पूँजीगत अनुरक्षण के अभाव में संयंत्र का निष्पादन प्रभावित हुआ।

फर्नेस ऑयल की अधिक खपत

37.17 करोड़ रुपये
मूल्य के फर्नेस ऑयल
का मानकों से अधिक
खपत हुई।

3.2.10 थर्मल पावर प्लांट में तापक्रम और उष्मा मूल्य को बढ़ाने के लिए उसमें फर्नेस ऑयल डालने की आवश्यकता होती है। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा तेल की खपत के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 15 मि. ली./कि. वा. घं. की दर से तेल की खपत होनी चाहिए। परन्तु 1998-2003 के दौरान तेल की वास्तविक खपत मानकों से अधिक उच्चतर थी जैसा कि परिशिष्ट-17 में वर्णित है। इस प्रकार, बी टी पी एस में 9.22 करोड़ रुपये मूल्य के 11,864.41 कि. ली. तथा एम टी पी एस में 27.95 करोड़ रुपये मूल्य के 32,365.08 कि. ली. फर्नेस ऑयल (तेल) की अधिक खपत होने से बोर्ड को हानि हुई। लेखापरीक्षा में तेल की अधिक खपत के लिए पाए गए कारणों में फर्नेस केसिंग के टूटे होने से उसमें तेल के खिंचाव को स्थिर रखने के लिए अधिक फर्नेस ऑयल की आवश्यकता, नष्ट बर्नर टिपों, दोषपूर्ण ऑयल गनों तथा निम्न गुणवत्ता के कोयले का होना इत्यादि थे।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2003) कि केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने बी टी पी एस एवं एम टी पी एस के लिए फर्नेस ऑयल की खपत के मानकों को उनके वायलरों एवं अन्य अनुषंगियों की स्थितियों पर विचार करते हुए पुनरीक्षित कर 36 मि.ली./कि.वा.घं कर दिया था। बोर्ड ने इस पुनरीक्षण का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। यहाँ तक कि बोर्ड के अधिकारीगण अभी भी संवीक्षा करने के उद्देश्य से 15 मि.ली./कि.वा.घं. के मानक को ही अपना रहे हैं।

लाइट डीजल ऑयल की अधिक खपत

3.2.11 लाइट डीजल ऑयल का उपयोग फर्नेस को प्रज्ज्वलित करने के लिए होता है जबकि फर्नेस ऑयल का उपयोग कोयले के जलने में सहायता करने के लिए किया जाता है। फर्नेस ऑयल से लाइट डीजल ऑयल अधिक महंगा होता है। कुल ऑयल की खपत के 5 प्रतिशत से लाइट डीजल ऑयल की खपत बढ़नी नहीं चाहिए। विगत पांच वर्षों के दौरान बी टी पी एस एवं एम टी पी एस में लाइट डीजल ऑयल की खपत का ब्यौरा परिशिष्ट-18 में दिया गया है। दोनों थर्मल पावर स्टेशनों में लाइट डीजल ऑयल की खपत मानक से बहुत अधिक थी। 6.45 करोड़ रुपये मूल्य के 19029.45 कि. ली. लाइट डीजल ऑयल की अधिक की खपत हुई। बोर्ड ने माना (अक्टूबर 2003) कि लाइट डीजल ऑयल की इतनी उच्चतर खपत संयंत्र के लगातार बंद हो जाने और उसे प्रज्ज्वलित करने और संयंत्र की समकालिकता में लगे समय के कारण हुई थी। बोर्ड का तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि मानक निर्धारित करने के समय इन पहलुओं पर विचार किया गया था।

बोर्ड ने पुनः कहा (अक्टूबर 2003) कि केवल 132 के. वी. समस्तीपुर-बरौनी संचरण लाईन ही उपलब्ध थी जिसके कारण एम टी पी एस में लगातार विद्युत् की विफलता रही। इसके लिए बोर्ड स्वयं उत्तरदायी है क्योंकि भारी निवेश के बावजूद मई 1993 में एम टी पी एस - बिहारशरीफ का वैकल्पिक मार्ग हाजीपुर एवं फतुहा के बीच गंगा क्रासिंग का टावर घुस्त हो जाने के कारण कार्य चालन योग्य नहीं बनाया जा सका था जैसा कि कंडिका 3.1.15 में उल्लिखित है।

ऑयल-फ्लो मीटरों का अव्यवहृत रहना

23.44 लाख रुपये
मूल्य के ऑयल फ्लो
मीटर अव्यवहृत रह
गए।

3.2.12 बी टी पी एस और एम टी पी एस में ईंधन तेल की खपत की सही माप और निकट संवीक्षा हेतु दोनों जगह ऑयल फ्लो मीटरों को संस्थापित किया जाना था। 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में यह उल्लेख किया गया था कि 21.02 लाख रुपये मूल्य के ऑयल फ्लो मीटर का उपयोग बी टी पी एस में नहीं किया जा रहा था। बोर्ड ने एम टी पी एस में संस्थापित करने हेतु 2.42 लाख रुपये मूल्य पर ऑयल फ्लो मीटरों की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति किया था (अगस्त 1999) जो भंडार लेखे में अंकित किये बिना निरीक्षण के अभाव में पड़े थे। इस प्रकार, 23.44 लाख रुपये (21.02 लाख रुपये + 2.42 लाख रुपये) की बोर्ड की निधियाँ अप्रिल 1998/अगस्त 1999 से अवरुद्ध रह गयीं।

कोयले का भौतिक सत्यापन

44.08 करोड़ रुपये
मूल्य के 4.31 लाख
मी. टन कोयले
भौतिक सत्यापन में
कम पाए गए।

3.2.13 बोर्ड के भंडार-नियम पुस्तक के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष भंडार का सत्यापन अवश्य किया जाना चाहिए। विद्युत् (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 के प्रावधान के अनुसार कमी के कारण हुई हानि को उसी वर्ष प्रभारित करना चाहिए जिसमें यह पाई जाती है। परन्तु बोर्ड में ऐसा नहीं किया गया और जांच एवं अपलेखन के लिए भौतिक सत्यापन के अनुसार भंडार पंजी में समायोजन नहीं किया गया। एम टी पी एस में 2002-03 तक विगत चार वर्षों में बोर्ड द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन सर्वेयर के नहीं रहने के कारण नहीं कराया गया। एम टी पी एस में कोयले के भंडार का गत भौतिक सत्यापन 2 नवम्बर 1998 को कराया गया था और मात्र 37,371 मीटरिक टन कोयला पाया गया जबकि भंडार पंजी की लेखा के अनुसार 1,40,538.23 मीटरिक टन का भंडार था। इस प्रकार 10.24 करोड़ रुपये मूल्य के 1,03,167.23 मी. टन कोयला उस तिथि को कम था।

इसी प्रकार, बी टी पी एस में 30 नवम्बर 2002 को किए गए विगत भौतिक सत्यापन में कोयले का वास्तविक भंडार 3,142.37 मी. टन पाया गया था जबकि भंडार पंजी के लेखा के अनुसार उस तिथि को भंडार 3,31,660.19 मी. टन था। इस प्रकार 33.84 करोड़ रुपये मूल्य के 3,28,517.82 मी. टन कोयला कम था।

बोर्ड ने न तो इस मामले की जांच की और न ही इसके लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि 4 प्रतिशत की सामान्य कमी अनुमत थी तथा असाधारण कमी भंडारण में कभी नहीं पाई गई। कोयले में पत्थरों की मौजूदगी के कारण कोयले की कमी के लिए कोयले की कंपनियों से दावा किया गया था। बोर्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बी टी पी एस में 2 जुलाई 2000 को कोयले के भंडार के भौतिक सत्यापन में 8.88 प्रतिशत कमी और 25 दिसंबर 2000 को 6 प्रतिशत कमी पाई गई थी। पत्थरों के लिए किए गए दावे की पूरी तरह क्षतिपूर्ति कोयले की कंपनियों द्वारा नहीं की गई है। जैसा कि आगे की कड़िका में उल्लेख किया गया है।

ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड से कोयले की आपूर्ति हेतु दावे

3.2.14 “कैश एण्ड कैरी सिस्टम” (अगस्त 1998) के प्रवेश के पश्चात् बी टी पी एस एवं एम टी पी एस प्रत्येक के लिए कोयले का क्रय प्रत्येक 10 दिनों पर 84 लाख रुपये के अग्रिम भुगतान द्वारा ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड (ई सी एल) से किया जाता है। लेखा को मिलाने के लिए सावधिक मिलान किया जाना था। इस उद्देश्य से सात बैठकें फरवरी 1999 एवं जुलाई 2002 के बीच आयोजित की गई थीं। ग्रेड की न्यूनता, कोयले की कम प्राप्ति, कोल रिजेक्टों, पत्थरों और कम कोयले की प्राप्ति पर रेल-भाड़े इत्यादि से संबंधित नवम्बर 1998 से मार्च 2002 की अवधि के 76.04 करोड़ रुपये (बी टी पी एस के 34.49 करोड़ रुपये) एवं (एम टी पी एस के 41.55 करोड़ रुपये) के दावे ई सी एल के साथ विवाद के अधीन थे जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-19 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच से निम्न बातों का पता लगा —

- बी टी पी एस के 5.23 करोड़ रुपये के दावे ई सी एल द्वारा स्वीकार नहीं किए गए क्योंकि “इन-मोशन माप-पुल” से वजन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्ट आउट प्रस्तुत करने में बोर्ड विफल हो गया था। इसी कारण से कम कोयले प्राप्ति के लिए 1.38 करोड़ रुपये का रेल-भाड़ा का दावा भी नहीं माना गया। इस तरह, माप-पुल के अनुरक्षण में विफल होने के परिणामस्वरूप बोर्ड को 6.61 करोड़ रुपये की हानि हुई।
- बी टी पी एस के पत्थरों के 2.88 करोड़ रुपये के दावे के विरुद्ध केवल 40 लाख रुपये स्वीकार किए गए। बोर्ड को 1.44 करोड़ रुपये का दावा छोड़ देना पड़ा। शेष 1.04 करोड़ रुपये की राशि अभी भी विवाद के अधीन थी।
- 26.83 करोड़ रुपये के अन्य दावों को ई सी एल एवं बी टी पी एस के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठकों में निपटाया नहीं जा सका (जुलाई 2002) और बोर्ड के स्तर पर इसके लिए कोई कार्रवाई भी नहीं की गई और इस प्रकार राशि अवरुद्ध हो गई।

इसीप्रकार, एम टी पी एस में 44.88 करोड़ रुपये के दावे के विरुद्ध केवल 1.90 करोड़ रुपये स्वीकार किए गए एवं 1.43 करोड़ रुपये अस्वीकृत कर दिए गए जबकि 41.55 करोड़ रुपये के दावे विवाद के अधीन थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कमियों एवं भाड़े संबंधी 10.95 करोड़ रुपये का दावा बोर्ड द्वारा एम टी पी एस में संस्थापित “इन-मोशन माप-पुल” से वजन का इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्ट-आउट प्रस्तुत नहीं किए जाने की वजह से स्वीकार नहीं किया गया। फलतः बोर्ड को 10.95 करोड़ रुपये की हानि हुई। पुनः बोर्ड के स्तर पर 30.60 करोड़ रुपये का दावा निपटाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसका कोई कारण भी अभिलेख में नहीं था।

बोर्ड को 48.35 करोड़ रुपये का अपना दावा छोड़ देना पड़ा।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि अगस्त 2003 में बोर्ड और ई सी एल के बीच हुई बैठक में बोर्ड के दोनों थर्मल पावर स्टेशनों के नवम्बर 1998 से मार्च 2002 की अवधि के 84.40 करोड़ रुपये के सभी दावे, विपत्रों के कुल 225.33 करोड़ रुपये मूल्य के 16 प्रतिशत अर्थात् 36.05 करोड़ रुपये को निपटान अंतिम रूप से हो गया। इस तरह बोर्ड को 48.35 करोड़ रुपये का अपना दावा छोड़ देना पड़ा।

लापता, असंयुक्त एवं विपथित वैगन

3.2.15 थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की प्राप्ति कोलियरियों से रेल-वैगनों के माध्यम से होता है। इस पर भाड़े आदि का भुगतान प्रायः क्रेडिट नोट कम चेक (सी एन सी) के माध्यम से अग्रिम में किया जाता है।

बोर्ड का लापता कोयले के वैगनों के लिए 41.13 करोड़ रुपये के दावा का निपटान नहीं हो सका।

रेलवे एवं थर्मल पावर स्टेशनों के बीच रेलवे के साथ लेखा के मिलान का कार्य समय-समय पर किया जाना अपेक्षित होता है। यह पाया गया कि बी टी पी एस (अक्टूबर 1999) एवं एम टी पी एस (अप्रैल 1999 तक) के दावा का समाधान करने हेतु रेलवे और बोर्ड के बीच बैठक मार्च 2000 में हुई थी। लेकिन कोयले के ग्रेड एवं मात्रा के मूल्यांकन का तरीका तय नहीं किया जा सका और बी टी पी एस (27.30 करोड़ रुपये) तथा एम टी पी एस (13.83 करोड़ रुपये) से संबंधित कोयले के लापता वैगनों के कारण बोर्ड के 41.13 करोड़ रुपये के दावा का निपटारा नहीं हो सका (अगस्त 2003)।

बोर्ड का 59 लाख रुपये का दावा कालातीत हो जाने के कारण रेलवे द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

पुनः लापता वैगनों से संबंधित एम टी पी एस के 59 लाख रुपये का दावा रेलवे द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि रेलवे द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत दावा नहीं किया गया था।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि दावों को रेलवे के साथ निपटाने के लिए अनेक बैठकें हुई थीं। लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और बोर्ड की निधियां अवरुद्ध रह गयीं।

वैगन टिपलरों की कम उपयोगिता

3.2.16 एम टी पी एस में दो वैगन टिपलरों को कोयले के वैगनों से कोयला उतारने के लिए संस्थापित किया गया है। परन्तु यांत्रिक त्रुटियों की वजह से इन्हें यदा-कदा चलाया गया था। एक टिपलर फरवरी 1996 से बेकार था। यद्यपि इसके मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए माइनिंग एण्ड एलायड मैशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड से 17.08 लाख रुपये के पुर्जे मंगाए गए थे (फरवरी 1998) लेकिन प्रबंधन द्वारा एक कार्यकारी एजेंसी को बहाल करने में उनकी विफलता की वजह से अबतक उपकरण को फिर से चालू नहीं किया जा सका था (अगस्त 2003)।

वैगन टिपलरों की उपयोगिता में मानक के विरुद्ध कमी 78-89 प्रतिशत थी।

एम टी पी एस के दूसरे वैगन टिपलर की स्थिति भी संतोषप्रद नहीं थी और अपनी सामान्य क्षमता से बहुत कम काम कर रहा था। यह देखा गया कि 1999-2003 के दौरान मानक के विरुद्ध वास्तव में कमी 78 और 89 प्रतिशत के बीच थी। चूँकि एक वैगन टिपलर बेकार था और दूसरा अपनी क्षमता से कम काम कर रहा था, बोर्ड को 1999-2002 के दौरान 26.65 लाख रुपये की लागत पर संवेदक के श्रमिकों को लगाना पड़ा था।

इसी तरह, बी टी पी एस में वैगन टिपलर अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रहा था। नमूना जांच में पाया गया कि 1998-2003 के दौरान मानक के विरुद्ध इसकी कार्य क्षमता में कमी 76 एवं 80 प्रतिशत के बीच थी। आगे पुनः देखा गया कि कोयले उतारने के लिए विभागीय श्रमिकों को लगाने का अभ्यास वहाँ भी हुआ था। लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि एक माह में 10 दिनों (औसत) में कोयले उतारने का काम होता था और 20 दिनों तक विभागीय श्रमिकों की सेवा का उपयोग कोल हैंडलिंग

संयंत्रों में अन्य कार्यों में किया जाता था। यह अभ्यास रोक दिया गया था (दिसंबर 1998) एवं दिसम्बर 1998 तथा मार्च 2003 के बीच 22.40 लाख रुपये की लागत पर संवेदक के श्रमिकों को लगाया गया था।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि वे वैगन टिपलरों पर पूर्णतया निर्भर नहीं रह सके और उन्होंने जुर्माने से बचने के लिए श्रमिकों को लगाया। बोर्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 1.01 करोड़ रुपये के जुर्माना (एम टी पी एस : 0.87 करोड़ रुपये एवं बी टी पी एस : 0.14 करोड़ रुपये) का भुगतान 1998-2003 के दौरान श्रमिकों को लगाने के बावजूद किया गया क्योंकि उन्होंने रात्रि पाली में काम नहीं किया था।

इन-मोशन रेलवे माप-पुलों का घटिया प्रदर्शन

इन-मोशन माप-पुल काम नहीं कर रहे थे।

3.2.17 एक 100 एम टी का इन-मोशन रेलवे माप-पुल 8.52 लाख रुपये की लागत पर बी टी पी एस रेलवे साइडिंग में कोयले के वैगनों को तौलने के लिए लगाया गया था (अक्टूबर 1996)। यह उपकरण कभी-कभी काम करता था। इन-मोशन माप-पुल जनवरी 2002 से पूर्णरूपेण बंद था।

इसी तरह, फरवरी 1996 में 16.29 लाख रुपये की लागत से एक इन-मोशन माप-पुल एम टी पी एस में लगाया गया था जबकि इसके लिए आदेश बहुत पहले फरवरी 1984 में दिया गया था। लेकिन इसे बिहार सरकार के माप-तौल विभाग द्वारा अक्टूबर 2000 में प्रमाणित किया जा सका था। फिर भी माप-पुल संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहा था और लगातार बंद होने लगा। लॉग-बुक नहीं रहने से इसका प्रदर्शन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त दूसरा 100 एम टी का इन-मोशन रेलवे माप-पुल 8.20 लाख रुपये की लागत पर एम टी पी एस में मंगाया गया (फरवरी 1999) जो जुलाई 1999 से भंडार में पड़ा था। इस मशीन को संस्थापित किया गया और इस पर बिहार सरकार के माप-तौल विभाग द्वारा मुहर लगाया गया (मार्च 2003)। लेकिन आपूर्तिकर्ता द्वारा वैगनों को चालू स्थिति में रखकर अबतक अंशांकन नहीं किया जा सका था (अक्टूबर 2003)। फलतः बोर्ड प्राप्त कोयले के तौल (वजन) का इलेक्ट्रॉनिक प्रिण्ट आउट कोयले कंपनियों/रेलवे को कोयले की कम प्राप्ति के अपने दावों के समर्थन में प्रस्तुत नहीं कर सका।

कोयले का परिवहन

साइडिंग चार्जों का परिहार्य भुगतान

बी टी पी एस को अपना साइडिंग है लेकिन साइडिंग चार्जों के रूप में रेलवे को 2.07 करोड़ रुपये भुगतान किया।

3.2.18 उपभोक्ता यदि रेलवे-साइडिंग का उपयोग करता है तो साइडिंग चार्ज भुगतान करता है। यह देखा गया कि बी टी पी एस को अपना साइडिंग था और इसने रेलवे के साइडिंग का उपयोग नहीं किया था लेकिन 1998-2003 की अवधि के लिए 2.07 करोड़ रुपये का भुगतान रेलवे को साइडिंग चार्ज के रूप में किया। एम टी पी एस को भी अपना साइडिंग है लेकिन वहाँ ऐसा भुगतान नहीं किया जा रहा था।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि बी टी पी एस के मामले में साइडिंग एकरारनामा के अनुसार यह परिहार्य नहीं था। न तो बोर्ड और न ही बी टी पी एस प्रबंधन ने लेखापरीक्षा को बोर्ड के तर्क को जांचने परखने के लिए साइडिंग एकरारनामा उपलब्ध

कराया। फिर भी, यदि एकरारनामा में यह विहित है, तो बोर्ड को रेलवे के साथ इस मामले को नए सिरे से उठाना चाहिए क्योंकि रेलवे का नियम सबके साथ समान रूप से लागू होगा। संयोगवश बी टी पी एस एवं एम टी पी एस दोनों ईस्टर्न सेण्ट्रल रेलवे के उसी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

बाउल मिलें

3.2.19 कोयले को कटोरे जैसे ढांचे में पीसा जाता है जहाँ कटोरे के संयोजन की सहायता से कोयले का चूर्ण बनाया जाता है। इस ढांचे को बाउल मिल कहा जाता है।

एम टी पी एस में 12 बाउल मिलें, प्रत्येक इकाई में छः हैं। 12 बाउल मिलों में से प्रत्येक इकाई में दो बंद हैं, दो सहारे के रूप में तथा चार मिलें प्रचालन में हैं।

इसी तरह, बी टी पी एस में दो भागों में 10 बाउल मिलें (2 x 110 मे. वा.) प्रत्येक इकाई में 5 हैं। इनमें से दो मिलों को सुरक्षित रखे गए हैं।

बाउल मिलों में प्रयुक्त पार्ट-पुर्जों का प्रदर्शन

3.2.20 थर्मल पावर स्टेशन के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि समीक्षा अवधि के दौरान नाजुक पार्ट-पुर्जों की खपत, प्राप्त कोयले में अधिक मात्रा में पत्थरों एवं अन्य बाहरी सामग्रियों की उपस्थिति के कारण बहुत उच्चतर थी। अभिलेखों की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आए :-

अवमानक पूर्जों का उपयोग

वर्मशाफ्ट, कुंजी सहित गियर, नट एवं लॉक

एम टी पी एस ने 48.59 लाख रुपये के अवमानक पुर्जों की अधिप्राप्ति की।

3.2.21 बी टी पी एस में वर्मशाफ्ट, कुंजी सहित गियर नट एवं लॉक की अधिप्राप्ति भेल से की गई थी जबकि एम टी पी एस में इन पुर्जों को एलेनबेरी वर्क्स, कोलकाता से मंगाया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि बी टी पी एस में तीन सेटों की खपत के विरुद्ध एम टी पी एस में इसी अवधि के दौरान 15 सेटों की खपत हुई थी। आगे यह भी पता चला कि 30.37 लाख रुपये की लागत पर एलेनबेरी से मंगाए गए पुर्जों के पांच सेट समय से पहले विफल हो गए, पुनः 18.22 लाख रुपये की लागत पर तीन सेटों के लिए क्रयादेश फर्म को दिया गया था। इसके अलावे, एम टी पी एस के अधिकारीगण ने माना कि फर्म से मंगाए गए पुर्जों का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं था।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि पुर्जों की अधिप्राप्ति आपूर्तिकर्ता से आयात के प्रतिस्थानिक के रूप में की गई थी। भेल के आयातित मद की लागत 8 लाख रुपये, एलेनबेरी के 4.96 लाख रुपये की तुलना में थी। बोर्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड को आठ की जगह पहले एक या दो मदों को उनके प्रदर्शन को देखने के लिए

मंगाना चाहिए था। पुनः बोर्ड ने अवमानक पुर्जों की अधिप्राप्ति के चलते 50.40* लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

बी टी पी एस में दोषपूर्ण पुर्जों की अधिप्राप्ति

बी टी पी एस ने 48.63 लाख रुपये के दोषपूर्ण पुर्जों की अधिप्राप्ति की जो भंडार में पड़े थे।

3.2.22 40.73 लाख रुपये की लागत पर दिसंबर 1993 में दिए गए क्रयादेश के विरुद्ध वर्म शाफ्टों, कुंजी सहित गियर, नट्स एवं लॉक के दो सेट बी टी पी एस भंडार में सितंबर 1994 एवं नवंबर 1997 में प्राप्त किए गए जो भंडार में पड़े थे (मई 2003) क्योंकि आवरण के विवरण एवं सामग्री मेल नहीं खाते थे। इसी तरह, वर्म शाफ्ट, कुंजी सहित गियर एवं नट्स एवं लॉक के एक सेट 7.90 लाख रुपये की लागत पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से जुलाई 2001 में मंगाए गए थे। परन्तु इसे आवरण के विवरण एवं सामग्री में मेल नहीं होने के कारण लेखांकित नहीं किए जा सके। आपूर्तिकर्ता के साथ इस मामले को जुलाई 2001 में उठाया गया था परन्तु अब तक कुछ नहीं किया जा सका। बोर्ड द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई और 48.63 लाख रुपये अवरुद्ध हो गए।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि जुलाई 2001 में प्राप्त पुर्जों के एक सेट के सम्बन्ध में भेल ने आश्वासन दिया कि ये पुर्जे आपस में बदलने योग्य थे और इसे लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। परन्तु वास्तविकता यह थी कि ये पुर्जे बिना खुले भंडार में अब भी पड़े थे। इस शर्त पर पूर्व के आदेश के विरुद्ध प्राप्त पुर्जों के दो सेटों का उपयोग कर लिया जाना चाहिए था और पुनः आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी।

बियरिंग हाउसिंगों की अनावश्यक अधिप्राप्ति

16.72 लाख रुपये के पुर्जों की अधिप्राप्ति बहुत पहले की गई जो अव्यवहृत पड़े थे।

3.2.23 बी टी पी एस ने बाउल मिलों के लिए थ्रस्ट बियरिंग हाउसिंग, रेडियल बियरिंग हाउसिंग, कोल कम्पार्टमेंट एसेम्बली इत्यादि नामक पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए 16.72 लाख रुपये का एक आदेश भेल को दिया (सितंबर 1998)। ये पुर्जे अगस्त 1999 में प्राप्त हुए और भुगतान किया गया। तथापि यह पता चला कि ये भंडार में अव्यवहृत पड़े थे (मई 2003)। बी टी पी एस के प्रबंधन ने बताया कि इन पुर्जों का उपयोग तब किया जाएगा जब यूनिट छः का पूंजीगत अनुरक्षण आरंभ होगा। चूँकि यूनिट छः का पूंजीगत अनुरक्षण निकट भविष्य में कराने का विचार नहीं किया गया था, इन पुर्जों की अग्रिम अधिप्राप्ति विवेकपूर्ण नहीं था। फलतः 16.72 लाख रुपये की निधि अवरुद्ध हो गई।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) की पुर्जों की अग्रिम अधिप्राप्ति की गई थी क्योंकि लीड टाईम लंबा था और इसका उपयोग यूनिट के पूंजीगत संरक्षण में किया जायगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन पुर्जों के लिए लीड-टाईम छः से नौ महीने हैं और पुर्जे विगत चार वर्षों से पड़े थे।

*
15 सेटों की लागत 4.96 लाख रुपये की दर पर = 74.40 लाख रुपये
3 सेटों की लागत 8 लाख रुपये की दर पर = 24 लाख (74.40 लाख रुपये - 24 लाख रुपये = 50.40 लाख रुपये)

बी टी पी एस की बंद इकाइयों के लिए पुर्जों की अधिप्राप्ति

बोर्ड ने इकाइयों के बंद रहने एवं सुपुर्दगी की तिथि के बाद 26.52 लाख रुपये के पुर्जों को स्वीकार किया।

3.2.24 इकाई संख्या चार और पांच क्रमशः अप्रैल 1996 तथा मार्च 1995 से बंदी के अधीन थे। इन इकाइयों को राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड को दिए गए बोर्ड के वचन के अनुसार जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटरों को संस्थापित नहीं किया जाता तब तक पुनः चालू नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद प्रबंधन ने इन इकाइयों के बाउल मिलों के लिए पुर्जों की अधिप्राप्ति की जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :—

- बी टी पी एस द्वारा ग्राइन्डिंग रिंगों के तीन सेटों के लिए 24 लाख रुपये एवं करों की लागत पर जून 1994 में ए सी सी बेवकॉक लिमिटेड को क्रयादेश दिया गया था। आदेश की शर्तों के अनुसार, सामग्री की सुपुर्दगी 4 से 5 महीनों के अन्दर की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एक सेट जनवरी 1995 में प्राप्त हुआ और प्रयुक्त हो गया। इकाइयों के बंद हो जाने पर बोर्ड ने आदेश को रद्द करने की कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह 18.80 लाख रुपये मूल्य के शेष दो सेटों को तैयार कर फर्म द्वारा बोर्ड के परिवहनकर्ता को जुलाई 1998 में सौंप दिया गया और बी टी पी एस द्वारा रोड परमिट जारी नहीं करने के कारण वहीं पड़ा रहा। करारनामा के शर्तों के अनुसार बी टी पी एस को 3.20 लाख रुपये अग्रिम का भुगतान पहले ही करना पड़ा और उसके विरुद्ध 15.60 लाख रुपये की देयता उठानी पड़ी।
- इसी तरह, बोर्ड ने 6.58 लाख रुपये एवं करों की लागत पर एक सेट ग्राइन्डिंग रौल की आपूर्ति के लिए सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड, कोलकाता को जून 1994 में एक क्रयादेश दिया था। आदेश की शर्त के अनुसार सामग्री की सुपुर्दगी छः से आठ महीनों के अन्दर की जानी थी। इकाइयों के बंद हो जाने पर बोर्ड ने आदेश को रद्द करने की कोई कार्रवाई नहीं की। अतः 7.72 लाख रुपये की लागत पर अप्रैल 1997 में ग्राइन्डिंग रौल प्राप्त की गई थी जो भंडार में अव्यवहृत पड़े थे।
- बोर्ड ने बी टी पी एस के इकाई चार एवं पाँच के कोल हैंडलिंग प्लांट में पुर्जों के रूप में उपयोग के लिए 28 मर्दों की आपूर्ति 98 लाख रुपये की लागत पर करने के लिए मई 1997 में ए बी बी ए बी एल लिमिटेड को आदेश दिया और 8.22 लाख रुपये अग्रिम का भुगतान किया। क्रयादेश की शर्त के अनुसार क्रयादेश की तिथि से 10 से 12 महीनों के अन्दर सामग्री की आपूर्ति की जानी थी। फर्म ने 18.71 लाख रुपये मूल्य के छः मर्दों की आपूर्ति 1997-98 के दौरान की। इन पुर्जों को निरीक्षण के अभाव में भंडार में नहीं रखा जा सका था और ये बिना लेखा-जोखा के पड़े थे (अगस्त 2003)। पुनः 37.41 लाख रुपये मूल्य के पुर्जों की 13 मर्दें आपूर्तिकर्ता द्वारा जुलाई 1998 में भेजी गई जो रोड परमिट के अभाव में परिवहन कर्ता के गोदाम में पड़े थे। चूँकि इकाई संख्या चार और पांच अप्रैल 1996 से पूर्व में बंदी के अधीन थे, फर्म को उपर्युक्त क्रयादेशों को देने, 47.90 लाख रुपये की देयता उठाने एवं 8.22 लाख रुपये अग्रिम भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं था।

बोर्ड ने इकाइयों की बंदी के बाद पुर्जों के लिए आदेश दिया और 56.12 लाख रुपये की देयता उठायी।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि इन पुर्जों के लिए क्रयादेश तब दिए गए थे जब इकाइयां प्रचालन में थीं। लेकिन लेखापरीक्षा टिप्पणी यह थी कि प्रबंधन को इकाइयों के बंद हो जाने पर आदेशों को रद्द कर देना चाहिए था क्योंकि आदेशों के अनुसार सुपुर्दगी के लिए निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

ऐश हैंडलिंग एण्ड कोल रिजेक्ट्स सिस्टम

राख में बिन जले कोयले की अत्यधिक उपस्थिति

राख में बिन जले कोयले की उच्चतर प्रतिशतता के लिए बोर्ड को 2.85 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

3.2.25 न तो थर्मल प्लांटों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में और न ही केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने राख में बिन जले कोयले की उपस्थिति की कल्पना की गई थी। फिर भी, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एम टी पी एस में ऊपरी राख एवं निचली राख में बिन जले कोयले की उपस्थिति क्रमशः 5.2 एवं 7.2 प्रतिशत तथा 18 एवं 26.6 प्रतिशत के बीच थी। राख में पाए जाने के कारण 2.85 करोड़ रुपये मूल्य के 20,356.55 मीट्रिक टन बिन जले कोयले की हानि हुई। बोर्ड ने इसके कारणों का पता नहीं लगाया। फिर भी लेखापरीक्षा में इन छीजनों के लिए कारणों में कोयले की घटिया किस्म, बाउल मिलों का अपर्याप्त कार्यचालन तथा दोषपूर्ण ऑयल गनं आदि पाए गए। बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2003) कि राख में बिन जले कोयले की अधिक मात्रा में उपस्थिति बॉयलर के फर्नेस में कोयले के अच्छी तरह नहीं जलने के कारण थी क्योंकि फर्नेस बुरी स्थिति में थी। इसे प्लांट के समय-समय पर/पूँजीगत अनुरक्षण के बाद ही नियंत्रित किया जाएगा।

बी टी पी एस में ऊपरी राख एवं निचली राख में बिन जले कोयले की प्रतिशतता क्रमशः 3.7 एवं 5.7 प्रतिशत और 16.5 एवं 17.5 प्रतिशत के बीच थी। इस कारण हुई हानि की राशि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि राख की मात्रा संबंधी आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

कोल रिजेक्टों के कारण परिहार्य हानि

बोर्ड ने न तो कोल रिजेक्टों के लिए कोल कंपनियों से 15.23 करोड़ रुपये का दावा किया और न ही इसे बेचा।

3.2.26 जब क्रशरों द्वारा 20 मि. मी. से बड़े आकार के निकाले गए कोयले मिलों द्वारा चूर्ण नहीं किए जा सकते हैं और मिलों में लगे निकास छिद्रों से बाहर आते हैं तो कोल मिलों में कोल रिजेक्ट्स उत्पन्न होते हैं। मिलों से बाहर निकले इन कोल रिजेक्टों में कार्बन और पत्थर दोनों मिले होते हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि एम टी पी एस में (1998-99 से 2002-03 तक) और बी टी पी एस में (2000-01 से 2002-03 तक) कोयले की कंपनियों से प्राप्त 20.44 करोड़ रुपये के बराबर कोल रिजेक्टों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा सिर्फ 5.21 करोड़ रुपये का दावा किया गया तथा 15.23 करोड़ रुपये का दावा नहीं किया गया।

1996 तक बोर्ड कोल रिजेक्टों को ईट-भट्टा मालिकों तथा अन्य पार्टियों को बेच दिया करता था लेकिन समीक्षा के अन्तर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान कोल रिजेक्टों के भंडार के निष्पादन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

बोर्ड ने अपने उत्तर में संपुष्ट किया (अक्टूबर 2003) कि कोल कंपनियों पर किए गए 5.21 करोड़ रुपये के दावे सिर्फ पत्थरों से संबंधित थे। लेकिन कोल रिजेक्टों के निष्पादन के मामले में यह उत्तर मौन था।

निष्कर्ष

कोल हैंडलिंग संयंत्रों एवं बाउल मिलों की अपक्रिया, प्राप्त कोयले की निम्न गुणवत्ता, रेलवे एवं कोल कंपनियों के साथ दावों का निपटारा न होने एवं उपकरण एवं मशीनरी के अपर्याप्त कार्य संपादन के कारण कोयले की अधिक खपत और संयंत्र के पूंजीगत अनुरक्षण की अनुसूची का अनुपालन नहीं होने के कारण बोर्ड को 278.30 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा दावों को समय पर पुनः प्राप्त करने के लिए बोर्ड को यह मामला उचित मंच पर उठाना चाहिए। अनुकूलतम उत्पादन स्तर को पाने के लिए पूंजीगत अनुरक्षण की अनुसूची का अनुपालन भी होना चाहिए।

इस मामले की सूचना सरकार को दी गई थी (जून 2003) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2003)।

4. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित विविध रोचक प्रसंग

सरकारी कम्पनियाँ

बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड

4.1 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क

भारत सरकार (भा.स.) ने वित्तीय सहायता द्वारा राज्य सरकारों को निर्यात प्रयासों में अंतर्निहित करने के अभिप्राय से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (इ. पी. आई. पी.) के विकास हेतु एक योजना प्रायोजित की (मार्च 1993) जिसके अन्तर्गत उच्च मानक की आधारभूत सुविधाएँ जैसे ऊर्जा, जल, सड़क, मल-जल व्यवस्था, जल निकास आम, दूर-संचार तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण एवं इन पार्कों में निर्यात उन्मुख औद्योगिक इकाईयों की स्थापना किया जाना था। पार्क के स्थल के लिए हाजीपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र, जिला वैशाली को चयनित किया गया क्योंकि यह स्थल राज्य मुख्यालय पटना के करीब था एवं यहाँ आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ उच्च भूमिगत जल स्तर उपलब्ध था। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार सरकार ने बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड (कम्पनी) को इ. पी. आई. पी. का विकास करने के लिए कार्यकारी अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया (नवम्बर 1994) ताकि ऐसे औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जाय जो अपने उत्पादन (मूल्य के आधार पर) का 25 प्रतिशत भाग (तदोपरांत बढ़कर 33 प्रतिशत) निर्यात करें।

इ पी आई पी का प्रबन्धन 13 सदस्यों (अध्यक्ष छोड़कर) वाली राज्य स्तरीय समिति में निहित है जिसके प्रधान अध्यक्ष (पदेन) के रूप में सचिव, उद्योग विभाग-सह-औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार सरकार है। समिति द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों को बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

4.1.1 योजना का वित्त पोषण

भूमि की लागत को छोड़कर आधारभूत सुविधाओं की लागत का 75 प्रतिशत जिसकी परिसीमा 10 करोड़ रुपये तक थी केन्द्र सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध थी तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना था।

भारत सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन जिसकी प्राक्कलित राशि 11.11 करोड़ रुपये था का अनुमोदन किया (अप्रैल 1995)। प्राक्कलित राशि, जो बाद में बढ़कर 14.92 करोड़ रुपये (फरवरी 1999) हो गयी, का अनुमोदन भारत सरकार के द्वारा नहीं हुआ। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार योजना का समापन तीन वर्षों के अन्दर होना था (अर्थात् अप्रैल 1998)।

14.92 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित परियोजना लागत में से (केन्द्र सरकार : 10 करोड़ रुपये, राज्य सरकार : 4.92 करोड़ रुपये) भारत सरकार ने 8 करोड़ रुपये विमुक्त किए (अप्रैल 2003 तक) तथा राज्य सरकार का योगदान 4.91 करोड़ रुपये था।

केन्द्रीय सहायता (8 करोड़ रुपये) राज्य सरकार को 1996-2002 की अवधि में तीन किस्तों में विमुक्त की गयी थी। भारत सरकार से प्राप्त (जुलाई 2001) तीसरी किस्त की 3 करोड़ रुपये की राशि को राज्य सरकार ने कम्पनी को प्राप्ति के 20 महीने विलम्ब के पश्चात् संवितरित (अप्रैल 2003) किए। राज्य सरकार के द्वारा देर से किए गए संवितरण का कारण अभिलेख में मौजूद नहीं था। तीसरी किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में भारत सरकार ने दो करोड़ रुपये की शेष राशि को विमुक्त नहीं की।

राज्य सरकार के द्वारा तीसरी किस्त के संवितरण में विलम्ब एवं भारत सरकार के द्वारा शेष दो करोड़ रुपये की निधि का विमुक्त न किया जाना, योजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण थे।

4.1.2 असैनिक कार्य

उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से कम्पनी ने 94.20 एकड़ भूमि अपने कब्जे में लिया (फरवरी 1996) जिसमें से 79.96 एकड़ भूमि प्रत्याशित औद्योगिक इकाईयों के बीच विकसित भूमि, औद्योगिक शैड तथा फ्लैटेड कारखानों के रूप में संवितरण/आवंटन तथा शेष 14.24 एकड़ भूमि सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए चिह्नित किए गए थे।

तकनीकी स्वीकृति एवं विस्तृत अभियंत्रण प्राक्कलन की जांच बिहार सरकार के एक अवकाश प्राप्त मुख्य अभियंता के द्वारा की गयी थी परन्तु भारत सरकार के निदेशों के बावजूद विस्तृत अभियंत्रण प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी केन्द्रीय तकनीकी अभिकरण से नहीं कराया गया। भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने का कारण अभिलेख में दर्ज नहीं था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा के क्रम में पायी गयी त्रुटियों की विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

4.1.3 प्लोटों का विकास

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार इ. पी. आई. पी. के योजना के नक्शे में निहित लघु, मध्यम तथा बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाईयों के लिए 0.5 एकड़ से 7 एकड़ तक विभिन्न आकार के 55 प्लोटों का विकास किया जाना था।

कोई भी आधारभूत सुविधा पूर्ण नहीं हो सकी थी।

फरवरी 2002 तक 9.42 करोड़ रुपयों के व्यय के पश्चात् कोई भी आधारभूत सुविधा पूर्ण नहीं हो सकी थी। फलस्वरूप प्रत्याशित उद्यमियों को शैड/प्लॉट का आवंटन नहीं किया जा सका तथा निधि अवरुद्ध रही। मदवार प्राक्कलन, वास्तविक व्यय, पूर्ण होने की स्थिति तथा शेष कार्य की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-20 में दी गयी है। अभिलेखों के जाँच के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं को देखा गया :-

- ऊर्जा वितरण कार्य के लिए 2.15 करोड़ रुपयों की स्वीकृत लागत के विरुद्ध 2.17 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके थे परन्तु पोलों का उस्थापन

तथा 33 के.भी. लाईन की ओवरहेड वायरिंग का कार्य (1.25 करोड़ रुपये प्राक्कलित लागत) प्रारम्भ भी नहीं किया गया था (अगस्त 2003)।

- यद्यपि प्रगति प्रतिवेदन में फ़ैक्ट्री शेड्स तथा सामान्य सुविधाओं को पूर्ण दिखाया गया था परन्तु वे पूर्ण नहीं थे क्योंकि आन्तरिक नलकारी, शौचालय, फिटिंग्स तथा विद्युतीकरण के कार्य शेष थे।
- दूर-संचार सुविधा का कार्य प्रारम्भ भी नहीं किया गया था।
- दो ओवरहेड पानी टंकी के साथ दो नलकूप तथा पाइपलाईन वितरण नेटवर्क का प्रावधान था। एक नलकूप स्थापित की गयी है। ओवरहेड टंकी का कार्य प्रगति पर था तथा पाइपलाईन वितरण नेटवर्क का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया था।

अतएव आधारभूत सुविधाओं का कार्य पूरा नहीं होने के कारण तीन उद्यमियों को केवल तीन प्लॉट ही अपूर्ण अवस्था में आवंटित किए जा सके।

4.1.4 प्लॉटों के बिक्री दर का निर्धारण

केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के विरुद्ध भूमि का मूल्य निर्धारित किया गया।

भारत सरकार के निदेशानुसार उद्यमियों के लिए ई. पी. आई. पी. को आकर्षित बनाने के उद्देश्य से ई. पी. आई. पी. के प्लॉटों/शेडों के आवंटन हेतु बिक्री मूल्य/किराया की संगणना करते वक्त केन्द्रीय अनुदान को नहीं लिया जाना था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्लॉटों के बिक्री मूल्य निर्धारण करते वक्त केन्द्रीय अनुदान को छोड़ा नहीं गया। फलस्वरूप बिक्री मूल्य 7.16 लाख रुपये प्रति एकड़ के विरुद्ध 16.00 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गयी। उच्चतर बिक्री मूल्य के कारण कम्पनी को 55 प्लॉटों के विरुद्ध मात्र 15 आवेदन प्राप्त हुए। अतः निर्यात उन्मुख ईकाईयों को आकर्षित करने का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

4.1.5 निर्यात प्रतिबद्धता का निष्पादन

प्लॉटों का आवंटन वैसे उद्यमियों को किया गया जो हकदार नहीं थे।

ई. पी. आई. पी. योजना में यह आवश्यक था कि पार्क में वैसी ईकाईयों को स्थापित करने की मंजूरी दी जाय जो कार्यकारी अभिकर्ता (कम्पनी) को अपने कुल उत्पादन मूल्य का 33 प्रतिशत भाग निर्यात करने का वैध वचन देते हो। अभिलेखों की जांच परीक्षण पर यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार (भा. स.) के निर्देशों के आवश्यकतानुसार कम्पनी ने अभी तक उनलोगों के वास्तविक उत्पादन का प्रकार/मात्रा/मूल्य की संवीक्षा करने के लिए तंत्र का विकास नहीं किया था। इन ईकाईयों में उत्पादन शुरू होने की तिथि भी उपलब्ध नहीं थी। आगे देखा गया कि तीन उद्यमियों को तीन प्लॉट आवंटित किए गए पर इनमें से दो ईकाईयाँ निर्यात उन्मुख नहीं होने के कारण योजना के अंतर्गत आवंटन योग्य नहीं थे। तीसरी पार्टी के निर्यात प्रतिबद्धता के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, अतएव लेखापरीक्षा में ई. पी. आई. पी. में प्लॉट की इनकी हकदारी की जांच नहीं की जा सकी। पार्टीवार विस्तृत विवरणी अधोलिखित है :-

भूमि का मूल्य
अवसूलित रहने के
कारण 1.64 करोड़
रुपये की निधि का
अवरुद्धीकरण तथा
उसपर 73.85 लाख
रुपये के ब्याज की
हानि।

- उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर से 94.3 एकड़ भूमि को कब्जे में लेने के पश्चात् कम्पनी ने जून 1997 में लुम्बिनी बीभरेज प्राईवेट लिमिटेड को 1.49 करोड़ रुपये मूल्य के 9.30 एकड़ भूमि इस शर्त के साथ पट्टे पर दी कि भूमि की लागत की अदायगी तीन किस्तों में की जाएगी। 48 लाख रुपये की प्रथम किस्त तुरंत जमा की जानी थी तथा 51.20 लाख रुपये एवं 49.60 लाख रुपये की शेष दो किस्त (1.01 करोड़ रुपये) क्रमशः नवम्बर 1997 एवं नवम्बर 1998 में जमा किए जाने थे। पट्टाधारी ने 48.00 लाख रुपये की प्रथम किस्त जमा (नवम्बर 1996) करने के पश्चात् शेष दो किस्तों (1.01 करोड़ रुपये) के साथ 12 प्रतिशत ब्याज की दर से 57.65 लाख रुपये (मार्च 2003) जमा नहीं किए।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम सेन्ट्रल इन्सटीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरींग टेक्नॉलोजी को 84.00 लाख रुपये मूल्य का 5.25 एकड़ भूमि आवंटित किया गया (दिसम्बर 1996)। कम्पनी मार्च 1999 तक मात्र 30.00 लाख रुपये वसूल कर सकी। आवंटी को मार्च 1999 में भूमि हस्तगत कर दी गयी थी। बची हुई शेष राशि 54.00 लाख रुपये की अदायगी न होने के फलस्वरूप 1999-2003 की अवधि में 12 प्रतिशत की दर से 16.20 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।
- पारमर एग्रो वेंचर (प्रा.) लिमिटेड को शीत भंडार गृह की स्थापना हेतु 16.00 लाख रुपये मूल्य पर एक एकड़ भूमि आवंटित की गई (अप्रैल 2001)। यह देखा गया कि ईकाई से 16.00 लाख रुपये में से जून 2003 तक मात्र 6.85 लाख रुपये की वसूली की गई थी तथा शेष राशि 9.15 लाख रुपये की वसूली अभी की जानी थी।

अतएव, निर्यात उन्मुख ईकाईयों के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से बनी योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2003) था ; उनके उत्तर प्राप्त (अगस्त 2003) नहीं हुए थे।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड

4.2 अत्यधिक रूपान्तरण हानि

मीटर की संस्थापना में विफल होने तथा केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसरण न किए जाने के फलस्वरूप कम्पनी को 1.66 करोड़ रुपये की हानि।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड (कम्पनी) में 6.6 के. भी. पर उत्पादित बिजली को 33 के.भी. पर रूपान्तरित कर बिक्री हेतु बिहार राज्य बिजली बोर्ड (बोर्ड) को संप्रेषित की जाती थी। उत्पादित बिजली के रूपान्तरण की प्रक्रिया में रूपान्तरण हानि

के रूप में कुछ बिजली की हानि हो जाती थी। भारत सरकार (भा. स.) द्वारा दिनांक 30 मार्च 1992 के गजट अधिसूचना के द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्पादित बिजली के रूपांतरण हानि के लिए 0.5 प्रतिशत मानक निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा के क्रम में यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा रूपांतरण हानि बिना घटाए उत्पादन बिंदु पर मीटर के पठन को आधार मानकर बिजली के विक्रय का विपत्र बनाया जाता था। जब बोर्ड ने इसे इंगित किया तब बोर्ड एवं कम्पनी के बीच एक बैठक हुई (अप्रैल 2001) जिसमें यह तय किया गया कि आपूर्ति पुनर्गम की तिथि (1992-93) से बोर्ड के प्राप्ति छोर पर कम्पनी के द्वारा मीटर के संस्थापन करने तक रूपांतरण हानि के लिए विपत्र से 3 प्रतिशत घटाए जाएंगे। तदनुसार, बोर्ड ने 1992-93 से 2000-01 की अवधि से संबंधित कम्पनी के दावे में से मानक से अधिक रूपांतरण हानि के लिए 1.18 करोड़ रुपये घटा दिए थे। 2001-02 से कम्पनी के द्वारा उत्पादित बिजली में से 3 प्रतिशत घटाने के पश्चात् विपत्र बनाए गए। फलस्वरूप 2001-02 एवं 2002-03 की अवधि में 48 लाख रुपये कम का विपत्र बनाया गया था।

अतएव, बोर्ड के प्राप्ति छोर पर 0.39 लाख रुपये लागत के मीटर के संस्थापन नहीं करने के कारण तथा भा. स. के निर्धारित मानक का अनुपालन नहीं करने के कारण कम्पनी को 1.66 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2003) कि के. वि. प्रा.* के द्वारा कोई मानक का निर्धारण नहीं किया गया था, बोर्ड के द्वारा काटी गयी राशि प्रतिपूर्ति योग्य थी तथा बोर्ड के द्वारा कटौती को बन्द करने के लिए सभी सम्भावित कदम उठाए गए थे। प्रबन्धन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं था क्योंकि 0.5 प्रतिशत का मानक भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गयी थी, कटौती की गयी राशि प्रतिपूर्ति योग्य नहीं थी तथा आगे कटौती को बचाने के लिए सिर्फ 0.39 लाख रुपये लागत की मीटर के संस्थापन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 2003) ; उनके उत्तर अबतक प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2003)।

बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

4.3 दंड-शुल्क की वसूली न होना

करारनामा के दंड-अनुबंध को लागू करने में विफल होने के फलस्वरूप कम्पनी को 32.07 लाख रुपये की हानि हुई।

बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड ने मार्च 2001 से फरवरी 2003 की अवधि में सेमरा/सलतुआ चूना पत्थर खदान से चूना पत्थर खनन करने तथा खनन की गयी चूना पत्थर को क्रय करने का आदेश दो अभिकरणों अर्थात् साहेब मिनरल इन्डस्ट्रीज

* केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

तथा दूबे कन्सट्रक्शन को दिया (मार्च 2001)। नवम्बर 2001 से प्रभावी करारनामे के शर्तों में अभिकरणों को खनिज की न्यूनतम मासिक मात्रा क्रमशः 3000 एम. टी. घटकर 2500 एम. टी. तथा 1500 एम. टी. घटकर 1000 एम. टी. का खनन/क्रय करने का प्रावधान था। न्यूनतम मात्रा तक खनिज का खनन/क्रय में असफल होने पर उन्हें न्यूनतम उत्पादन/क्रय में कमी के लिए 75 रुपये प्रति एम. टी. की दर से दंड-शुल्क कम्पनी को देना था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जनवरी 2003) कि अगस्त 2002 तक दोनों अभिकरणों ने 68500 एम. टी० की न्यूनतम मात्रा के विरुद्ध मात्र 25739.15 एम. टी. चूना पत्थर खनन/क्रय किया। परन्तु चूना पत्थर के खनन/क्रय में कमी (42760.85 एम. टी.) के फलस्वरूप 32.07 लाख रुपये के दंड शुल्क की वसूली कम्पनी ने नहीं की।

प्रबन्धन द्वारा करारनामों के अनुबन्ध/कार्यादेश के दंड-अनुबंधों को लागू नहीं करने के कारण कम्पनी को 32.07 लाख रुपये की गारंटीड राजस्व से वंचित होना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2003) कि असमाजिक तत्वों के द्वारा खड़ी की गई समस्याओं के कारण संवेदक उत्पादन का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सका तथा दंड शुल्क की वसूली नहीं की गयी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रबन्धन ने असमाजिक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की तथा कम्पनी को 32.07 लाख रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

मामले की सूचना सरकार को दी गई थी (जून 2003) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2003)।

साविधिक निगम

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

4.4 विपत्रीकरण में विलम्ब के कारण 13.19 लाख रुपये ब्याज की हानि

न्यूनतम प्रत्याभूति खपत के विपत्रीकरण में विलम्ब के कारण बोर्ड को 13.19 लाख रुपये ब्याज की हानि।

उच्च विभव वाले उपभोक्ताओं तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच हुए अनुबन्ध के खण्ड 4 (घ) के अनुसार न्यूनतम प्रत्याभूति खपत के कारण वर्ष अथवा वर्ष के किसी भाग के लिए विपत्र हर वर्ष जून के अंत तक देना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अप्रैल/सितम्बर 2002) कि दो उच्च विभववाले उपभोक्ताओं के साथ क्रमशः अगस्त 1999 एवं नवम्बर 2000 में हुए अनुबन्ध के उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए वर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 के लिए न्यूनतम प्रत्याभूति खपत के कारण कुल 100.20 लाख रुपये (संचरण अंचल, बिहारशरीफ : 72.22 लाख रुपये तथा संचरण अंचल, पटना : 27.98 लाख रुपये) का विपत्र क्रमशः 14 एवं 11 महीनों के

विलम्ब से अगस्त 2001 तथा मई 2002 में निर्गत किया गया। पटना अंचल में विपत्र लेखापरीक्षा (अप्रैल 2002) के द्वारा इंगित करने के बाद ही बनाए गए। विपत्र निर्गत करने में हुई देर का कारण अभिलेखों में मौजूद नहीं था।

अतएव, न्यूनतम प्रत्याभूति खपत के विपत्रीकरण में विलम्ब के कारण बोर्ड को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 13.19 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई। विपत्रीकरण में विलम्ब के लिए बोर्ड के द्वारा कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अगस्त 2003)।

4.5 फर्जी व्यय

मापी पुस्तिका में फर्जी प्रविष्टि के कारण बोर्ड को 9.53 लाख रुपये की हानि।

विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, दरभंगा ने 14.56 लाख रुपये की अनुमानित लागत दर पर तीन गाँवों यथा सुरियाही, सुगापट्टी तथा हसनपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य (उच्च विभव एवं निम्न विभव लाईनों का निर्माण) हेतु स्वीकृति प्रदान की (नवम्बर 1994)। उक्त कार्य के निष्पादन के लिए 0.95 लाख रुपये की मजदूरी लागत पर एक संवेदक के साथ अनुबन्ध किया गया (जनवरी 1995)। इस कार्य को मार्च 1995 तक पूरा करना था।

संवेदक को 9.02 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियाँ (पोल्स, ब्रौकेट, कनडक्टर इत्यादि) नवम्बर 1994 में दी गई थी। मार्च 1997 में मापी पुस्तिका में कार्य को बिल ऑफ क्वान्टिटी के स्वीकृत आकलन तक पूरा किया गया दर्शाया गया था। मई 1999 एवं जून 2001 की अवधि में 8.76 लाख रुपये मूल्य के सामग्री की खपत तथा संवेदक को 1.65 लाख रुपये (मजदूरी : 0.93 लाख रुपये तथा परिवहन व्यय : 0.72 लाख रुपये) का भुगतान भी मापी पुस्तिका में दर्शाया गया था।

लेखापरीक्षा (मई 1999) में यह देखा गया कि विद्युतीकरण कार्य को मापी पुस्तिका में पूरा हुआ दर्शाने के बावजूद भी मई 1999 तक तीनों गाँव ऊर्जान्वित नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा के बताने पर विद्युत कार्यपालक अभियन्ता ने मामले की छानबीन की तथा विद्युत अधीक्षण अभियन्ता को सूचित किया (फरवरी 2001) कि तीनों गाँवों में विद्युतीकरण कार्य अपूर्ण थे। उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर सामग्री की खपत की गणना लेखापरीक्षा में की गयी तथा यह पाया गया कि निर्गत 9.02 लाख रुपये मूल्य के सामग्री के विरुद्ध केवल 1.08 लाख रुपये मूल्य के सामग्री कार्य में उपयोग किए गये थे। इसके अतिरिक्त भुगतान किए गए 1.65 लाख रुपये के विरुद्ध वास्तविक संपादित कार्य के आधार पर केवल 0.06 लाख रुपये की श्रम लागत स्वीकार्य थी।

अतएव, मापी पुस्तिका में फर्जी प्रविष्टि के परिणामस्वरूप बोर्ड को 9.53 लाख रुपये की हानि हुई जिसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया था।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अगस्त 2003)।

4.6 राजस्व का कम संग्रह

1.26 करोड़ रुपये के कम राजस्व निर्धारण के अतिरिक्त बकायों के कालातीत हो जाने के कारण बोर्ड ने 1.19 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के एक एरिया बोर्ड, दो आपूर्ति अंचलों तथा चार प्रमंडलों के नमूना जाँच (जून 2001 से मार्च 2003) में पता चला कि 1.26 करोड़ रुपये के राजस्व का कम संग्रहण हुआ तथा लिमिटेशन एक्ट के कानून के तहत निर्धारित अवधि में सर्टीफिकेट केस दायर नहीं करने के फलस्वरूप राजस्व के कालातीत होने के कारण बोर्ड को 1.19 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई जैसा कि परिशिष्ट-21 में दी गयी विस्तृत विवरणी में दिखलाया गया है।

संबंधित एरिया बोर्ड/आपूर्ति अंचलों तथा प्रमंडलों को लेखापरीक्षा के समय कम विपत्रीकरण की सूचना दी गयी परन्तु वसूली एवं राजस्व के संग्रह की सूचना अबतक प्राप्त नहीं हुए थे (जून 2003)।

मामले की सूचना बोर्ड/सरकार को दी गयी (सितम्बर 2003) थी ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2003)।

4.7 ट्रांसफॉर्मर तेल का रिसाव

ट्रांसफॉर्मर से तेल का रिसाव बन्द करने में विफलता के कारण बोर्ड को 32.32 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

बोध-गया उपकेन्द्र में संस्थापित 150 एमवीए क्षमता वाली एक ट्रांसफॉर्मर 1995 से कमजोर इन्सुलेशन के कारण रिस रहा था। बोर्ड ने सितम्बर 1998 में गास्केट बदलने के लिए कहा जिसके विरुद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म से प्रस्ताव प्राप्त हुआ (अक्टूबर 1998) जो बोर्ड के अन्तिम निर्णय हेतु पड़ा रहा (अगस्त 2003)। इस बीच महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियन्ता ने तेल के रिसाव को रोकने के लिए आसंजक लगाने का प्रस्ताव किया (नवम्बर 1998) जिसे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया। तदनुसार, 2.03 लाख रुपये मूल्य के आसंजक की अधिप्राप्ति (मई 1999/अगस्त 1999/अगस्त 2000) की गयी तथा उसे 27 से 30 जून 1999, 13 से 23 अगस्त 2001 तथा 10 अक्टूबर 2002 के दौरान लगाया गया परन्तु तेल का रिसाव आसंजक लगाने पर भी बन्द नहीं हुआ क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में तेल रिसाव को बन्द करने के लिए आसंजक लगाना उचित हल नहीं था। परिणामस्वरूप मार्च 1995 से अगस्त 2003 की अवधि में 32.32 लाख रुपये मूल्य के 1.08 लाख लीटर ट्रांसफॉर्मर तेल का रिसाव हुआ।

लेखापरीक्षा के बताने पर (नवम्बर 2002) मुख्य अभियन्ता (संचरण) ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2002) कि गास्केट को बदलना एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए ट्रांसफॉर्मर के लंबे शटडाउन की आवश्यकता होती है और इससे लोड मांग की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती।

उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि बोधगया ग्रीड उपकेन्द्र में 150 एम वी ए प्रत्येक की क्षमता के तीन बिजली के ट्रांसफॉर्मर संस्थापित थे एवं उपकेन्द्र की अधिकतम लोड 138 एम डब्लू था। अतएव बचे हुए 290 एम डब्लू क्षमता के दो ट्रांसफॉर्मर उपकेन्द्र के अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे तथा बिजली की आपूर्ति में बिना किसी व्यवधान के रिसता हुआ ट्रांसफॉर्मर को प्रणाली से अलग किया जा सकता था।

अतएव, तेल के रिसाव को बन्द करने में विफलता के कारण बोर्ड को 32.32 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2003)।

08 APR 2004

विक्रम चन्द्र

पटना

दिनांक

(विक्रम चन्द्र)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

13 APR 2004

वि. ना. कौल

नई दिल्ली

दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-1

(कंडिका 1.2, 1.5 एवं 1.16 में संदर्भित)

31 मार्च 2003 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूँजी, आय व्ययक से वहिर्गमन, आय व्ययक से दिये गये ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाने वाली विवरणी

(कोष्ठ के अंदर दिये गये अंक वर्ष भर में आय-व्ययक वहिर्गमन के द्योतक हैं)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी					वर्ष भर में प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2002-2003 के अंत तक बकाया ऋण			2002-03 के ऋण / इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च) / 3(ड)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होलिडिंग कंपनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		सरकारी	अन्य	कुल	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड)	4(च)	5
अ	कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ												
	कृषि एवं समवर्गी												
1.	बिहार राज्य बीज निगम लि.	227.66	122.15	---	20.01	369.82	---	---	---	2792.55	---	2792.55	7.55:1 (7.55:1)
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि.	174.75	---	---	---	174.75	---	---	---	---	71.00	71.00	0.41:1 (2.37:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	402.41	122.15	---	20.01	544.57	---	---	---	2792.55	71.00	2863.55	5.26:1 (5.89:1)
	इलेक्ट्रॉनिक्स												
3	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि.	566.91	---	---	---	566.91	---	---	---	593.38	---	593.38	1.05:1 (1.05:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	566.91	---	---	---	566.91	---	---	---	593.38	---	593.38	1.05:1 (1.05:1)
	वन												
4	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	175.08	54.00	---	---	229.08	---	---	---	---	---	---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	175.08	54.00	---	---	229.08	---	---	---	---	---	---	---
	खनन												
5	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	997.35	---	---	---	997.35	---	---	---	---	---	---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	997.35	---	---	---	997.35	---	---	---	---	---	---	---

31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वार्षिक)

(कॉलम 3 (क) से 4 (च) तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण		2002-2003 के अंत तक बकाया ऋण		2002-03 के ऋण/ इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ङ)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होलिडिंग कंपनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण			सरकारी	अन्य	कुल
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
6	निर्माण	10.00	---	---	---	10.00	---	---	---	42.90	---	42.90	4.29:1 (4.29:1)
7	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	350.00	---	---	---	350.00	---	---	---	---	---	---	---
	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	360.00	---	---	---	360.00	---	---	---	42.90	---	42.90	0.12:1 (0.12:1)
	प्रक्षेत्रवार योग												
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
8	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त आयोग लि.	975.00	---	---	---	975.00	---	---	---	593.95	---	593.95	0.61:1 (1.3:1)
9	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	1336.00	---	---	---	1336.00	---	---	175.00	---	1994.13	1994.13	1.49:1 (1.41:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	2311.00	---	---	---	2311.00	---	---	175.00	593.95	1994.13	2588.08	1.12:1 (1.38:1)
	जन वितरण												
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि.	526.58	---	---	---	526.58	---	---	---	591.88	51.04	642.92	1.22:1 (2.12:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	526.58	---	---	---	526.58	---	---	---	591.88	51.04	642.92	1.22:1 (2.12:1)
	पर्यटन												
11	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	500.00	---	---	---	500.00	---	---	---	---	---	---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	500.00	---	---	---	500.00	---	---	---	---	---	---	---

(कॉलम 3 (क) से 4 (च) तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2002-2003 के अंत तक बकाया ऋण			2002-03 के ऋण/ इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ङ)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होलिडिंग कंपनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		सरकारी	अन्य	कुल	
		3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
1	ऊर्जा												
12	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लि.	9904.00	---	---	---	9904.00	---	500.00	---	9794.00	---	9794.00	0.99:1 (0.98:1)
13	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	10,000.00	---	---	---	10,000.00	---	---	---	60889.00	4145.00	65034.00	6.50:1 (6.50:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	19904.00	---	---	---	19904.00	---	500.00	---	70683.00	4145.00	74828.00	3.76:1 (3.76:1)
	वित्त प्रबन्ध												
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	1512.35	---	---	---	1512.35	---	---	---	2547.34	4361.23	6908.57	4.57:1 (6.20:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	1512.35	---	---	---	1512.35	---	---	---	2547.34	4361.23	6908.57	4.57:1 (6.20:1)
	विविध प्रक्षेत्र												
15	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	200.00	---	---	---	200.00	---	---	---	121.77	---	121.77	0.61:1 (0.60:1)
16	बिहार राज्य टेक्सट बुक प्रकाशन निगम लि.	47.67	---	---	---	47.67	---	---	---	---	---	---	---
17	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	100.00	---	---	---	100.00	---	---	---	14.50	---	14.50	0.15:1 (0.15:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	347.67	---	---	---	347.67	---	---	---	136.27	---	136.27	0.39:1 (0.39:1)
	योग (अ)	27603.35	176.15	---	20.01	27299.51*	---	500.00	175.00	77981.27	10622.40	88603.67	3.19:1 (3.30:1)

* 16.45 करोड़ रुपये के अंश आवेदन राशि शामिल है।

31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

(कॉलम 3 (क) से 4 (च) तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी						वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2002-2003 के अंत तक बकाया ऋण			2002-03 के ऋण / इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च) / 3(ड)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होलिडिंग कंपनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण	सरकारी		अन्य	कुल		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5	
ब	कार्यशील सांविधिक निगम													
1.	ऊर्जा													
	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	---	---	---	---	---	---	46571.70	---	686230.75	---	686230.75	---	
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	---	---	---	---	46571.70	---	686230.75	---	686230.75	---	
	परिवहन													
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	7475.57	2651.78	---	---	10127.35	---	1890.25	---	7710.68	---	7710.68	0.76:1 (0.68:1)	
	प्रक्षेत्रवार योग	7475.57	2651.78	---	---	10127.35	---	1890.25	---	7710.68	---	7710.68	0.76:1 (0.68:1)	
	वित्त प्रबन्ध													
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	3994.77	---	---	3789.04	7783.81	---	2841.83	---	8393.84	21386.69	29780.53	3.83:1 (2.85:1)	
	प्रक्षेत्रवार योग	3994.77	---	---	3789.04	7783.81	---	2841.83	---	8393.84	21386.69	29780.53	3.83:1 (2.85:1)	
	विविध													
4.	बिहार राज्य भंडारण निगम	68.55	---	---	68.55	137.10	---	---	---	---	---	---	---	
	प्रक्षेत्रवार योग	68.55	---	---	68.55	137.10	---	---	---	---	---	---	---	
	योग (ब)	11538.89	2651.78	---	3857.59	18048.26	---	51303.78	---	702335.27	21386.69	723721.96	40.1:1 (39.33:1)	
	कुल योग (अ+ब)	39142.24	2827.93	---	3877.60	45847.77	---	51803.78	175.00	780316.54	32009.09	812325.63	17.72:1 (17.68:1)	
स	अकार्यशील कम्पनी													
	कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	1,000.00	---	---	---	1,000.00	---	---	---	4967.89	---	4967.89	4.97:1 (4.97:1)	

(कॉलम 3 (क) से 4 (च) तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2002-2003 के अंत तक बकाया ऋण			2002-03 के ऋण/ इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ड)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होलिडिंग कंपनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		सरकारी	अन्य	कुल	
		3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड)	4(च)	5
1	2												
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लि.	672.36	---	---	---	672.36	---	---	---	175.35	---	175.35	0.26:1 (0.26:1)
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिचाई निगम लि.	1000.00	---	---	---	1,000.00	---	---	---	855.42	---	855.42	0.86:1 (0.86:1)
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	518.52	245.00	---	---	763.52	---	---	---	1100.02	---	1100.02	1.44:1 (1.66:1)
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	161.37	49.00	---	---	210.37	---	---	---	111.80	---	111.80	0.53:1 (0.53:1)
6.	बिहार कीट नाशक लि.	---	---	295.93	---	295.93	---	---	---	---	154.10	154.10	0.52:1 (0.52:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	3352.25	294.00	295.93	---	3942.18	---	---	---	7210.48	154.10	7364.58	1.87:1 (1.91:1)
	उद्योग (विविध)												
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	718.48	---	---	---	718.48	---	---	---	954.50	182.73	1137.23	1.58:1 (1.49:1)
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	1404.00	---	---	---	1404.00	---	---	---	6702.00	217.95	6919.95	4.93:1 (0.85:1)
9.	बिहार स्कूटर्स लि.	---	---	163.00	---	163.00	---	---	---	609.34	---	609.34	3.74:1 (3.74:1)
10.	बिहार पेपर मिल्स लि.	---	---	776.92	---	776.92	---	---	---	---	1071.61	1071.61	1.38:1 (1.38:1)
11.	बिहार राज्य फिनिरुड लेदर्स निगम लि.	---	---	88.00	59.00	147.00	---	---	---	918.00	---	918.00	6.24:1 (6.24:1)
12.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लि.	---	---	140.00	---	140.00	---	---	---	---	366.33	366.33	2.62:1 (0.51:1)

(कॉलम 3 (क) से 4 (च) तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी						वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2002-2003 के अंत तक बकाया ऋण			2002-03 के ऋण/ इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ङ)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होलिडिंग कंपनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण	सरकारी		अन्य	कुल		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5	
13.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लि.	---	---	174.29	---	174.29	---	---	---	---	81.15	81.15	0.47:1 (0.47:1)	
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लि.	---	---	149.00	---	149.00	---	---	---	---	46.16	46.16	0.31:1 (0.31:1)	
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लि.	---	---	107.33	50.00	157.33	---	---	---	---	213.84	213.84	1.36:1 (1.36:1)	
16.	बिहार सॉलमैट एण्ड कोमिकल्स लि.	20.00	---	68.15	20.07	108.22	---	---	---	---	88.69	88.69	0.82:1 (0.82:1)	
17.	सिन्थेटिक रेजिन्स (ईस्टर्न) लि.	---	---	21.47	88.21	109.68	---	---	---	---	292.44	292.44	2.67:1 (2.67:1)	
18.	मगद्य मिनरलस लि.	---	---	36.22	---	36.22	---	---	---	---	46.58	46.58	1.29:1 (1.29:1)	
19.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लि.	---	---	9.43	---	9.43	---	---	---	---	---	---	---	
20	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लि.	1000.00	---	---	---	1000.00	---	---	---	1242.00	170.00	1412.00	1.41:1 (1.37:1)	
21	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	700.00	---	---	---	700.00	---	---	---	105.10	---	105.10	0.15:1 (0.15:1)	
	प्रक्षेत्रवार योग	3842.48	---	1733.81	217.28	5793.57	---	---	---	10530.94	2777.48	13308.42	2.29:1 (2.20:1)	
	अभियंत्रण													
22.	कुमारधुबी मेटल कार्स्टिंग एवं इंजिनियरिंग लि.	---	---	110.00	107.00	217.00	---	---	---	---	663.44	663.44	3.06:1 (3.06:1)	
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	110.00	107.00	217.00	---	---	---	---	663.44	663.44	3.06:1 (3.06:1)	

(कॉलम 3 (क) से 4 (च) तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2002-2003 के अंत तक बकाया ऋण			2002-03 के ऋण/ इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ड)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होलडिंग कंपनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		सरकारी	अन्य	कुल	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
	इलेक्ट्रानिक्स												
23	बेलट्रान विडियो सिस्टम लि.	---	---	504.71	---	504.71	---	---	---	---	450.87	450.87	0.89:1 (0.89:1)
24	बेलट्रान माइनिंग सिस्टम लि.	---	---	248.24	---	248.24	---	---	---	---	---	---	---
25	बेलट्रान इनफॉरमेटिक्स लि.	---	---	0.28	---	0.28	---	---	---	---	---	---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	753.23	---	753.23	---	---	---	---	450.87	450.87	0.60:1 (0.89:1)
	टेकस्टाईल												
26	बिहार राज्य वस्त्र निगम	537.00	---	---	---	537.00	---	---	---	223.66	---	223.66	0.42:1 (0.44:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	537.00	---	---	---	537.00	---	---	---	223.66	---	223.66	0.42:1 (0.42:1)
	हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा												
27	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प लि.	999.98	---	---	---	999.98	---	---	---	115.78	---	115.78	0.12:1 (0.12:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	999.98	---	---	---	999.98	---	---	---	115.78	---	115.78	0.12:1 (0.12:1)
	चीनी												
28	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	2000.00	---	---	---	2000.00	---	---	---	31406.27	---	31406.27	15.7:1 (14.40:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	2000.00	---	---	---	2000.00	---	---	---	31406.27	---	31406.27	15.7:1 (14.40:1)
	सीमेन्ट												
29	बिहार राज्य सीमेन्ट निगम लि.	---	---	0.07	---	0.07	---	---	---	3.17	---	3.17	45.29:1 (45.29:1)

(कॉलम 3 (क) से 4 (च) तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2002-2003 के अंत तक बकाया ऋण			2002-03 के ऋण/ इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ङ)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होलिंग कंपनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		सरकारी	अन्य	कुल	
		3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
1	2												
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	0.07	---	0.07	---	---	---	3.17	---	3.17	45.29:1 (45.29:1)
	औषधि, रसायन एवं औषध												
30	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लि.	1577.88	---	---	---	1577.88	---	---	---	424.90	---	424.90	0.27:1 (0.27:1)
31	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लि.	---	---	73.75	---	73.75	---	---	---	---	2.16	2.16	0.03:1 (0.03:1)
32.	बिहार औषधि एवं रसायन लि.	---	---	400.00	---	400.00	---	---	---	127.99	---	127.99	0.32:1 (0.32:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	1577.88	---	473.75	---	2051.63	---	---	---	552.89	2.16	555.05	0.27:1 (0.27:1)
	वित्त प्रबन्ध												
33.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि.	130.83	---	---	13.37	144.20	---	---	---	---	---	---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	130.83	---	---	13.37	144.20	---	---	---	---	---	---	---
	योग (स)	12440.42	294.00	3366.79	337.65	16438.86	---	---	---	50043.19	4048.05	54091.24	3.29:1 (3.12:1)
	कुल योग (अ+ब+स)	51582.66	3121.93	3366.79	4215.25	62286.63	---	51803.78	175.00	830359.73	36057.14	866416.87	13.91:1 (13.80:1)

* 2002-03 के अंत तक बकाया ऋण केवल दीर्घकालीन ऋण का द्योतक है।

टिप्पणी : आँकड़े औपबन्धित हैं तथा कम्पनियों एवं निगमों द्वारा उपलब्ध कराये गए हैं।

परिशिष्ट - 2

(कड़िका संख्या 1.6, 1.7, 1.13 एवं 1.19 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखाओं का अन्तिमकरण हो गया था, उनका अद्यतन वर्ष का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम (कॉलम 7 से 12 तक तथा 15 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा का अन्तिमकरण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा रिप्पणी का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए हैं	पूर्ण बिक्री	मानव शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अ	कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
	कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य बीज निगम लि.	कृषि	18.7.1977	1992-93	1996-97	(-)342.22	---	369.82	(-)2403.16	2349.69	(-)44.13	---	10		279
2.	बिहार राज्य मतस्य विकास निगम लि.	पशु एवं मतस्य पालन	23.3.1980	1992-93	1996-97	(-)22.16	---	174.75	(-)191.54	174.19	(-)4.77	---	10		44
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)364.38	---	544.57	(-)2594.70	2523.88	(-)48.90	---	--		323
	इलेक्ट्रॉनिक्स						---								
3.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि.	उद्योग	21.2.1978	1990-91	2002-03	(-)21.94	---	15.00	(-)154.04	496.15	-21.66	----	12	45.73	68
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)21.94	---	15.00	(-)154.04	496.15	(-)21.66	---		45.73	68
	वन						---								
4.	बिहार राज्य वन विकास निगम लि.	वन एवं पर्यावरण	10.2.1975	1998-99	2002-03	359.88	---	229.08		205.18	398.68	194.30	4	3542.37	648
	प्रक्षेत्रवार योग					359.88	---	229.08		205.18	398.68	194.30		3542.37	648
	खनन														
5.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	खनन एवं भू-गर्भ	12.6.1972	1998-99	2001-02	305.30	लाभ को 18.66 लाख रुपये से अधिक बताया गया	997.35	(-)281.13	1027.28	305.30	29.72	4	2012.53	
	प्रक्षेत्रवार योग					305.30	---	997.35	(-)281.13	1027.28	305.30	29.72		2012.53	

31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

(कॉलम 7 से 12 तक तथा 15 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा का अन्तिम-करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए हैं	पूर्ण विक्री	मानव शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	निर्माण														
6.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	गृह (पुलिस)	26.6.1974	1988-89	2000-01	(-)78.53	---	10.00	(-)48.86	4.04	(-)78.53	---	14	50.70	408
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	पथ निर्माण	11.6.1975	1991-92	2001-02	(-)125.17	---	350.00	(-)613.24	58.28	(-)122.86	---	11	109.66	714
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)203.70	---	360.00	(-)662.10	62.32	(-)201.39	---		160.36	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
8	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	अल्पसंख्यक कल्याण	22.3.1984	1992-93	2002-03	(-) 8.88	---	156.73		151.73	(-)8.88	--	10	25.05	
9	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	कल्याण	17.6.1993	1993-94	2002-03	15.26	---	200.00	-	1348.67	15.26	1.13	9		
	प्रक्षेत्रवार योग					6.38	---	356.73		1500.40	6.38	0.43		25.05	
	जन वितरण														
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि.	खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति	22.4.1973	1980-81	1994-95	(-)245.58	---	402.00	(-)932.36	956.40	(-)81.79	---	22	8382.24	2213
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)245.58	---	402.00	(-)932.36	956.40	(-)81.79			8382.24	2213
	पर्यटन														
11	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	पर्यटन	28.11.1980	1991-92	2002-03	(-)39.73	---	285.36	(-)82.55	192.71	(-)39.73		11	63.23	
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)39.73	---	285.36	(-)82.55	192.71	(-)39.73				
	ऊर्जा														
12	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लि.	ऊर्जा	31.3.1982	1994-95	2002-03	(-)804.86	---	8276.00	(-)7425.00	7315.45	(-)685.50	---	8		160

(कॉलम 7 से 12 तक तथा 15 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा का अन्तिम- करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए हैं	पूर्ण विक्री	मानव शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	ऊर्जा	26.11.1987	1993-94	2000-01	(-)7093.85	डी. ई. को 1151.45 रु. से कम बताया गया	10000.00	(-)22182.84	58852.10	(-)438.50	---	9		
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)7898.71	---	18276.00	(-)29607.84	66167.55	(-)1124.00				
	वित्त प्रबन्ध						---								
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	उद्योग	30.1.1975	1997-98	2002-03	(-)814.80	---	1512.35	(-)7177.23	14575.50	586.48	4.02	5		91
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)814.80	---	1512.35	(-)7177.23	14575.50	586.48	4.02			91
	विविध प्रक्षेत्र						---								
15	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	उद्योग	29.12.1974	1991-92	1999-00	(-)10.50	---	200.00	(-)0.95	375.36	0.93	0.25	11	494.35	54
16.	बिहार राज्य टेकस्ट बुक प्रकाशन निगम लि.	शिक्षा	2.4.1985	1994-95	2001-02	(-)71.22	---	47.67	568.26	554.56	(-)71.22	---	8	824.49	270
17.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	उद्योग	6.3.1983	1991-92	2000-01	1.87	---	94.50	(-)11.56	88.33	1.87	2.12	11		8
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)79.85	---	342.17	555.75	1018.25	(-)68.42	---			
	योग (अ)					(-)8997.13	---	23320.61	(-)40936.20	88725.62	(-)289.05				
ब	सांविधिक निगम						---								
	ऊर्जा						---								
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	ऊर्जा	1.4.1958	2000-01	2002-03	(-)89492.58	---	---	(-)818502.00	(-)191260.0	(-)262985.00		2		
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)89492.58	---	---	(-)818502.00	(-)191260.0	(-)262985.00				
	परिवहन						---								
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	1.5.1959	1996-97	2002-03	(-)4256.57	---	10127.35	(-)36801.27	(-)18570.80	(-)2995.92	-	6	1214.75	5978
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)4256.57	---	10127.35	(-)36801.27	(-)18570.80	(-)2995.92	-		1214.75	5978

(कॉलम 7 से 12 तक तथा 15 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा का अन्तिम-करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए हैं	पूर्ण बिक्री	मानव शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	वित्त प्रबन्ध														
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	उद्योग	2.11.1954	1999-2000	2000-01	(-)7908.00	हानि को 16.72 लाख रुपये कम बताया गया	7810.00	(-)54103.00	59743.00	(-)3686.00	-	3	1118	
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)7908.00	---	7810.00	(-)54103.00	59743.00	(-)3686.00				
	विविध						---								
4.	बिहार राज्य भंडारण निगम	सहकारिता	29.3.1957	1999-2000	2002-03	257.15	---	137.10	674.35	1037.21	257.15	24.79	3	1360	342
	प्रक्षेत्रवार योग					257.15	---	137.10	674.35	1037.21	257.15	24.79		1360	342
	योग (ब)					(-)101400.00	---	18074.45	(-)908731.92	(-)149050.59	(-)269409.77				
	कुल योग (अ+ ब)					(-)110397.13	---	41395.06	(-)949668.12	(-)60324.97	(-)269698.82				
स	अकार्यशील कम्पनी						---								
	कृषि एवं समवर्गी						---								
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	जल संसाधन	12.4.1973	1978-79	1997-98	216.84	---	500.00	(-)1119.69	2670.29	242.30	9.07	24		15
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लि.	पशुपालन एवं मत्स्य	13.3.1972	1991-92	2001-02	4.39	---	672.36	(-)900.07	568.69	4.39	0.77	11		
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लि.	लघु सिंचाई	3.6.1975	1982-83	1993-94	(-)26.39	---	560.00	(-)85.78	953.41	(-)13.27	---	20	0.52	
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	कृषि	28.4.1966	1986-87	1995-96	(-)192.79	---	741.52	(-)1416.00	510.80	(-)142.86	---	16		
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	कृषि	8.10.1980	1990-91	1996-97	(-)74.12	---	182.00	(-)416.70	(-)14.68	(-)31.45	---	12	6.58	
6.	बिहार कीट नाशक लि.	उद्योग	27.2.1983	1986-87	1991-92	(-)103.12	---	57.04	(-)103.12	234.98	(-)86.74	---	16		62
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)175.19	---	2712.92	(-)4041.36	4923.49	(-)27.63	---	--		

(कॉलम 7 से 12 तक तथा 15 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा का अन्तिम-करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए हैं	पूर्ण बिक्री	मानव शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	उद्योग (विविध)														
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	उद्योग	29.10.1961	1989-90	2002-03	(-)94.46		718.48	(-)1513.63	349.21	7.69	2.20	13	1626.94	145
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	उद्योग	5.11.1960	1986-87	-	(-)588.92	हानि को 1079.05 लाख रु. बढ़ाया गया	1404.00	(-)2290.78	2724.94	(-)317.13	-	16		
9.	बिहार स्कूटर्स लि.	उद्योग	19.1.1978	----	----	----	----	----	----	----	----	----	26		
10.	बिहार पेपर मिल्स लि.	उद्योग	08.07.1977	1985-86	1997-98	(-)6.09	----	156.12	(-)31.06	143.61	(-)6.09	----	17		
11.	बिहार राज्य फिनिस्रड लेदर्स निगम लि.	उद्योग	20.4.1982	1983-84	1986-87	(-)149.39	----	146.59	(-)213.06	615.00	(-)76.48	----	19		252
12.	बिहार राज्य गलेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लि.	उद्योग	2.4.1984	1985-86	1997-98	(-)8.48	----	15.52	(-)51.08	350.00	(-)17.60	----	16		354
13.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लि.	उद्योग	18.6.1983	1984-85	1988-89	(-)0.91	----	40.37	(-)1.45	69.00	----	----	18		18
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लि.	उद्योग	27.2.1982	1985-86	1991-92	(-)1.33	----	42.41	(-)2.09	59.32	(-)1.33	----	17		12
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रेक्ट लि.	वन एवं पर्यावरण	27.1.1984	1988-89	1993-94	(-)31.56	----	103.30	(-)66.59	249.15	(-)15.86	----	14		
16.	बिहार सॉलमेंट एण्ड केमिकल्स लि.	वन एवं पर्यावरण	अगस्त 1979	1986-87	1995-96	(-)32.31	----	66.22	(-)32.31	167.23	(-)25.86	----	16		
17.	सिन्थेटिक रेजिन्स (ईस्टर्न) लि.	उद्योग	14.12.1982	1983-84	1987-88	(-)0.69	----	9.00	(-)0.73	17.41	(-)0.69	----	19		12
18.	मगध मिनरल्स लि.	उद्योग	22.11.1984	----	----	----	----	----	----	----	----	----	19		
19.	भवानी ऐक्टिव कार्बन लि.	उद्योग	26.3.1985	1985-86	1989-90	(-)1.38	----	2.39	(-)1.38	1.05	(-)1.38	----	17		
20.	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लि.	उद्योग	23.3.1974	1981-82	1996-97	(-)36.25	----	514.00	(-)254.80	215.94	(-)36.25	----	21		419
21.	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	जल संसाधन	22.8.1974	1985-86	2002-03	56.91	----	700.00	(-)404.05	398.57	61.34	15.39	17	1870.12	1479
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)894.86	----	3918.40	(-)4863.01	5360.43	(-)429.64	15.39			

31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वार्षिक)

(कॉलम 7 से 12 तक तथा 15 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा का अन्तिम-करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिकूल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिकूल की प्रतिशतता	कितने वर्षों से लेखे बकाए हैं	पूर्ण बिक्री	मानव शक्ति
1	अभियंत्रण	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजिनियरिंग लि.	उद्योग	25.10.1983	1994-95	1995-96	(-)238.84	---	217.00	(-)815.97	91.13	(-)151.00	---	8		
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)238.84	---	217.00	(-)815.97	91.13	(-)151.00	---			
	इलेक्ट्रॉनिक्स						---								
23.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लि.	उद्योग	19.9.1984	1987-88	1998-99	(-)54.51	---	121.45	(-)21.77	101.98	(-)9.57	---	15	75.46	
24.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लि.	उद्योग	30.1.1986	1989-90	2002-03	(-)9.57	---	125.84	(-)49.33	52.48	(-)9.57	---	13	41.38	
25.	बेलट्रॉन इनफॉर्मेटिक्स लि.	उद्योग	1.3.1988	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16		
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)64.08	---	247.29	(-)71.10	154.46	(-)19.14				
	वस्त्र						---								
26.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लि.	उद्योग	21.2.1978	1987-88	1995-96	(-)9.18	---	498.05	(-)32.22	372.35	(-)9.18	---	15		40
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)9.18	---	498.05	(-)32.22	372.35	(-)9.18	---			
	हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प						---								
27.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि.	उद्योग	21.5.1974	1983-84	1996-97	(-)9.52	---	627.98	(-)43.81	707.51	1.46	0.21	19		
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)9.52	---	627.98	(-)43.81	707.51	1.46	0.21			
	चीनी						---								
28.	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	ईख	26.12.1974	1984-85	1996-97	(-)919.85	---	997.00	(-)7231.46	(-)1023.69	(-)320.24	---	18		
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)919.85	---	997.00	(-)7231.46	(-)1023.69	(-)320.24				
	सीमेन्ट						---								
29.	बिहार राज्य सीमेन्ट निगम लि.	उद्योग	17.10.1981		---	---	---	---	---	---	---	---	22		
	प्रक्षेत्रवार योग						---								

(कॉलम 7 से 12 तक तथा 15 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखा का अन्तिम-करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतियोगिता	कितने वर्षों से लेखें बकाए हैं	पूर्ण बिक्री	मानव शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	औषधि, रसायन एवं औषध						---								
30.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लि.	उद्योग	22.2.1978	1985-86	1992-93	(-)16.83	---	361.62	(-)73.84	687.48	(-)16.83	---	17		59
31.	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लि.	उद्योग	2.9.1982	1983-84	1987-88	(-)2.70	---	66.59	(-)6.14	80.11	---	---	19		
32.	बिहार औषधि एवं रसायन लि.	उद्योग	12.8.1983	1985-86	1991-92	(-)3.02	---	93.67	(-)16.09	115.65	(-)3.02	---	17		48
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)22.55	---	521.88	(-)96.07	883.24	(-)19.85				
	वित्त प्रबन्ध						---								
33.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि.	पंचायती राज	20.4.1974	1984-85	1991-92	(-)1.19	---	144.20	(-)2.69	585.60	22.52	3.85	18		
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)1.19	---	144.20	(-)2.69	585.60	22.52	3.85			
	योग (स)					(-)2335.26	---	9884.72	(-)17197.69	12054.52	(-)952.70				
	कुल योग (अ+ब+स)					(-)112732.39		51279.78	(-)966865.81	(-)48270.45	(-)270651.52				

परिशिष्ट-3

(कंडिका 1.5 एवं 1.7 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त साहाय्य, प्राप्त गारंटियाँ, बकाए की माफ़ी, ऋण जिस पर मोहलत दी गई एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं वर्ष के दौरान प्राप्त साहाय्य, प्राप्त गारंटियों तथा बकाये गारंटियों को दर्शाने वाली विवरणी

(कॉलम 3 (क) से 7 तक की राशि लाख रुपये में)																
क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	वर्ष के अन्दर प्राप्त सबसीडी				वर्ष के अन्दर प्राप्त गारंटी एवं वर्ष के अंत तक लंबित बकाये				वर्ष के अन्दर बकायों का परित्याग				ऋण जिस पर मोहलत प्रदान की गई	वर्ष के अन्दर इविटी में परिवर्तित किए गए ऋण	
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल योग	बैंकों से नगद उधार	अन्य स्रोतों से ऋण	आयात के मामलों में बैंकों द्वारा खोले गए लेटर ऑफ़ क्रेडिट	विदेशी कन्सलटेन्ट या कन्ट्रैको के साथ एकरारनामा के अंतर्गत भुगतान बन्धन	कुल योग	ऋण की अदायगी जिसे बड़े खाते में डाली गई	छोड़े गए ब्याज	दण्डा-त्क ब्याज जिसे छोड़ा गया			कुल योग
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
अ	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ															
1.	बिहार राज्य बीज निगम लि.	--	--	--	--	196.98	--	--	--	196.98	--	--	--	--	--	--
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास लि.	-	-	-	-	102.75	-	-	-	102.75	--	--	--	--	--	--
3.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लि.	-	-	-	-	-	1994.13	-	-	1994.13	--	--	--	--	--	--
4.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	-	-	-	-	-	196.60	-	-	196.60	--	--	--	--	--	--
	कुल-अ	-	-	-	-	299.73	2190.73	---	---	2490.46	--	--	--	--	--	--
ब	कार्यशील सांविधिक निगम															
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	19758.45	--	--	--	--	--	--
2.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	13033.61	-	-	13033.61	--	--	--	--	--	--
	कुल - ब	-	-	--	--	-	-	-	-	32792.06	--	--	--	--	--	--
	सकल योग (अ+ब)			-	-	-	-	-	-	35282.52						
स	अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ															
1	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि.					65.00				65.00						
2	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.					1.45				1.45						
	कुल - स	-	--	--	--	-	-	-	-	66.45	-	-	-	-	-	-
	सकल योग (अ+ब+स)	-	-	-	-	-	-	-	-	35348.97	--	--	--	--	--	--

परिशिष्ट-4
(कंडिका 1.7 में संदर्भित)
सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी
(करोड़ रुपये में)

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1998-99	1999-2000	2000-01
विवरण			
(अ) दायित्व			
अंश पूँजी	-	-	
सरकार से ऋण	3957.45	4938.34	5399.76
अन्य दीर्घकालीन ऋण (बांड सहित)	1186.35	1016.73	844.41
सुरक्षित एवं अधिशेष (मूल्य ह्रास छोड़कर)	233.07	241.67	0.91
चालू दायित्व एवं प्रावधान	4487.66	5738.73	7154.20
कुल-अ	9864.53	11935.47	13399.28
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल सम्पत्तियाँ	2811.33	3016.33	3160.38
घटाए मूल्य ह्रास	1502.70	1688.82	1887.13
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	1308.63	1327.51	1273.25
पूँजीगत कार्य में प्रगति	313.94	228.92	224.49
चालू सम्पत्तियाँ	4553.71	5462.76	3743.86
निवेश	33.99	269.98	205.27
विविध व्यय	-	-	-
घाटा	3654.26	4646.30	8185.02
कुल - ब	9864.53	11935.47	13631.89
(स) नियोजित पूँजी*	1688.62	1280.46	(-)1912.60

2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
(अ) दायित्व			
पूँजी (पूँजी ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	101.27	101.27	101.27
उधार (सरकार)	63.40	65.66	77.11
(अन्य)	5.13	2.87	
निधि**	0.30	0.30	0.30
व्यापार बकाया एवं अन्य चालू दायित्व (प्रावधान सहित)	450.09	492.08	684.28
कुल - अ	620.20	662.19	862.96

* नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्य चालन पूँजी के योग को निरूपित करती है। परिवर्तित लागत एवं निवेश की राशि को चालू परिसम्पत्तियों में से घटाकर कार्य चाल पूँजी की गणना की गई है।

** मूल्य ह्रास निधि को छोड़कर

(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल सम्पत्तियाँ	68.58	68.58	74.65
मूल्य हास घटाएँ	50.31	52.18	54.12
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	18.27	16.40	20.53
पूँजीगत कार्य (चेसिस का लागत सहित) प्रगति में		-	-
निवेश	-	-	-
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	99.34	90.22	229.59
संचित हानियाँ	502.59	555.56	612.84
कुल - ब	620.20	662.19	862.96
(स) नियोजित पूँजी [#]	(-)332.48	(-)385.46	(-) 434.21
3. बिहार राज्य वित्तीय निगम			
विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
(अ) दायित्व			
प्रदत्त पूँजी*	78.10	77.88	77.83
अंश आवेदन राशि	-	-	
सुरक्षित कोष, अन्य सुरक्षित एवं अधिकोष	10.05	10.05	10.05
उधार			
बाण्ड्स एवं ऋण पत्र	117.52	107.62	99.65
आवधिक जमा	-	-	
आई.डी.बी.आई. एवं एस.आई.डी.बी.आई.	114.41	114.31	114.31
भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	
अंश पूँजी के बदले ऋण			
(क) राज्य सरकार	-	-	
(ख) आई. डी. बी. आई.	-	-	
पुनर्वित्त ऋण	-	-	
राज्य सरकार के साथ अन्य	-	1.00	
अन्य दायित्व एवं प्रावधान	330.91	363.93	408.29
कुल - अ	650.99	674.79	710.13
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
रोकड़ एवं बैंक शेष	36.81	22.19	26.26
निवेश	0.06	0.06	0.06
ऋण एवं अग्रिम	300.95	295.44	289.35

[#] नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य में प्रगति सहित) एवं कार्य चालन पूँजी के योग का द्योतक है।

^{*} प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन राशि सम्मिलित है।

शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	0.86	0.79	0.60
अन्य सम्पत्तियाँ	5.23	6.29	5.55
विविध व्यय	-	-	-
कुल ब	343.91	324.77	321.82
(स) नियोजित पूँजी**	320.07	310.86	301.84
4. बिहार राज्य भंडार निगम			
विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
(अ) दायित्व			
प्रदत्त पूँजी	1.37	1.37	1.37
संचित एवं अधिशेष	16.53	8.59	10.38
सरकार से सब्सीडी	-	-	-
उधार - सरकारी अन्य	-	-	-
व्यापारिक बकाये एवं अन्य दायित्व (प्रावधान के साथ)	4.23	4.44	4.50
कुल अ	22.13	14.44	16.25
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल परिसम्पत्तियाँ	6.82	5.23	7.16
मूल्य ह्रास घटाए	2.14	0.15	0.17
निवल अचल सम्पत्तियाँ	4.68	5.08	6.99
पूँजीगत कार्य प्रगति में	-		
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	17.45	19.21	20.30
लाभ एवं हानि लेखा	-		
कुल ब	22.13	24.28	27.29
(स) नियोजित पूँजी ^π	17.90	19.85	22.79

** नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, बाण्डों, ऋण पत्रों, सुरक्षित, उधार एवं जमा के आदि एवं अन्तःशेषों के द्योतक हैं।

^π नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य प्रगति में सहित) एवं कार्यचालन पूँजी के जोड़ का द्योतक है।

परिशिष्ट-5

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी
(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
1	(क) राजस्व प्राप्तियाँ	1843.14	2286.17	2742.65
	(ख) सरकार से साहाय्य	483.07	629.00	834.30
	कुल	2326.21	2915.17	3576.95
2	राजस्व व्यय (शुद्ध पूँजीगत व्यय), अमूर्त परिसम्पत्तियों का अपलेखन सहित परन्तु मूल्य हास एवं ब्याज को छोड़कर	2304.67	2799.99	3366.99
3	वर्ष का कुल बचत/(-) घाटा (1-2)	21.54	115.18	(+) 209.96
4	पिछले वर्ष से सम्बन्धित समायोजन	(-) 1771.68	(-) 226.29	(-) 2643.80
5	वर्ष का अंतिम बचत/(-) घाटा (3+4)	(-) 1750.14	(-) 111.11	(-) 2433.84
6	विनियोजन			
(क)	मूल्य हास (पूँजीकृत घटाकर)	178.10	184.73	196.01
(ख)	पूँजी ऋण पर ब्याज	430.73	522.24	625.04
(ग)	अन्य ऋण, बाण्ड, अग्रिम आदि पर ब्याज	188.51	196.96	305.29
(घ)	ऋण एवं वित्तीय भारों पर कुल ब्याज (ख+ग)	619.24	719.20	930.33
(ङ)	पूँजीकृत ब्याज घटाएँ	25.00	23.00	21.45
(च)	राजस्व में भारित शुद्ध ब्याज (घ - ङ)	594.24	696.20	908.88
(छ)	कुल विनियोजन (क+च)	772.34	880.93	1104.89
7	राज्य सरकार से प्राप्त सहायता के लेखाकरण से पूर्व बचत (+)/घाटा (-) 5-6(छ)-1 ख	(-) 3005.55	(-) 1621.04	(-) 494.65
8	शुद्ध बचत/(-)घाटा 5-6 (छ)	(-) 2522.48	(-) 992.04	(-) 1328.95
9	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल*	(-) 1928.24	(-) 295.84	(-) 2629.85
10	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	--	--	(-) 137.50
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम			
	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
	प्रचालन			
(क)	राजस्व	14.40	18.36	21.01
(ख)	व्यय	46.95	50.66	54.98
(ग)	बचत (+)/घाटा (-)	(-) 32.55	(-) 32.30	(-) 33.96
	अप्रचालन			
(क)	राजस्व	5.62	5.04	4.45
(ख)	व्यय	24.53	25.71	27.77
(ग)	बचत (+)/घाटा (-)	(-) 18.91	(-) 20.67	(-) 23.32
	राजस्व	20.02	23.40	25.46
	व्यय	71.48	76.37	82.74
	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	(-) 51.46	(-) 52.97	(-) 57.28
	पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	11.74	11.57	27.77
	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	(-) 39.72	(-) 41.40	अनुपलब्ध

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल निवल बचत/घाटा तथा लाभ एवं हानि लेखे में प्रमाणित कुल ब्याज (पूँजीकृत ब्याज छोड़कर) के योग का द्योतक है।

3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम			
क्रम सं.	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
1	आय			
i)	ऋण पर ब्याज	10.36	11.17	12.28
ii)	अन्य आय	0.90	0.91	0.96
	योग-1	11.26	12.08	13.24
2.	व्यय*			
i)	(अ) दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज	43.15	47.50	44.51
	(ब) अक्रियाशील परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	4.72	--	--
	(स) अन्य व्यय	8.52	7.51	7.02
	योग - 2	56.39	55.01	51.53
3.	कर के पूर्व लाभ (+)/हानि (-) (1-2)	(-) 45.14	(-) 42.93	(-) 38.29
4.	कर का प्रावधान	---	---	-
5.	अन्य विनियोजन	---	---	-
6.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि [#]	---	---	-
7.	लाभांश	---	---	-
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	(-) 1.99	(-) 4.57	6.22
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	--	1.47	--
4.	बिहार राज्य भंडार निगम			
क्रम सं.	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
1.	आय			
(अ)	भंडारण प्रभार	4.42	4.47	6.30
(ब)	अन्य आय	7.17	6.34	10.70
	योग-1	11.59	10.81	17.00
2.	व्यय			
(अ)	स्थापना प्रभार	2.64	2.80	2.72
(ब)	अन्य व्यय	7.09	6.02	11.48
	कुल-2	9.73	8.82	14.20
3	कर के पूर्व लाभ (+)/हानि (-)	1.86	1.98	2.79
4.	पूर्वावधि समायोजन	0.04	0.25	--
5.	अन्य विनियोजन	1.00	1.00	1.00
6.	लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	0.83	0.73	1.79
7.	वर्ष के लिए लाभांश	-	--	--
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	1.86	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	10.39	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

* वर्ष के अक्रियाशील सम्पत्तियों के लिये प्रावधान को व्यय शीर्ष के अंतर्गत अलग से दिखाया गया है।

उपलब्ध लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से विशेष सुरक्षित हेतु विनियोजन के पश्चात है।

परिशिष्ट-6

(कंडिका 1.12 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के प्रचालन निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
प्रतिष्ठापित क्षमता	(एम. डब्लू.)		
(क) थर्मल	1393.50	1393.50	1393.50
(ख) हाइड्रो	149.20	149.20	149.20
(ग) गैस	--	--	--
(घ) अन्य	5.93	5.93	5.93
योग	1548.63	1548.63	1548.63
सामान्य अधिकतम माँग	1500.00	1400.00	--
	(एम.के.डब्लू.एच.)		
उत्पादित ऊर्जा :			
(क) थर्मल	2567.47	2245.59	2111.25
(ख) हाइड्रो	140.37	177.54	100.86
(ग) गैस	--	--	--
(घ) अन्य	--	--	--
योग	2707.84	2423.13	2212.11
घटाव : अनुषांगिक खपत			
(क) थर्मल (प्रतिशतता)	365.95 (14.25)	334.08 (14.88)	307.45 (14.51)
(ख) हाइड्रो (प्रतिशतता)	1.39 (0.99)	1.17 (0.66)	1.00
(ग) गैस (प्रतिशतता)	--	--	--
(घ) अन्य (प्रतिशतता)	--	--	--
योग (प्रतिशतता)	367.34 (13.57)	335.25 (13.84)	--
शुद्ध उत्पादित ऊर्जा	2340.50	2087.88	1904.66
क्रय की गई ऊर्जा	7516.20	8538.96	8692.02
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा	9856.70	10626.84	10596.60
बिक्री की गई ऊर्जा	7067.33	7662.21	7620.91
संचरण एवं वितरण हानि	2789.37	2964.63	2957.70
प्लान्ट लोड फैक्टर (प्रतिशतता)	27.37	23.89	22.52
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा से संचरण एवं वितरण हानि की प्रतिशतता	28.30	27.90	28.08
विद्युन्मय गाँवों/शहरों की संख्या	47481	अनुपलब्ध	--
ऊर्जांचित पम्प सेट/कुँओं की संख्या	273132	अनुपलब्ध	--
विद्युत उपकेन्द्रों की संख्या	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	47
संचरण/वितरण लाईन (कि. मी. में)			4691.73
(क) उच्च/मध्यम वोलटेज	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
(ख) निम्न वोलटेज	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
सम्बद्ध भार (मेगावाट में)	6102	अनुपलब्ध	3075.4
उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	22.02	अनुपलब्ध	25
कर्मचारियों की संख्या	33170	अनुपलब्ध	30638

उपभोक्ता/कर्मचारी अनुपात	66.39:1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
वर्ष के दौरान कर्मचारियों पर कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	421.14	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
कुल राजस्व व्यय में कर्मचारी पर व्यय की प्रतिशतता	13.69	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
बिक्री की गई यूनिट	(एम. के. डब्लू. एच.)		
(क) कृषि	1384.02	1525.94	1419.92
(कुल बिक्री की गई यूनिटों के हिस्से की प्रतिशतता)	(19.59)	(19.92)	18.63
(ख) औद्योगिक	3481.49	3622.80	3551.40
(कुल बिक्री की गई यूनिटों के हिस्से की प्रतिशतता)	(49.27)	(47.28)	46.60
(ग) वाणिज्यिक	409.08	415.15	486.69
(कुल बिक्री की गई यूनिटों के हिस्से की प्रतिशतता)	(5.78)	(5.42)	6.39
(घ) घरेलू	959.33	1036.15	1292.72
(कुल बिक्री की गई यूनिटों के हिस्से की प्रतिशतता)	(13.58)	(13.52)	16.96
(ङ) अन्य	832.41	1062.17	870.18
(कुल बिक्री की गई यूनिटों के हिस्से की प्रतिशतता)	(11.78)	(13.86)	11.42
योग	7066.33	7662.21	7620.91
विवरण	(पैसे प्रति के. डब्लू. एच.)		
(क) राजस्व (सरकार से प्राप्त सब्सिडी घटाकर)	260.83	298.37	2742.65
(ख) व्यय*	351.35	389.54	586.79
(ग) लाभ (+)/हानि (-)	(-) 90.52	(-) 91.17	226.90
(घ) सरकार से औसत सब्सिडी का दावा (रुपये में)	0.68	0.82	834.30
(ङ) औसत ब्याज प्रभार (रुपये में)	0.84	0.91	अनुपलब्ध

* राजस्व व्यय में मूल्य ह्रास सम्मिलित है लेकिन दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज सम्मिलित नहीं है।

2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
धारित वाहनों की औसत संख्या	1484	1540	873
चालू वाहनों की औसत संख्या	143	178	158
उपयोग में लाई गई वाहनों की प्रतिशतता	10	12	18
कर्मचारियों की संख्या	6104	5978	5300
कर्मचारी वाहन अनुपात	43	34	1:27
वर्ष के अंत तक प्रचालित मार्गों की संख्या	80	अनुपलब्ध	145
मार्ग किलोमीटर	16480	अनुपलब्ध	31659
प्रचालित कि.मी. (लाख में)			
(क) सकल	124.75	156.46	148.82
(ख) प्रभावी	122.30	152.54	144.49
(ग) डेड	2.46	3.92	4.33
सकल कि. मी. से डेड कि. मी. की प्रतिशतता	1.97	2.51	2.91
प्रति बस प्रतिदिन तय की गई औसत कि. मी.	234.31	234.78	251
प्रति किलोमीटर संचालित राजस्व (पैसे)	11.77	12.04	12.94
पिछले वर्ष की संचालन राजस्व में वृद्धि (+) / कमी (-)(%)	39.90	27.50	+11%
प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	38.39	33.21	57.27
पिछले वर्ष के व्यय पर संचालन व्यय में वृद्धि (+) / कमी (-)(%)	2.00	8	अनुपलब्ध
प्रति किलोमीटर लाभ (+) / हानि (-) (पैसे)	(-) 26.62	(-) 21.17	अनुपलब्ध
संचालित डिपो की संख्या	32	32	32
प्रति लाख कि.मी. पर ब्रेक डाउन की संख्या का औसत	1.40	1.39	0.12
प्रति लाख कि.मी. पर दुर्घटनाओं की संख्या का औसत	0.11	0.09	0.08
प्रचालित यात्री कि. मी. (करोड़ में)	1.22	1.53	56.78
दखलकारिता अनुपात	60	66	62%
प्रति लिटर प्राप्त की गई कि. मी.			
(क) डीजल ऑयल	3.96	4.04	3.99
(ख) इंजिन ऑयल	--	--	--

3. बिहार राज्य भंडारण निगम

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
शामिल केन्द्रों की संख्या	46	46	46
वर्ष के अंत तक सृजित किया गया भंडारण क्षमता (लाख टन में)	2.62	2.52	--
निजी गोदाम	0.97	1.05	12.12
किराये के गोदाम	1.66	1.47	15.92
योग	2.62	2.52	28.04
वर्ष के दौरान उपयोग किए गए क्षमता का औसत (लाख टन में)	2.21	2.12	22.42
उपयोगिता का प्रतिशत	84	84	80
(क) प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत राजस्व (रुपये)	40.90	40.00	493
(ख) प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत व्यय (रुपये)	32.90	31.60	--

4. बिहार राज्य वित्तीय निगम

(लाख रुपये में)

विवरण	2000-01		2001-02		2002-03	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में लंबित आवेदन	--	--	--	--	--	--
प्राप्त आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
कुल	--	--	--	--	--	--
स्वीकृत आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
रद्द/वापस ले लिए गए/अस्वीकृत आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
वर्ष के अंत तक लंबित आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
वर्ष के दौरान संवितरित ऋण	20	105.94	2	4.34	1	1.57
वर्ष के अंत तक बकाया ऋण	6430	164630.95	6307	183518.05	6256	210194.00
वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण	--	--	--	--	--	--
(क) मूलधन	6430	22675.47	6307	26560.74	6256	26532.24
(ख) ब्याज	6430	136276.17	6307	155761.15	6256	182969.20
योग	6430	136276.17	6307	155761.15		209501.44
सर्टिफिकेट केसों में अदायगी की निहित राशि	--	--	--	--	--	--
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय राशि की प्रतिशतता	--	96.55	--	99.34	--	99.67

परिशिष्ट-7

(कंडिका 1.21 में संदर्भित)

बंद की जाने वाली बिहार के सरकारी कम्पनियों के नाम

क्रमांक	कम्पनियों के नाम
1	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड
2	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड
3	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड
4	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड
5	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड
6	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड
7	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड
8	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड
9	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
10	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड
11	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड
12	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
13	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
14	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड
15	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड
16	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
17	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड

परिशिष्ट-8

(कंडिका 1.27 में संदर्भित)

विभागावार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि. प्र.) को दर्शानेवाली विवरणी

क्रम सं.	विभाग का नाम	सा. क्षे. उ. की संख्या	लम्बित नि. प्र. की संख्या	लम्बित कंडिकाओं की संख्या	जिस वर्ष से कंडिकाएँ लंबित है
1.	उद्योग	28	143	726	1990-91
2.	वन एवं पर्यावरण	3	44	264	1990-91
3.	कृषि	3	42	240	1990-91
4.	ऊर्जा	3	942	5331	अनुपलब्ध
5.	पशु पालन	2	15	56	1990-91
6.	जल संसाधन	2	9	54	1990-91
7.	ईख	1	28	198	1990-91
8.	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य	1	70	437	1990-91
9.	पर्यटन	1	17	97	1990-91
10.	मानव संसाधन विकास	1	4	13	1990-91
11.	पथ निर्माण	1	37	197	1990-91
12.	गृह	1	11	38	1990-91
13.	कल्याण	2	5	40	1990-91
14.	पंचायती राज	1	4	7	1990-91
15.	खनन एवं भू-गर्भ	1	26	125	1990-91
16.	लघु सिंचाई	1	6	33	1990-91
17.	परिवहन	1	57	375	1990-91
18.	सहकारिता	1	14	57	1990-91
कुल		54	1474	8288	1990-91

परिशिष्ट-9

(कंडिका 1.27 में संदर्भित)

विभागवार प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के लम्बित उत्तरों को दर्शाने वाली
विवरण

क्रम सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	जारी किये जाने की अवधि
1	ऊर्जा	4	2	6/03 से 9/03
2	गृह	1	-	6/03
3	उद्योग	1	1	6/03 से 9/03
4	खनन एवं भू-गर्भ	1	-	6/03

परिशिष्ट-10

(कंडिका संख्या 1.29 में संदर्भित)

अद्यतन अन्तिमकरण किये हुए लेखाओं के अनुसार 619 (बी) कम्पनियों के प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी (कालम 5 से 19 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यशील / अ-कार्यशील)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूँजी	इक्विटी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			इक्विटी, ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निवेश			लाभ (+) / हानि (-)	संचित लाभ (+) / हानि (-)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केंद्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केंद्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केंद्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केंद्र सरकार एवं उसकी कम्पनी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	बिहार एअर प्रोडक्ट्स लि.	कार्यशील	1997-98	79.99	-	79.99	-	-	19.70	85.85	-	-	-	-	79.99	105.55	15.53	(-) 29.81
2	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. लि.	कार्यशील	1993-94	5.00	-	5.00	-	-	72.49	-	-	-	-	-	77.54	-	-41.59	(-) 57.65
3	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. खगोल लि.	अकार्यशील	आरंभ से लेखाओं का अन्तिम-करण नहीं हुआ -वही-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	स्काडा एग्रो बिजनेस लि. डेहरी	वही	-वही-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यशील / अ-कार्यशील)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	इक्विटी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			इक्विटी, ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निवेश			लाम (+) / हानि (-)	संचित लाम (+) / हानि (-)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केंद्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केंद्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केंद्र सरकार एवं उसकी कम्पनी	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनी	केंद्र सरकार एवं उसकी कम्पनी		
5	स्काडा एगो बिजनेस लि. आरा	वही	वही	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	स्काडा एगो बिजनेस लि. औरंगाबाद	वही	वही	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	स्काडा एगो बिजनेस लि. मोहनियाँ	वही	वही	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	स्काडा एगो फ़ॉरेस्ट्री कं. खगौल	वही	वही	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट-11
(कंडिका 2.4 में संदर्भित)

कम्पनी के वर्ष 1997-98 से 2001-02 के पाँच वर्षों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
एवं कार्यचालन परिणाम

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
	दायित्व	(औपबंधिक आँकड़े)				
1.	प्रदत्त पूँजी अंश आवेदन धन सहित	15.12	15.12	15.12	15.12	15.12
2.	रिजर्व एवं सरप्लस (विशेष रिजर्व)	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
3.	अप्रतिभूत उधार	97.05	93.51	96.83	96.83	96.83
4.	चालू दायित्व एवं प्रावधान अदत्त एवं बकाये ब्याज सहित	75.35	89.02	109.57	125.13	97.37
	योग	188.18	198.31	222.18	237.74	209.98
	परिसम्पत्तियाँ					
1.	सकल परिसम्पत्तियाँ	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57
2.	मूल्य ह्रास घटाए	0.21	0.25	0.28	0.31	0.33
3.	शुद्ध सम्पत्तियाँ	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24
4.	निवेश	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58
5.	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	114.49	112.12	116.81	115.50	117.48
6.	अमूर्त परिसम्पत्तियाँ (हानि एवं लंबित व्यय)	71.77	84.30	103.51	120.40	90.68
	योग	188.18	198.31	222.18	237.74	209.98
	नियोजित पूँजी*		23.41	7.53	(-)9.37	20.36
	नेट वर्थ**	(-) 55.99	(-) 68.52	(-) 87.72	(-) 104.62	(-) 74.89
	आय					
1.	लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	ब्याज	8.58	6.00	5.86	4.16	5.89
3.	अन्य जमा	0.07	0.08	0.04	0.07	0.01
	योग	8.65	6.08	5.90	4.23	5.90
	व्यय					
1.	वित्त का लागत यथा ऋण पर ब्याज	14.03	16.13	18.02	17.25	6.69
2.	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	2.77	2.42	4.94	4.90	3.95
3.	पूर्वावधि समायोजन	0.01	0.07	0.00	(-)1.02	(-)34.46
	योग	16.81	18.62	22.96	21.13	(-)23.82
	वर्ष की हानि	8.16	12.54	17.06	16.90	(-)29.72
	संचित हानियाँ	71.77	84.31	103.51	120.41	90.68

* नियोजित पूँजी निवल अचल संपत्तियाँ एवं कार्यशील पूँजी का योग है।

** नेट वर्थ, प्रदत्त पूँजी एवं फ्री रिजर्व के योग से अमूर्त सम्पत्तियों के घटाव के शेष का द्योतक है।

परिशिष्ट-12

(कंडिका 3.1.1, 3.1.3 एवं 3.1.11 में संदर्भित)

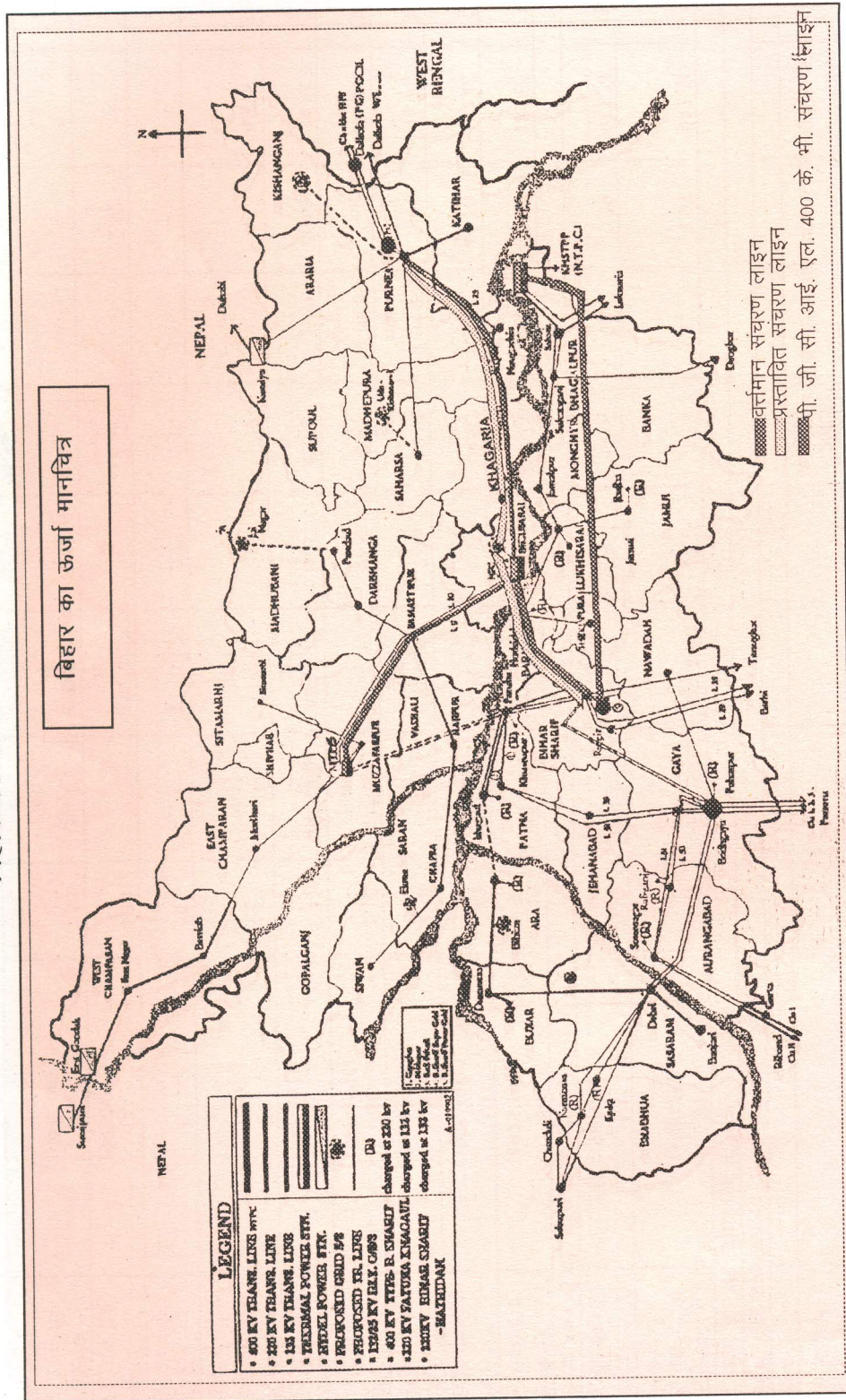
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अपूर्ण संचरण परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	योजना अवधि	मूल लागत	मूल समापन अनुसूची	अवधि जब से अपूर्ण है	नवीनतम पुनरिक्तीत व्यय	वास्तविक व्यय (मार्च 2003 तक)	समय पददलित (वर्ष में)	लागत पददलित	राजस्व की हानि	कंडिका संदर्भ
(करोड़ रुपये में)											
अपूर्ण संचरण पथ											
क. 220 के. बी. संचरण पथ											
1.	बेगूसराय-पुर्णिया दोहरी सर्किट लाईन (384 कि. मी.)	VI (1980-1985)	10.02	मार्च 1986	जून 1989	29.51	20.15	17	10.13		3क.6.1
2.	एम. टी. पी. एस. - बेगूसराय दोहरी सर्किट लाईन (284 क सी. के. एम. एस.)	VI (1980-1985)	4.69	मार्च 1986	जून 1989	20.86	22.35	17	17.66		3क.6.2
3.	फतुहा के समीप गंगा क्रासिंग (18 सी. के. एम. एस.)	VII (1985-1990)	6.00	नहीं लिया गया	मई 1993	-	-	-	-		3क.6.3
ख. 132 के. बी. संचरण पथ											
1.	पटना में केबुल क्रासिंग (20 सी.के.एम.)	V (1975-1980)	3.18	जून 1983	कार्य प्रगति में	28.50	0.15	19 वर्ष 9 माह	---		-
2.	कोईलवर में सोन नदी क्रासिंग के साथ आरा-खगौल सिंगल सर्किट	IX (1997-2002)	3.26	मार्च 2001	मार्च 2000	10.00	3.25	2	----		3क.6.4

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	योजना अवधि	मूल लागत	मूल समापन अनुसूची	अवधि जब से अपूर्ण है	नवीनतम पुनरिक्षीत व्यय	वास्तविक व्यय (मार्च 2003 तक)	समय पददलित (वर्ष में)	लागत पददलित	राजस्व की हानि	कड़िका संदर्भ
	लाईन										
	अपूर्ण ग्रीड सब-स्टेशन										
	ग. 220 के. बी. ग्रीड सब-स्टेशन										
1.	बेसराय 2x100 एम.बी.ए.	VI (1980-1985)	3.41	मार्च 1986	जून 1997	17.18	7.38	17	3.97	987.34	3क.6.6
2.	होजीपुर 2x100 एम.बी.ए.	VI (1980-1985)	2.38	मार्च 1986	दिसम्बर 2002	10.15	11.67	17	9.29	987.34	3क.6.7
	घ. 132/33 के.बी. ग्रीड सब-स्टेशन										
1.	किशनगंज 2x20 एम.बी.ए.	V (1975-1980)	1.15	मार्च 1987	मार्च 1995	6.00	2.75	16	1.60	185.85	3क.6.9
2.	बांका 2x20 एम.बी.ए.	V (1975-1980)	0.42	मार्च 1986	जुलाई 1991	18.38	0.52	17	0.10	197.46	3क.6.8
3.	कटरा 2x50 एम.बी.ए.	VIII (1990-1995)	7.36	जुलाई 2001	दिसम्बर 2001	7.36	10.50	1 वर्ष 8 माह	3.14	48.40	3क.6.12
4.	कुदरा 2x20 एम.बी.ए.	VIII (1990-1995)	6.50	सितम्बर 1991	जून 1992	9.00	0.43	11 वर्ष 6 माह	--	133.58	3क.6.10
5.	उदाकिशुनगंज 2x20 एम.बी.ए.	IX (1997-2002)	1.15	अप्रैल 2000	कार्य प्रगति में	16.53	2.75	3	1.60	34.84	-
6.	दीघा खगौल लाईन के साथ 2x50 एम.बी.ए.	IX (1997-2002)	9.89	अगस्त 2001	दिसम्बर 2001	--	1.74	3	-	45.98	3क.6.11
7.	मसौदी 2x20 एम.बी.ए.	IX (1997-2002)	5.12		कार्य प्रगति में	5.12	0.56	3	-	-	-
8.	बेलागंज 2x10 एम.बी.ए.	IX (1997-2002)	4.30		कार्य प्रगति में	--	7.22	-	2.92	-	-
9.	गोपालगंज 2x20 एम.बी.ए.	IX (1997-2002)	7.50		कार्य प्रगति में	7.50		4	-	-	-
	योग						91.42		50.41	2620.79	

परिशिष्ट-13 (कंडिका 3.1.4 में संदर्भित) बिहार का ऊर्जा मानचित्र



परिशिष्ट-14

(कंडिका 3.1.12 में संदर्भित)

ग्रीड सब स्टेशनों एवं संचरण लाईनों के निर्माण में तारतम्य का अभाव दर्शाने वाली विवरणी

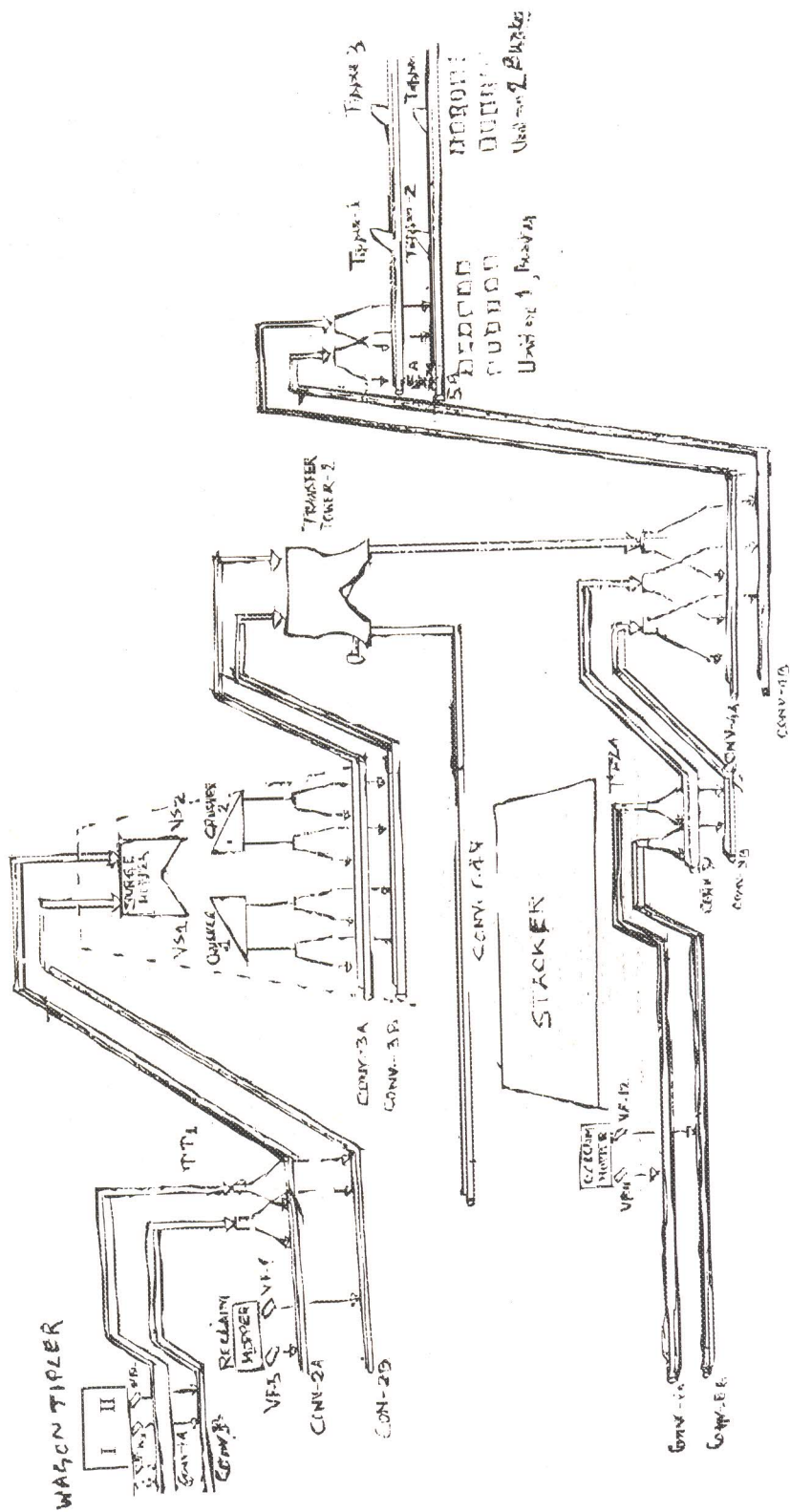
(रुपये करोड़ में)

लाईन का विवरण	अनुमान्य लागत	वास्तविक खर्च	ग्रीड सब स्टेशन का विवरण	अनुमान्य लागत	वास्तविक खर्च	अभ्युक्तियाँ
एम. टी. पी. एस. हाजीपुर-विदुपुर एवं कुटुपुर संचरण लाईन	अनुपलब्ध	1.72.	220/132/33 के. भी. हाजीपुर ग्रीड सब स्टेशन	2.38	11.67	ग्रीड सब-स्टेशन अपूर्ण है किन्तु सहचारी कड़ी लाईन को पुरा कर लिया गया है।
220 / 132 / 33 के.भी. हाथीदह में केबुल क्रॉसिंग सहित बिहारशरीफ-बेगूसराय लाईन	6.38	19.84	220/132/33 के. भी. बेगूसराय ग्रीड सब-स्टेशन 2 x 100 एम.भी.ए	3.41	7.38	सहचारी कड़ी लाईन को 220 / 132 / 33 के. भी. के वांछित ग्रीड सब स्टेशन के अभाव में 132 के. भी. पर आवेशित किया गया।
220 / 132 / 33 के. भी. बोधगया-डेहरी दूसरा सर्किट	1.94	2.64	220/132/33 के.भी. डेहरी ऑन सोन	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण एवं वांछित ट्रॉन्सफार्मर की स्थापना पूर्ण नहीं होने के कारण लाईन को 132 के. भी. पर आवेशित किया गया (अक्टूबर 1992)।
132 के. भी. डालखोला-किशनगंज	0.98	नहीं लिया गया	किशनगंज ग्रीड सब स्टेशन	1.15	2.75	ग्रीड सब स्टेशन का निर्माण अपूर्ण है एवं सहचारी संचरण लाईन का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है।
कुल		24.20			21.80	

परिशिष्ट-15

(कंडिका 3.2.4 में संदर्भित)

कोल हैंडलिंग प्लांट एवं बाउल मिल के प्रचालन को दिखानेवाला प्रवाह मानचित्र



परिशिष्ट-16

(कंडिका 3.2.9 में संदर्भित)

कोयले की अत्यधिक खपत दर्शाने वाली विवरणी

बी. टी. पी. एस.

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (एम. यू.)	प्राप्त कोयले की औसत कैलो-रिफीक भैल्यू	वास्तविक सी. भी.* के मानक के आधार पर खपत कि.ग्रा./ के.डब्लू. एच.	वास्तविक विशेष खपत कि.ग्रा./ के.डब्लू. एच	अंतर (अत्यधिक विशेष खपत) कि.ग्रा./ के. डब्लू. एच	कम सी. भी. के अलावा अन्य कारणों से कोयले की अत्यधिक खपत एम. टी.	अत्यधिक कोयले की खपत का मूल्य (लाख रुपये में)
1998-99	530.33	4452	0.503	0.990	0.487	258270.71	2564.63
1999-00	327.55	4359	0.493	0.980	0.487	159516.85	1649.40
2000-01	321.09	4063	0.459	1.040	0.581	186554.45	1945.76
2001-02	319.34	4480	0.506	1.097	0.591	188731.53	1943.93
2002-03	242.72	4057	0.458	1.097	0.639	155100.57	1597.54
कुल						948174.11	9701.26

एम. टी. पी. एस.

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (एम. यू.)	प्राप्त कोयले की औसत कैलो-रिफीक भैल्यू	वास्तविक सी. भी.* के मानक के आधार पर खपत कि.ग्रा./ के.डब्लू. एच.	वास्तविक विशेष खपत कि.ग्रा./ के.डब्लू. एच	अंतर (अत्यधिक विशेष खपत) कि.ग्रा./ के. डब्लू. एच	कम सी. भी. के अलावा अन्य कारणों से कोयले की अत्यधिक खपत एम. टी.	अत्यधिक कोयले की खपत का मूल्य (लाख रुपये में)
1998-99	368.30	3982	0.680	0.957	0.277	102019.10	1013.05
1999-00	348.67	4034	0.718	0.997	0.279	97278.93	1005.86
2000-01	394.34	4137	0.754	1.02	0.266	104894.44	1094.05
2001-02	355.13	4121	0.717	0.975	0.258	91623.95	943.73
2002-03	268.42	4487	0.788	0.984	0.196	52610.32	541.89
योग	1734.86	4152				448426.74	4598.58

* सी. भी., कैलोरीफिक भैल्यू का द्योतक है।

परिशिष्ट-17

(कंडिका 3.2.10 में संदर्भित)

फर्नेस ऑयल की अत्यधिक खपत को दर्शाने वाली विवरणी
बी. टी. पी. एस.

वर्ष	उत्पादन (एम.यू.)	वास्तविक खपत किलोलीटर	मानक के आधार पर खपत किलोलीटर	अत्यधिक खपत किलोलीटर	अत्यधिक खपत का मूल्य (लाख रुपये में)
1998-99	531.961	12889.47	7979.42	4910.06	292.17
1999-00	327.83	10982.06	4917.38	6064.69	528.92
2000-01	320.81	5121.48	4812.18	309.30	33.67
2001-02	318.916	5115.31	4783.59	331.72	36.36
2002-03	242.72	3889.48	3640.85	248.64	30.94
योग		37997.80	26133.42	11864.41	922.06

एम. टी. पी. एस.

वर्ष	उत्पादन (एम.यू.)	वास्तविक खपत किलोलीटर	मानक के आधार पर खपत किलोलीटर	अत्यधिक खपत किलोलीटर	अत्यधिक खपत का मूल्य (लाख रुपये में)
1998-99	368.30	12021	5524.50	6496.50	386.57
1999-00	348.67	15278	5230.05	10047.95	583.80
2000-01	394.34	12281	5915.10	6365.90	765.90
2001-02	355.13	10812	5326.74	5485.03	659.92
2002-03	268.42	7996	4026.30	3969.70	398.62
योग	1734.86	58388	26022.69	32365.08	2794.81

परिशिष्ट-18

(कंडिका 3.2.11 में संदर्भित)

एल. डी. ओ. की अत्यधिक खपत दर्शाने वाली विवरणी

बी. टी. पी. एस.

वर्ष	एल. डी. ओ. की खपत (कि.ली.)	फर्नेश तेल की खपत (कि.ली.)	तेल की कुल खपत (कि.ली.)	तेल की सामान्य खपत (कि.ली.)	एल.डी. ओ. की अत्यधिक खपत (कि.ली.)	एल. डी. ओ. की लागत (कि.ली.)	एल. डी. ओ. के बराबर फर्नेश तेल की लागत (कि.ली.)	अंतरात्म क लागत (लाख रुपये में)
98-99	1400.00	12889.47	14289.47	714.47	685.53	65.17	40.79	24.38
99-00	1026.43	10982.06	12008.49	600.42	426.01	36.26	24.75	11.51
00-01	1058.00	5121.472	6179.477	308.97	749.03	10.39	90.12	13.77
01-02	552.5	5115.312	5667.812	283.39	269.11	37.32	32.37	4.95
02-03	708.85	3889.48	4598.33	229.91	478.94	82.56	48.09	34.47
योग	4745.78	37997.79	42743.574	2137.17	2608.62			89.08

बी. टी. पी. एस.

वर्ष	एल. डी. ओ. की खपत (कि.ली.)	फर्नेश तेल की खपत (कि.ली.)	तेल की कुल खपत (कि.ली.)	तेल की सामान्य खपत (कि.ली.)	एल.डी. ओ. की अत्यधिक खपत (कि.ली.)	एल. डी. ओ. की लागत (कि.ली.)	एल. डी. ओ. के बराबर फर्नेश तेल की लागत (कि.ली.)	अंतरात्म क लागत (लाख रुपये में)
98-99	5228	12021	17249	862.45	4365.55	415.06	259.77	155.29
99-00	4826	15278	20104	1005.20	3820.80	325.23	221.99	103.23
00-01	3334	12281	15615	780.75	2553.23	354.12	307.19	46.93
01-02	3676	10812	14488	724.40	2954.60	409.79	355.48	54.31
02-03	3291	7996	11287	564.35	2726.65	470.03	273.80	196.24
योग	20355	58388	78743	3937.15	16420.83			556.00

परिशिष्ट-19

(कंडिका 3.2.14 में संदर्भित)

ई. सी. एल. पर दावों की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

बी. टी. पी. एस.

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	दावों का विवरण	दावे की राशि	स्वीकृत राशि	अस्वीकृत राशि	विवादित राशि
1.	स्तर में गिरावट	2159.50	131.07	--	2028.43
2.	कम कोयले की प्राप्ति	576.06	53.40	--	522.66
3.	पत्थर की ढुलाई एवं प्रेषण	38.02	--	--	38.02
4.	अस्वीकृत कोयला	407.86	--	--	407.86
5.	अस्वीकृत कोयले का विस्थापन एवं बिक्री	19.45	--	--	19.45
6.	अध्यामाप कोयले को तोड़ने का खर्च	14.74	14.00	--	0.74
7.	डेमरेज	44.46	44.46*	--	--
8.	भू-तल परिवहन पर बिक्री कर	45.49	--	--	45.49
9.	एम. टी. पी. एस. से व्यपवर्तित रैक	112.42	112.42	--	--
10.	कम प्राप्त कोयले पर रेल भाड़ा	138.02	--	--	138.02
11.	निम्न स्तर के कोयले पर रॉयल्टी	87.15	--	--	87.15
12.	पत्थर कोयला	287.93	40.00	143.96	103.97
13.	स्टोन बोल्टर पर रेल भाड़ा	67.44	--	33.72	33.72
14.	पी. ओ. एल.	47.32	23.66	--	23.66
	कुल	4045.86	419.01	177.68	3449.17

एम. टी. पी. एस.

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	दावों का विवरण	दावे की राशि	स्वीकृत राशि	अस्वीकृत राशि	विवादित राशि
1.	स्तर में गिरावट	2356.72	--	--	2356.72
2.	कम कोयले की प्राप्ति	752.94	--	--	752.94
3.	कम कोयले की प्राप्ति पर भाड़ा	342.14	--	--	342.14
4.	पत्थर कोयले की ढुलाई एवं प्रेषण	54.77	39.22	15.55	--
5.	अस्वीकृत कोयला	113.38	--	--	113.38
6.	4 प्रतिशत अतिरिक्त बिक्री कर प्रभारित	14.98	14.98	--	--
7.	अध्यामाप कोयले को तोड़ने का खर्च	45.54	13.45	32.09	--
8.	डेमरेज	197.67	122.13	75.54	--
9.	भूतल परिवहन पर बिक्री कर	13.82	--	--	13.82
10.	व्यपवर्तित रैक	136.96	--	--	136.96
11.	पी. ओ. एल.	87.85	--	--	87.85
12.	अत्यधिक परिवहन खर्च	347.87	--	--	347.87
13.	अत्यधिक नमी	19.98	--	19.98	--
14.	अप्राप्त वैगन	2.94	--	--	2.94
	कुल	4487.56	189.78	143.16	4154.62

ई.सी.एल. द्वारा सैद्धांतिक रूप से 123.48 लाख रुपये स्वीकृत किए गए लेकिन यह बी.टी.पी. एस. द्वारा दावित 44.46 लाख रुपये की राशि तक ही सीमित है।

परिशिष्ट-20

(कंडिका 4.1.4 में संदर्भित)

मूल लागत/पुनरीक्षित लागत/वास्तविक खर्च एवं कार्य की प्रगति दर्शाने वाली विवरणी

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	वास्तविक खर्च	कार्य की स्थिति	शेष कार्य
1.	भूमि विकास	0.18	--	--	--	--
2.	निर्माण	1.13	2.98	2.55	डब्लू बी. एम. तक पूर्ण	बी. एस. जी. एवं प्रीमिक्स लगाना
3.	जल निकास की सुविधा	0.84	1.96	1.22	लगभग पूर्ण	--
4.	जल	1.04	1.32	0.47	दो टयूब बेल, एक पम्प एवं एक ओ. एच. डब्लू टी. लगभग पूर्ण	एक पम्प एवं वितरण पाईप लाईन तंत्र की स्थापना
5.	ऊर्जा वितरण तंत्र	1.23	2.15	2.17	सब-स्टेशन पूर्ण	33 के. बी. शिरोपरि लाईन, केबुल, सोडियम वाष्प द्वीप
6.	आम सुविधा भवन	1.33	3.44	2.55	संरचना पूर्ण	आंतरिक नलकारी, सैनिटरी का कार्य एवं आन्तरिक विद्युतीकरण
7	औद्योगिक छादक का निर्माण	2.44				
8.	विविध अचल सम्पत्तियाँ	0.10	--	--	--	--
9.	प्रारम्भिक अचल खर्च	0.10	0.42	0.46	--	--
10.	मुद्रास्फीति के लिए प्रावधान	1.02				
11.	आनुषंगिक व्यय	1.28	1.54	-	--	--
12.	सामाजिक आधारभूत संरचना पर व्यय	--	0.61	--	--	--
13.	दूरसंचार	--	0.50	--	--	--
	कुल	11.11	14.92	9.42		

परिशिष्ट-21

(कंडिका 4.6 में संदर्भित)

राजस्व के कम निर्धारण एवं कालातीत दावों का विवरण

क्रम सं.	ईकाई का नाम	राजस्व के कम निर्धारण/हानि के कारण	उपभोक्ताओं की संख्या	अवधि	कम निर्धारित राशि (लाख रुपये में)
क	राजस्व का कम निर्धारण				
1.	विद्युत आपूर्ति अंचल, मुंगेर/विद्युत आपूर्ति प्रमंडल-कटिहार, दानापुर एवं पाटलिपुत्र (पेसू)	कम विपत्रीकरण	33	जून 1996 से दिसम्बर 2002	23.23
2.	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कटिहार	विपत्रीकरण नहीं	36	जुलाई 2000 से सितम्बर 2000	2.71
			1	अक्टूबर 2000 से मार्च 2001	69.77
3.	विद्युत आपूर्ति अंचल, मोतिहारी/विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पाटलिपुत्र	अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का वसूली नहीं किया जाना	26	अप्रैल 2001 से मार्च 2002	9.90
4.	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कटिहार	विलम्ब अधिभार को भारित नहीं किया जाना	1	अक्टूबर 2000 से मार्च 2001	19.60
5.	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कटिहार	बकाये को नये लेजर में स्थानान्तरित नहीं किया जाना	4	सितम्बर 2000	0.64
योग : क					125.85
ख	कालातीत दावों के कारण हानि				
6.	एरिया बोर्ड, भागलपुर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दानापुर,, बिहारशरीफ (नगर) एवं पाटलिपुत्र	लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अधीन विहित अवधि के भीतर सर्टिफिकेट केश दायर करने में बोर्ड की विफलता के कारण राजस्व कालातीत हो गया	138	अप्रैल 2002 से मार्च 2003	119.15
योग : क + ख					245.00